लोक-सभा

सोमवार,
५ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक-सभा

सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कार्यालयों के स्थान का बदला जाना

*१४३३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १७७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आवास समस्या को हल करने की दृष्टि से दिल्ली से अन्य स्थानों को कुछ कार्यालयों के हटाये जाने के सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : पिछला जवाब दिए जाने के बाद से अभी तक हालत में कोई विशेष अदल बदल नहीं हुआ है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम् स्थापित कर दिया गया है क्या सरकार का विचार कुछ दफ्तर वहां भजन का ह ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हैदराबाद में ऐसे खाली भवन नहीं हैं जिनमें दफ्तर खोले जा सकें और न ही पर्याप्त निवास स्थान हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या कुछ दफ्तरों को शिमला जसे पहाड़ी स्थानों और दक्षिण में

अन्य स्थानों में भेजने की प्रस्थापना अभी तक सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो आजकल यह मामला किस स्थिति में है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं प्रश्न का दूसरा भाग नहीं सुन सका।

अध्यक्ष महोदय : क्या कुछ दफ्तरों को शिमले भेजने का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में कुछ दफ्तरों के शिमला भेजे जाने के निश्चय के फल-स्वरूप पश्चिमी कमान का मुख्य दफ्तर शिमला भेज दिया गया था। इस बात पर अभी विचार किया जा रहा है कि कुछ और दफ्तरों को भी शिमले भेजा जा सकता है या नहीं। जो दफ्तर दिल्ली में हैं वे बाहर भेजे जाने का काफ़ी विरोध कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। इसका उत्तर कई बार दिया जा चुका है।

विस्थापित व्यक्तियों को सहायता

*१४३६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष सहायता देने के लिए १९५५–५६ में अब तक कोई अनुदान स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकार की गयी है ; और

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को इस अनुदान में से कैसे सहायता दी जायगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख). पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सहायता दी जाती है :

(१) टेक्नीकल और व्यावसायिक ट्रेनिंग ।

(२) शिक्षा ।

(३) (क) निराश्रित बूढ़े पुरुषों और स्त्रियों और उनके बच्चों को आश्रमों और रुग्णालयों में रखे जाने के लिए ।

(ख) निराश्रित विधवाओं और अपाहिजों को—जिनकी स्थिति बड़ी खराब हो—आश्रमों से बाहर गुज़ारे के लिए ।

(४) गुज़ारा भत्ता पाने वालों के लिए ।

(५) बाढ़, आग जैसी प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये और केन्द्रीय तथा राज्यों के मंत्रियों के विवेकानुसार ज़रूरतमन्दों के लिए ।

उपरोक्त प्रयोजनों के लिए १९५५–५६ के आय-व्ययक में क्रमश: २५ लाख, ५१.६० लाख, १ करोड़ ५० हज़ार और ४८ हज़ार रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राज्यों की सरकारों की मार्फत ।

डा० राम सुभग सिंह : पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यवितयों को टेक्नीकल शिक्षा के लिए जो प्रत्यक्ष सहायता दी जाती है वह छात्रवृत्तियों के रूप में होती है या कि टेक्नीकल संस्थाएं आदि खोलने के लिए दी जाती है ?

श्री० जे० के० भोंसले : यह ट्रेनिंग लेने वालों को भत्ते के रूप में दी जाती है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को ऐसी सहायता देने का भी विचार है या नहीं ?

श्री जे० के० भोंसले : यह बात इस प्रश्न से नहीं उठती क्योंकि यह तो पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के बारे में है । परन्तु मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बता दूं कि ये सब सुविधाएं पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को भी दी जाती हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : जिन विधवाओं को गुजारा भत्ता मिलता था जो कि उन्हें प्रतिकर दिये जाने के बाद बन्द कर दिया गया है क्या उन्हें भी यह अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा क्योंकि उन्हें जो प्रतिकर मिला है वह इतना कम है कि वह साल भर में ही समाप्त हो जायगा ?

श्री जे० के० भोंसले : जी नहीं । जो नीति निर्धारित की गयी है उसके अनुसार ऐसे लोगों को गुज़ारा अनुदान देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जायेगा । परन्तु विशेष मामलों में उन्हें स्वविवेकाधीन निधि में से सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

सड़क बनाने की मशीनें

*१४३७. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सड़क कांग्रेस ने सरकार से यह सिफारिश की है कि वह भारत में डीज़िल तेल से चलने वाले सड़क कूटने के इंजनों (रोड रौलर), पत्थर कूटने की मशीनें (स्टोन क्रशर्स) तथा सड़क बनाने की अन्य मशीनों के निर्माण के लिये तुरन्त कार्यवाही करे ;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) इस सिफारिश पर क्या निश्चय किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २३]**

श्री गिडवानी : १९५१ से लेकर १९५५ तक प्रति वर्ष भारत में कितने मूल्य की उक्त मशीनें आईं।

***श्री कानूनगो** : १९५२ में ६७; १९५३ में ६२; और १९५४ में १ सड़क कूटने का इंजन बाहर से मंगाया गया। १९५५ में एक भी इंजन नहीं आया। १९५२ में मंगाये गये इंजनों का मूल्य २५,१२,००० रुपये, १९५३ में मंगाये गये इंजनों का मूल्य २३,२४,५०० रुपये और १९५४ में मंगाये गये इंजनों का मूल्य ३७,५०० रुपये था।

श्री गिडवानी : इन मशीनों के निर्माण के लिये जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है क्या वे सब भारत में मिल सकती हैं; यदि हां, तो क्या सरकार ने देश को इन मशीनों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनाने की कोई योजना बनाई है ?

श्री कानूनगो : वे यहां बनाये जा रहे थे। कुछ एकस्वाधिकार सरकार ने प्राप्त कर लिये हैं और वह इन अधिकारों को अन्य लोगों को, जो इसमें दिलचस्पी रखते हों, देने को तैयार है।

श्री राघवाचारी : बाहर से मंगाई जाने वाली मशीनों की कीमत की तुलना में देश में बनायी जाने वाली मशीनों की कीमत कैसी रहेगी ?

श्री कानूनगो : पिछले दिनों यह अनुभव किया गया है कि इन इंजनों का जहाज पर्यन्त मूल्य भारत में के निर्माण मूल्य के बराबर ही है।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सड़क बनाने की मशीनों के उत्पादन की दर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथों के विकास सम्बन्धी तथा अन्य योजनाओं के समनुरूप है ?

श्री कानुनगो : इस समय सड़क कूटने के इंजनों को छोड़ कर अन्य किसी मशीन की कोई विशेष मांग नहीं है।

इन्जीनियर

***१४४०. श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योग्य तथा अनुभवी इन्जीनियरों के अभाव में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि काम-दिलाऊ दफ्तरों के निदेशक के वक्तव्य के अनुसार लगभग एक हज़ार ऐसे इंजीनियर हैं जो दो सौ रुपये प्रति मास के वेतन पर काम करने को तैयार हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं, किसी किसी योजना में कभी कभी टेक्नीकल कर्मचारियों की अस्थाई कमी अवश्य अनुभव की जाती है किन्तु अवकाश प्राप्त योग्य अफसरों का अस्थाई रूप से उपयोग होने के कारण कार्य की प्रगति में कोई कमी नहीं आने दी गई है।

(ख) और (ग). काम दिलाऊ दफ्तर के निदेशक (डाइरेक्टर जनरल, रिसेटलमेन्ट और एम्पलायमेन्ट) के अनुसार नौकरी ढूंढने वाले इंजीनियरी के स्नातकों (ग्रेजुएट) तथा

*इस उत्तर को बाद में संशोधित किया गया। देखिये वाद-विवाद भाग २, दिनांक २४-११-५५।

सनद प्राप्त (डिपलोमा होलडर) लोगों की संख्या क्रमशः ५८२ और ५२८ है । इन्जीनियरी के स्नातकों में केवल ४८ प्रतिशत ही २०० रुपये प्रतिमास के वेतन पर कार्य करने को तैयार हैं । जबकि डिपलोमा वालों में ८७ प्रतिशत २०० रुपया प्रतिमास से कम वेतन वाले स्थानों पर काम करने को तैयार बताये जाते हैं । फिर भी उन में से अधिकांश विद्यालयों से नये नये आये हैं और कर्मचारियों की कमी आमतौर पर बड़े तथा अनुभवी टैक्नीकल स्थानों के लिये होती है । किन्तु प्रत्यक्ष अनुभव से मालूम हुआ है कि कुछ उम्मीदवार, जब उन्हें कोई नौकरी दी जाती है, नौकरी पर नहीं आते, क्योंकि, शायद तब तक उन्हें या तो कहीं और ले लिया जाता है या नौकरी की शर्तें उन्हें पसन्द नहीं आतीं । उदाहरण के लिये, जैसे बम्बई ने सूचित किया है, ओवरसियरों की ३५० जगहों के लिये विज्ञापन दिया गया था, जिसके उत्तर में ४६१ उम्मीदवारों ने अर्जियां भेजीं, इन में से ३६४ को नौकरियां दी गईं किन्तु केवल २० नौकरी पर आये ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी जो नदी घाटी योजनायें चालू हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो चालू होंगी, उनमें कितने टैक्नीकल विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ेगी ?

श्री हाथी : उनके लिए हम ने एक कमेटी नियुक्त की है, उसकी रिपोर्ट जब आ जायगी, तब सब मालूम हो जायगा ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या सरकार निश्चित् रूप से कह सकती है कि पांच वर्षों में जो इंजीनियरिंग कालिजेज़ से स्नातक निकलेंगे, उन सब को रोज़ी मिल जायगी ?

श्री हाथी : वह तो कमेटी की रिपोर्ट के आ जाने के बाद कुछ पता लगेगा ।

श्री कामत : १९४७ से प्रति वर्ष कितने व्यक्ति इंजीनियर बन कर भारतीय विश्वविद्यालयों से निकले हैं और उनमें से कितने हमारी नदी घाटी योजनाओं और अन्य योजनाओं में लगाये गये ?

श्री हाथी : यह कहना कठिन होगा क्योंकि इन लोगों को कार्य केवल सरकारी क्षेत्र में ही नहीं वरन् गैर-सरकारी क्षेत्र में भी दिया जाता है । प्रति वर्ष कोई ३,००० व्यक्ति कालिजों से इंजीनियर बन कर आए हैं और साधारणतः लगभग १,५०० से लेकर १,८०० व्यक्तियों को प्रति वर्ष कार्य दिया जा रहा है ।

श्री कामत : सरकारी क्षेत्र में या ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में या दोनों में ?

श्री हाथी : विभिन्न विभागों में ।

चाय का निर्यात

*१४४१. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष निर्यात की जाने वाली चाय की मात्रा में कमी करने का विनिश्चय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी नहीं ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या यह सच है कि नीलाम के लिये इंगलैण्ड भेजी जाने वाली चाय की मात्रा में इस वर्ष कमी कर दी गई है ?

श्री करमरकर : जी हां; ऐसा करने का विचार है ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह निर्णय किस कारण से किया है ?

श्री करमरकर : कारण यह है कि यह सोचा गया कि भारत में ही जितना अधिक नीलाम हो उतना अच्छा है । मैं

माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि वह चाय नीलाम समिति का प्रतिवेदन पढ़ें जिसमें इस सम्बन्ध में बहुत सी उपयोगी जानकारी दी हुई है ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या भारत में चाय की खपत बढ़ गई है ?

श्री करमरकर : जी हां; यह धीरे धीरे बढ़ रही है ।

छोटा नागपुर की कोयला खानों को विद्युत्

***१४४३. श्री एल० एन० मिश्र**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर की कोयला खानों को दामोदर घाटी निगम से विद्युत् मिलनी शुरू हो गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक मिलने लगेगी ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या इन कोयला खानों को विद्युत् किसी विशेष दर पर या कीमत में रियायत कर के दी जाती है या वही कीमत ली जा रही है जो अन्य लोगों से ली जाती है ।

श्री हाथी : दरें भिन्न-भिन्न होती हैं जिसका निर्धारण इस आधार पर होता है कि कौन कितनी विद्युत् ले रहा है ।

दृष्टांक (वीजा)

***१४४४. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिलांग स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतालय पाकिस्तान जाने वाले लोगों को दृष्टांक (वीज़ा) देने में प्राय: देर लगा देता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में पाकिस्तानी प्राधिकारियों से लिखापढ़ी करने का है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). भारत सरकार या आसाम सरकार को पाकिस्तान के शिलांग स्थित सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा दृष्टांक (वीज़ा) दिये जाने में देर लगने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि जिन लोगों ने दृष्टांकों (वीज़ा) के लिये शिलांग में आवेदन किया है उन्हें, यदि उनकी पाकिस्तानी वाणिज्यालय में किसी व्यक्ति तक पहुंच नहीं है, तो बहुत दिनों तक इन्तजार करना पड़ता है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्री सादत अली खां : जैसा कि मैं ने कहा, कोई शिकायत नहीं मिली है । माननीय सदस्य को इस से तसल्ली हो जानी चाहिये ।

सीने का धागा

***१४४७. श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में कितना "सीने का धागा" बाहर से मंगाया गया तथा कितना देश में तैयार किया गया; और

(ख) जहां तक सीने के धागे का सम्बन्ध है, देश की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९५४ में ३६०,०१२ पौंड सीने के धागे का आयात किया गया और ८,८८१,६०० पौंड देश में तैयार किया गया ।

(ख) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या कोई ऐसी योजना है कि देश में सीने का धागा पर्याप्त मात्रा में तैयार किया जाये ताकि देश की आवश्यकता पूरी हो सके ?

श्री कानूनगो : धागा देश में बनता है और वर्तमान उत्पादन क्षमता इतनी है कि और भी अधिक मात्रा में बन सकता है ।

श्री एच० जी वैष्णव : यह धागा किन देशों से आता है ?

श्री कानूनगो : मुख्य रुप से संयुक्त राज्य (ब्रिटेन) और इटली से ।

श्री एच० जी० वैष्णव : सीने का धागा देश के किन भागों में तैयार किया जाता है ? इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

श्री कानूनगो : अधिकांशतः पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में ।

श्रीमती जयश्री : क्या भारतीय धागे का प्रयोग करने वालों से कोई एसी शिकायत मिली है कि धागा मजबूत नहीं होता ? साधारणतः यह शिकायत की जाती है कि मशीन में यह प्रायः टूट जाया करता है ।

श्री कानूनगो : अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली है ।

इंजीनियरिंग कालिज

*१४४८. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री २७ अप्रैल, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में एक इंजीनियरिंग कालिज खोलने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी व्यवस्था की गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

श्री संगण्णा : क्या स्वयं उड़ीसा में इंजीनियरों की कमी है और यदि हां, तो उड़ीसा में नदी घाटी परियोजनाओं तथा अन्य औद्योगिक योजनाओं को कार्यान्वित करने की समस्या का समाधान कैसे होता है ?

श्री एस० एन० मिश्र : द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये अपने प्रस्ताव बनाने में उड़ीसा सरकार ने इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखा होगा ।

श्री संगण्णा : क्या उड़ीसा सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलिन के लिये अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरा ख्याल है माननीय सदस्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उल्लेख कर रहे हैं । उस सरकार ने हमें बताया है कि उनकी शिक्षा सम्बन्धी योजना में यह योजना पहिले से ही सम्मिलित की जा चुकी है ।

हैदराबाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र

*१४५०. **श्री जनार्दन रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए हैदराबाद राज्य में एक और केन्द्र खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्र में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) अब तक कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) से (ग) कदाचित माननीय सदस्य उस प्रस्ताव का उल्लेख कर रहे हैं जो खंड मान विस्तार अधिकारियों को सहकारिता में

प्रशिक्षण देने के लिए हैदराबाद में एक केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में था । यह मामला खाद्य और कृषि मंत्रालय के विचाराधीन है ।

श्री जनार्दन रेड्डी : माननीय मंत्री ने २४ सितम्बर को मेरे सवाल १२२८ का जवाब देते हुए फरमाया था कि वहां पर एक और सेन्टर खोला जायेगा । तो जब सेन्टर खोला जायेगा तो जो ब्लाक्स पहले दिए गए थे, उससे अब की मर्तबा दुगुने होंगे ?

श्री एस० एन० मिश्र: मैंने अपने जवाब में बताया है कि यह ट्रेनिंग सेन्टर ब्लाक लेवल एक्स्टेन्शन आफिसर्स इन कोआपरेशन के लिये होगा, साहकार के काम के लिये, और उसके चार केन्द्र वहां पहले से काम करते हैं जो कि खासकर साहकार के काम के लिये हैं ।

श्री हेडा : साहकार के लिए ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह ट्रेनिंग सेन्टर जो ब्लाक लेवल एक्स्टेन्शन आफिसर्स हैं खासकर उनके लिये हैं और उस पर फूड ऐंड ऐग्रिकल्चर मिनिस्ट्री ग़ौर कर रही है ।

श्री हेडा : इस तथ्य के विचार से कि हैदराबाद सरकार गांवों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का अभाव महसूस कर रही है और इस कारण राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों का कोटा आरम्भ करने में असमर्थ है, क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए दूसरा केन्द्र शीघ्र खोला जायेगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह पूर्वानुमान कि हम गांवों में काम करने वाले कर्मचारियों के अभाव के कारण राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को आरम्भ करने में असमर्थ हैं ठीक नहीं है, क्योंकि अब तक हम उस कारण नहीं रुके पड़े हैं ।

श्री जनार्दन रेड्डी : यह ब्लाक्स जो स्टेट्स को दिये जाते हैं वह बराबर तकसीम होते हैं या नहीं, इस को देखने के लिये माननीय मंत्री क्या कोई निगरानी रखते हैं, जैसे कि हैदराबाद गवर्नमेन्ट मनमानी तौर पर उनको तकसीम कर रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र : अगर माननीय सदस्य का यह विचार है कि जो बटवारा होता है विस्तार खंड योजनाओं के बारे में वह न्यायपूर्ण ढंग से होता है या नहीं, तो इस के सम्बन्ध में ऊपर का कोई न्यायालय नहीं है, वह तो विचार विमर्श करके आपस में किस तरह से राज्य सरकार अपनी योजनाओं को चालू कर सकती है और क्या करना चाहिये, इन सब बातों के आधार पर होता है, इसके लिये कोई न्यायालय नहीं है ।

श्री जनार्दन रेड्डी : क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि जिस वक्त गवर्नमेंट इन ब्लाक्स को स्टेट में तकसीम करती है, उस वक्त स्टेट पार्लियामेंट के मैम्बरों से कोई मशविरा नहीं लिया जाता है, जैसे कि हैदराबाद गवर्नमेंट ने किया है, इस के लिये यहां की गवर्नमेन्ट क्या तजवीज कर रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र : पार्लियामेंट के मेम्बरान या दूसरे जो भाई हैं उनका सहयोग तो प्रोजेक्ट ऐडवाइज़री कमेटी में लिया जाता है जिसमें प्रोजेक्ट तय होती है । यह बटवारा किस कदर हो, इसमें भी पार्लियामेन्ट के मेम्बरों की राय ली जाय, यह तो एक नया सुझाव है ।

डा० सुरेश चन्द्र : यह जो केन्द्र, आपने कहा कि खोलने वाले हैं, वह औरंगाबाद में खोलने का विचार है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं उसके स्थान का निर्देष नहीं कर सकता ।

श्री आर० एस० दीवान : केन्द्रीय सरकार ने बांध बनाने के लिए हैदराबाद सरकार को ३० लाख रुपये दिये थे परन्तु टेक्नीकल व्यक्तियों की कमी के कारण यह राशि विगत तीन वर्षों में व्यय नहीं हुई है । म जानना चाहता हूं कि क्या इन प्रशिक्षण केन्द्रों में

प्रशिक्षित अधिकारी बांध बनाने के कार्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध होंगे ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका सम्बन्ध सहकारिता से है ।

आदिम जातियों का कल्याण

*१४५१. **श्री देवगम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए आदिम जातियों को शिक्षा के सम्बन्ध में राज्य के कुछ उन्नत लोगों के बराबर लाने के लिए शिक्षा के विकास की दृष्टि से उन्हें सर्वसम्भाव्य सहायता देने की कोई विशिष्ट योजनायें बनाई हैं ।

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): जी हां ।

श्री देवगम : क्या यह सत्य है कि पिछले दो वर्षों के दुर्भिक्ष के कारण वहां के लोगों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में भी बहुत मुश्किल हो रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, बिहार के उस हिस्से में सूखे के कारण बहुत परेशानियां हैं और यह ज़ाहिर है कि उनकी वजह से वहां के बच्चों की शिक्षा पर भी असर होता होगा ।

श्री देवगम : क्या उस इलाके में जहां दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है कोई विशेष सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : राज्य सरकार तात्कालिक सहायता क्या देना चाहती है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है । हमारा विचार है कि जरूर कोई ऐसे उपाय किए गए होंगे जिनसे कि इन लोगों की मदद हो । लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में उन लोगों की शिक्षा दीक्षा के लिए काफी इंतज़ाम करने की बात को ध्यान में रखा गया है ।

श्री देवगम : क्या केन्द्रीय सरकार इस विषय में कोई आदेश राज्य सरकार को देगी ?

श्री एस० एन० मिश्र: जहां तक योजना कमीशन का ताल्लुक है, योजना कमीशन पिछड़े हिस्सों के लिए और पिछड़े भाइयों की भलाई के लिये काफी ज़ोर देती है और योजना कमीशन के यही विचार राज्य सरकारों को भी बतलाए जाते हैं ।

चाय उद्योग

*१४५२. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २७ अप्रैल १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २६२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज़िला कांगड़ा (पंजाब) में चाय उद्योग के विकास के लिए सरकार ने तत्पश्चात् कोई योजनायें निश्चित की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री हेमराज : पिछली बार जब यह प्रश्न पूछा गया था माननीय मंत्री ने मुझे बताया था कि यह मामला चाय बोर्ड के विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूं कि चाय बोर्ड की सिफारिशें क्या हैं ?

श्री करमरकर : सितम्बर १९५४ में पंजाब सरकार ने इस मामले में चाय बोर्ड से वित्तीय सहायता मांगी थी । बाद में हमने दो अधिकारी भेजे और २३ अप्रैल १९५५ को पालमपुर, जिला कांगड़ा में हुई चाय बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में चाय बोर्ड और सदस्यों ने स्थानीय बगान मालिकों से विचार विनिमय किया था तब यह पता लगा कि

पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता है और मैं देखता हूं कि ज़िला उद्योग अधिकारी ने एक योजना प्रस्तुत करने का वचन दिया है। अब, ये सारे मामले विचाराधीन हैं।

श्री विश्व नाथ राय : क्या देश के किसी नवीन क्षेत्र में चाय बगान सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री करमरकर : ज़िला कांगड़ा में या और कहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि वह ज़िला कांगड़ा का उल्लेख कर रहे हैं, अन्यथा यह एक बहुत ही विस्तृत प्रश्न है।

श्री विश्व नाथ राय : मेरा अभिप्राय है कि पंजाब में कोई भी नवीन क्षेत्र।

अध्यक्ष महोदय : अतः, प्रश्न सीमित है।

श्री करमरकर : एक दम यह बताना कठिन है कि पंजाब सरकार का विचार चाय बगान का विस्तार करने का है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्री हेम राज : ज़िला कांगड़ा के छोटे छोटे चाय उत्पादकों में सहकारिता उत्पन्न करने के लिए चाय बोर्ड ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री करमरकर : निस्सन्देह मेरे मित्र देखेंगे कि सहकारी प्रयत्न मुख्यतः राज्य सरकार का विषय है; परन्तु यदि राज्य सरकार कोई कार्यवाही करती है और यदि कोई लाभदायिक योजना प्रस्तुत की जाती है तो हम सहर्ष सहायता देंगे। वास्तव में, ज़िला उद्योग अधिकारी ने कांगड़ा ज़िला के चाय उत्पादकों की दशा में सुधार करने के लिए एक योजना प्रस्तुत करने का वचन दिया है। मैं यह भी कहूंगा कि मैं क्षेत्र का भ्रमण करने और स्वयं यह देखने कि वहां पर क्या कठिनाइयां हैं, का माननीय सदस्य का आमन्त्रण भूला नहीं हूं।

श्री के० पी० त्रिपाठी : अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के सम्बन्ध में क्या रहा ? उस करार के अधीन चाय के नये उद्यानों की एक सीमा निर्धारित की गई है। यदि वह प्रचलित नहीं है तो क्या अब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार चाय की पौद लगा सकता है या कोई प्रतिबन्ध हैं ?

श्री करमरकर : ज़िला कांगड़ा में या बाहर ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : देश में कहीं भी।

श्री करमरकर : पूर्व सूचना के बिना मैं इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं हूं। ज़िला कांगड़ा के बाहर की सूचना के सम्बन्ध में मैं पूर्णतया तैयार नहीं हूं और यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में एक प्रश्न की सूचना दें तो मैं उसका उत्तर दे सकूंगा।

बर्मा और मलाया से निष्क्रमणार्थी

*१४५३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सरकार की वित्तीय सहायता योजना के अधीन बर्मा और मलाया के निष्क्रमणार्थियों को कुल कितना धन दिया गया है ;

(ख) अब तक उनसे कितना धन पुनः प्राप्त हो गया है ; और

(ग) क्या कुछ धन का अपलेखन करने अर्थात् छोड़ देने की सम्भावना है और यदि हां, तो कितनी राशि की ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) बर्मा, मलाया, आदि के निष्क्रमणार्थियों को कुल ७,१७,९७,९०० रुपये दिये गये।

(ख) अब तक लगभग २०,००,००० रुपये पुन: प्राप्त हो गये हैं।

(ग) लगभग ४८,७१,५१६ रुपयों का पहिले ही अपलेखन हो चुका है। आगे जब यह देखा जायेगा कि निष्क्रमणार्थी धन का भुगतान नहीं कर सकता तो धन का अपलेखन किया जायेगा।

सरदार इकबाल सिंह : क्या इन भारतीयों को, जिन्हें सिंगापुर, मलाया और बर्मा में इस बीच में हानियां हुईं, कुछ वित्तीय सहायता देने का सरकार का कोई विचार है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मैं प्रश्न पूर्णतया नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : क्या सिंगापुर मलाया और बर्मा में हानि उठाने वाले लोगों को कोई क्षतिपूर्ति देने का विचार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ये युद्धकालीन भुगतान हैं जो वहां अनेकों भारतीयों को किये गये थे। समूची योजना १९४८ में समाप्त हो गई थी। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किसका उल्लेख कर रहे हैं। क्या यह कोई बाद की बात है ?

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को विदित है कि इन दो देशों की सरकारों ने अपने लोगों को कुछ क्षतिपूर्तियां दी हैं, जैसे अंग्रेज़ों को उस हानि के लिये जो उन्हें युद्धकाल में हुई कुछ क्षतिपूर्ति दी गई है, और यदि हां, तो क्या भारत सरकार उन भारतीयों को, जिन्हें युद्ध-काल में हानि पहुंची, कुछ क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं प्रश्न नहीं समझ सका हूं। यह बड़ा ही भ्रमात्मक है। क्या माननीय सदस्य युद्धकाल का उल्लेख कर रहे हैं या बाद के काल का ?

अध्यक्ष महोदय : युद्ध काल।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सात करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। मैं नहीं जानता कि इस मामले में माननीय सदस्य हम से और क्या करने की आशा करते हैं। मैं यह बता दूं कि यह समूची कार्यवाही स्वतन्त्रता के पूर्वकाल में की गई है।

ट्रेक्टरों का निर्माण

*१४५५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को ट्रेक्टरों तथा उन के भागों के निर्माण के लिये फरीदाबाद में एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब स्थापित होगा; और

(ग) वहां प्रति वर्ष कितने ट्रेक्टर भागों को जोड़ कर तैयार किये जायेंगे तथा कितनों का निर्माण किया जायगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). जी हां। उद्योग (विकास तथा नियम) अधिनियम के अधीन एक प्रार्थना पत्र फरीदाबाद में प्रति वर्ष १२०० ट्रेक्टरों तथा उनके भागों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। इस पर कोई अन्तिम कार्यवाही नहीं की गई है।

डा० रामसुभग सिंह : इस ट्रेक्टर निर्माण केन्द्र को खोलने के लिये किस उपक्रम ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को प्रार्थनापत्र भेजा है ?

श्री कानूनगो : मेसर्स प्रेम नाथ एण्ड कम्पनी ने।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस फ़र्म के साथ कोई विदेशी उपक्रम भी सम्मिलित है और यह कारखाना कब तक खुलेगा ?

श्री कानूनगो : अभी यह मामला विचाराधीन है और उन्होंने अपने विदेशी सहयोगियों के साथ बातचीत समाप्त नहीं की है । सरकार ने भारत में ट्रेक्टरों की आवश्यकता का पता लगाने के लिये एक समिति नियुक्त की है और यह सूचना एकत्रित होने के पश्चात इस विषय पर विचार किया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : उस समिति के निर्देश पदों में यह ज्ञात करना भी सम्मिलित है कि क्या यहां केवल ३० अश्व शक्ति के ही ट्रेक्टर नहीं अपितु छोटे छोटे ट्रेक्टर भी बनाये जा सकते हैं ?

श्री कानूनगो : समिति के निर्देश पदों में विभिन्न अश्व शक्ति वाले ट्रेक्टरों की वार्षिक आवश्यकता सम्मिलित है ।

श्री गाडिंलिगन गौड : विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के तथा व्यक्तिगत कृषकों के प्रयोग न हो सकने वाले ट्रेक्टरों की मरम्मत के लिये, क्या सरकार का विचार कारखाने खोलने का है ?

श्री कानूनगो : यह राज्य सरकारों का विषय है ।

श्री नानादास : इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

श्री कानूनगो : अभी इस की गणना नहीं की गई है ।

शंघाई नगरपालिका परिषद्

*१४५६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** १४ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन गणतन्त्र सरकार शंघाई नगरपालिका परिषद् के भूतपूर्व भारतीय कर्मचारियों के दावों के निबटारे के लिये सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इन कर्मचारियों को आंशिक भुगतान कर दिया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) शंघाई नगरपालिका परिषद् के इन भूतपूर्व कर्मचारियों को हुई कठिनाई को कम करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने विगत जून में इन व्यक्तियों में से प्रत्येक को उपदान, भुगतान न हुए वेतन और दीर्घावकाश वेतन के सम्बन्ध में कुछ निश्चित दावे का २५ प्रतिशत तक अनुग्रहत् भुगतान करना स्वीकार किया था । प्रत्येक मामले में इस भुगतान की अधिकतम मात्रा १००० रुपये और न्यूनतम मात्रा २५० रुपये थी, और जहां कुल दावा केवल २५० रुपये से कम हो, वहां वास्तविक देय राशि का भुगतान किया जायेगा । राज्य सरकारों से सम्बद्ध व्यक्तियों को ये भुगतान करने के लिये कहा गया है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : शंघाई नगरपालिका परिषद् के भूतपूर्व भारतीय कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरा ख्याल है कि सन्निहित व्यक्तियों की संख्या लगभग १००० है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस उद्देश्य के लिये कुल कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : केवल २५ प्रतिशत । उन के दावों का कुल धन लगभग ४,५०,००० रुपये है ।

श्री कामत : इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीन गणतन्त्र की सरकार ने दावों का भुगतान करने से अन्तिम रूप में मना कर दिया है, या यह मामला अब भी उन के विचाराधीन है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां। उन्होंने भुगतान करने से मना नहीं किया है। वे मामलों की जांच कर रहे हैं। ऐसे अनेकों मामले हैं जो सरकार के पास लम्बित पड़े हैं।

कोयला

*१४५८. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के बीच कोयले के वितरण का क्या आधार है; और

(ख) विभिन्न श्रेणी के कोयले का वर्गीकरण कौन करता है और कौन मूल्य निर्धारित करता है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) कोयले का कोटा विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों तथा उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार निर्धारित किया जाता है न कि इस प्रकार विभिन्न राज्यों के लिये। समस्त कोटा प्रस्वीकृत हो जाने के पश्चात्, उद्योग या उपभोक्ताओं को, परिवहन साधनों की प्राप्यता के ऊपर निर्भर रहते हुए, संभरण की व्यवस्था की जाती है।

(ख) कोयले का वर्गीकरण कोयला बोर्ड करता है। कोयले का मूल्य सरकार निर्धारित करती है।

श्री एल० एन० मिश्र : कुछ राज्यों ने यह शिकायत क्यों की है कि उन्हें समय पर उनका कोटा नहीं मिला है, और उनका कोटा उनकी आवश्यकता अभाव की परिस्थितियां आदि के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : कोटा राज्य सरकारों से परामर्श लेने के पश्चात् निर्धारित किया जाता है। एक राज्य कोयला नियन्त्रक है जो राज्य विशेष में कोयले की आवश्यकता का प्रस्तावक अधिकारी है। बटवारों और प्राथमिकताओं का निश्चय केन्द्रीय सरकार करती है। कोयला आयुक्त राज्य सरकारों की सिफ़ारिशों और परिवहन साधनों की प्राप्यता का भी ध्यान रखता है। मैं नहीं समझता कि किसी राज्य में अभाव है, और यदि सरकार को इसकी सूचना दी जाती है, तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि परिवहन साधनों के अभाव के कारण संभरण थोड़ा हुआ है, और यदि हां, तो क्या इन दो वर्षों में परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के लिये कोई विशेष प्रयास किये गये हैं, और यदि हां, तो क्या विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : एक स्थान से दूसरे स्थान को माल डिब्बों के शीघ्र आने जाने को सुनिश्चित बनाने का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न की पूर्वसूचना दें, तो मैं उन्हें विस्तृत विवरण दे सकूंगा। साधारणतया मैं यह कह सकता हूं कि आजकल कोयला की खानों से प्रति दिन जितने माल के डिब्बों में दो वर्ष पूर्व कोयला लादा जाता था उनकी अपेक्षा आजकल अधिक डिब्बों में कोयला लादा जाता है।

श्री नानादास : कोयले के व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग या आवश्यकता का निर्धारण सरकार कैसे करती है ?

श्री सतीश चन्द्र : उपभोक्ता कई प्रकार के हैं और इन में प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ता भी, जैसे रेलवे, सम्मिलित हैं। कुछ उद्योगों की मांग स्थायी प्रकार की होती है जबकि कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनकी मांग घटती बढ़ती रहती है। अतः, केन्द्र में और राज्यों में प्रस्तावक अधिकारी इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। कुछ अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये, मांग का प्रस्ताव केन्द्र में प्रस्तावक अधिकारी देता है। इन सब मांगों और परिवहन साधनों की प्राप्यता पर ध्यान देने के पश्चात्, विभिन्न

उद्योगों और उपभोक्ताओं को कोटा बांटे जाते हैं ।

दिया सिलाई के कारखाने

*१४५९. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल हैदराबाद राज्य में दियासलाई के कितने कारखाने हैं;

(ख) क्या वे सब काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). हैदराबाद राज्य में दियासलाई के १३ कारखाने हैं, परन्तु लगभग वे सब वित्तीय कठिनाइयों और अलाभप्रद रूप में काम करने के कारण बन्द हो गये हैं, ऐसी सूचना मिली है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या राज्य सरकार के पास ये निदेश हैं कि वे उन्हें कुछ सहायता दे कर उन कारखानों के प्रबन्धकों से कार्यारम्भ करने को कहें ?

श्री कानूनगो : हैदराबाद के एक ज़िला विशेष से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और राज्य सरकार उस मामले पर विचार कर रही है । परन्तु वास्तविकता यह है कि अधिकांश प्रबन्धक लोग वहां से चले गये हैं और अन्तिम उत्पाद पर शिवकाशी से बड़ी स्पर्धा है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या सरकार को विदित है कि ज़िला औरंगाबाद में विज़गपुर में दियासलाई का एक बड़ा कारखाना बन्द हो गया है क्योंकि मालिक छः वर्ष पूर्व पाकिस्तान चला गया था ?

श्री काननगो : हो सकता है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या इस उद्योग को कुटीर उद्योग बनाने की कोई योजना है और क्या इस सम्बन्ध में हैदराबाद में कुछ प्रयास आरम्भ किये गये हैं ?

श्री कानूनगो : आज प्रयास यह है कि यथासम्भव अधिक कुटीर उद्योग आरम्भ किये जायें, और हैदराबाद सरकार की एक प्रस्थापना स्वीकार हो गयी है ।

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि एक कठिनाई बाज़ार का अभाव है, क्योंकि विमको सब से बड़ा समवाय है और भारत में ९० प्रतिशत बाज़ार पर इसका नियन्त्रण है ?

श्री कानूनगो : हां, परन्तु भिन्नक उत्पादन शुल्क के लगाने से, उस बात का ध्यान रखा गया है, और कुटीर उद्योग में उत्पादन में प्रगतिशील वृद्धि हो रही है ।

रंगाई की मशीनें

*१४६१. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगाई उद्योग की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत में मशीनों का उत्पादन पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इस काम के लिये कहां से मशीनें प्राप्त की जा रही हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, केवल कुछ विशेष प्रकार की मशीनें ही आयात करनी पड़ती हैं ।

(ख) रंगाई कारखानों की कुछ विशेष मशीनें ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और सीमित तौर पर डेन्मार्क तथा बेल्जियम से मंगायी जाती हैं ।

(ग) जो देशी निर्माता इन विशेष मशीनों का निर्माण करना चाहते हैं, इस्पात की उपलब्धि तथा बिजली देने में उनकी सहायता की जाती है ।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रंगाई उद्योग की मशीनों की उत्पत्ति के लिये कितनी धन-राशि इकट्ठी की जायगी ?

श्री कानूनगो : जितनी ज़रूरत है, वे तो बन सकती हैं और बनती हैं और ज्यादा स्पैशलाइज़्ड एक्विपमेंट बनाने के लिये कोई ज्यादा मांग नहीं है ।

श्री आर० एस० तिवारी : रंगाई मशीनों से सम्बन्धित यह काम कब तक पूरा हो जायेगा, जब कि बाहर से मशीनें न मंगानी पड़ेंगी ?

श्री कानूनगो : जो स्पेशलाइज़्ड टाइप आफ मशीन्ज़ हैं, उनकी मांग हमारे मुल्क में इतनी कम है कि उनको बनाने में नफा नहीं होगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों से हर साल कितने रुपये के रंग मंगाये जाते हैं ?

श्री कनूनगो : रंग का सवाल दूसरा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल रंग के बारे में नहीं है । यह सवाल मशीनरी के बारे में है ।

प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें

*१४६४. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार से "प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी साधारण करार" के अन्य पक्षों ने अनेकों वस्तुओं पर प्रशुल्क सम्बन्धी रियायती के लिये प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो किन किन वस्तुओं पर रियायत मांगी गई है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विन्ध्य प्रदेश में रेडियो स्टेशन

*१४३८. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ११ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विन्ध्य प्रदेश में कब तक एक रेडियो स्टेशन के खोले जाने की संभावना है;

(ख) वह कहां पर होगा; और

(ग) अनुमानतः उस पर कितना व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) से (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नक्शे में विन्ध्य प्रदेश में एक रेडियो स्टेशन खोलने का सुझाव भी शामिल कर लिया गया है ।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन सा स्थान होगा, जहां रेडियो स्टेशन खोला जायेगा ?

डा० केसकर : सिद्धान्त रूप से यह मान लिया गया है कि वह एक स्थान पर होगा । वह किस स्थान पर होगा, यह अभी तय नहीं किया गया है । यह उसी समय तय होगा, जब कि प्लानिंग कमीशन सारी पंचवर्षीय योजना मान लेगा ।

सामुदायिक रेडियो सैट

*१४४६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५-५६ में सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो सैट लगाने के लिये मध्य प्रदेश की सरकार को कुछ सहायक अनुदान देने का विचार है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा कोई योजना भेजी गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि की मांग की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता योजना में सन् १९५५-५६ के लिये ४०० पंचायती रेडियो सैट मांगे हैं । मध्य प्रदेश सरकार को फी रेडियो सैट १५० रुपये के हिसाब से या सटों के कुल दाम का ५० प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जायगा ।

श्री के० सी० सोधिया : एक एक सैट का सालाना खर्चा कितना होता होगा मय उसकी कीमत के ?

डा० केसकर : सैट्स का दाम सवा सौ से डेढ़ सौ रुपये तक होता है लेकिन कम्युनिटी सैट्स में सैट के अलावा कुछ एक्सेसरी यंत्रों की भी ज़रूरत होती है जैसे लाउड स्पीकर वगैरह । सब मिला कर दो सौ से तीन सौ रुपये तक दाम हो जाता है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस में गांव वालों को भी कुछ मदद देनी पड़ेगी ?

डा० केसकर : सैंट्रल गवर्नमेंट स्टेटों को यह दे देती है । यह उनके ऊपर है कि वे गांव वालों से पैसा लें, या उनको मुफ्त में भी दे दें । बहुत सी सरकारें गांव वालों को वैसे भी दे देती हैं, कुछ आधा दाम लेती हैं । भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तरीका अपनाया जाता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अलावा और किन किन राज्यों ने ऐसे सैट्स मांगे हैं और सरकार ने देने का बचन दिया है ?

डा० कंजरू : सब से ज्यादा उत्तर प्रदेश ने मांगे हैं और उनको दे भी दियेगये हैं । इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, ट्रावनकोर-कोचीन और आसाम ने भी मांगे हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : एक एक सैट कितने कितने गांवों की ज़रूरत पूरी करेगा ?

डा० केसकर : वह सुनने वालों की ज़रूरत पूरी करेगा ।

श्री कामत : मध्य प्रदेश में इन सैटों के वितरण के बारे में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सलाह देती है या नहीं ?

डा० केसकर : जब हम यहां से राज्य सरकारों को सैट देते हैं तो हमारा उनको यही आदेश होता है कि सैट्स की मरम्मत और रोज़मर्रा के चलने के बारे में राज्य सरकारों को कोई व्यवस्था करनी चाहिये । खाली सैट देने से काम नहीं होता । लेकिन हमेशा यह देखना कि राज्य सरकारें इस मामले में क्या कर रही हैं बहुत कठिन है । तब भी जहां तक हो सकता है हम यह देखते हैं कि सैटों की मरम्मत के लिये और उनका रोज़मर्रा का चलना देखने के लिये इंस्पेक्टर या मिकैनिक वग़ैरह नियुक्त किये जायें ।

श्री विभूति मिश्र: क्या केन्द्रीय सरकार विविध स्टेटों को मांगने पर ही सैट देती है या केन्द्रीय सरकार हर एक स्टेट सरकार के लिये अपनी तरफ से कोटा एलाट करती हैं ?

डा० केसकर : मांगने पर देती है, मगर उसकी बिना यह है : सब राज्यों के इनफार-मेशन मिनिस्टरों और डाइरेक्टर्स आफ इन-फारमेशन की यहां एक सभा हुई थी। उसके अनुसार हर एक स्टेट ने अपना अपना कोटा बांध लिया था कि हम को इतनी आवश्यकता पड़ेगी। उस पर उन सब को सूचना दे दी गयी कि अब सैट तैयार हो सकते हैं और मिल सकते हैं, आपको जब जरूरत हो फौरन मंगा लें।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या विन्ध्य प्रदेश ने अपना कोटा बांधा हुआ है ?

रबर का कारखाना

*१४४९. **श्री पुन्नूस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २४८८ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में, ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में, गुडरिच के एक विदेशी उपक्रम के साथ मिलकर एक रबर का कारखाना खोलने के लिये कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रार्थी कौन हैं; और

(ग) उन्होंने किन किन निबन्धन व शर्तों की प्रस्थापना की है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). त्रावनकोर-कोचीन राज्य में एक रबर का कारखाना खोलने के लिये एक फर्म के प्रतिनिधि से कुछ विचार विमर्श हुआ है उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन एक औपचारिक प्रार्थनापत्र की प्रतीक्षा है।

श्री पुन्नूस : क्या इसके लिये विदेशी फ़र्म ने प्रार्थना की है ?

श्री कानूनगो : नहीं, यह एक भारतीय फ़र्म है जिसे विदेशी सहयोग प्राप्त है।

श्री पुन्नूस : उसमें कितनी पूंजी भारतीय होगी और कितनी विदेशी ?

श्री कानूनगो : यह मामला अभी विचार विमर्श की स्थिति में है और अभी निश्चित नहीं हुआ है।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार के समक्ष त्रावनकोर-कोचीन के वर्तमान रबर के कारखाने में टायर बनाने की कोई प्रस्थापना है और क्या यह भी सच है कि यह प्रस्थापना विदेशी समवाय के साथ इस गठबन्धन के कारण टाला जा रहा है ?

श्री कानूनगो : त्रावनकोर-कोचीन राज्य की ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

श्री पुन्नूस : क्या यह सच नहीं है कि रबर के कारखाने के अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया गया था और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी और एक निश्चित प्रस्थापना की गई थी कि १२,००० टायर प्रति वर्ष बनाये जा सकते हैं ?

श्री कानूनगो : यदा कदा विचार विमर्श होते रहे हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई निश्चित प्रस्थापना नहीं है।

श्री नानादास : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से प्रार्थनापत्र मांगेगी ?

श्री कानूनगो : केन्द्रीय सरकार सारी राज्य सरकारों की प्रस्थापनाओं का स्वागत करती है।

श्री पुन्नूस : क्या केवल एक....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य लगभग आधी दर्जन अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री पुन्नूस : मैं केवल एक प्रश्न और पूछूंगा। क्या रबर का कारखाना खोलने के लिये एक ही प्रार्थनापत्र मिला है या एक से अधिक ?

श्री कानूनगो : अभी कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है । यह केवल एक प्रस्थापना है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची समाप्त हुई ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रासायनिक उर्वरक का आयात

*१४३२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि १९५५--५६ में किस किस्म के तथा कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरक आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २४**]

फिल्म कथानक का विवाचन

*१४३४. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चलचित्रों का विवाचन चलचित्र के तैयार हो जाने के बाद करने की वर्तमान पद्धति के स्थान पर यह पद्धति लागू करने का विचार कर रही है कि विवाचन कथानक तैयार होने के समय किया जाये; और

(ख) क्या भारतीय चलचित्र निर्माता संघ ने सरकार से कथानक के विवाचन की प्रार्थना की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ऐसा विचार है कि राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड में कथानक का पूर्व-विवाचन मंत्रणा के तौर पर किया जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

भाखड़ा बांध

*१४३५. **डा० सत्यवादी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध की नींव की गहराई के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विद्युत् परियोजनायें

*१४३९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विद्युत् परियोजनाओं की स्थिति देश के विभिन्न भागों में उद्योगों के प्रसार की अपेक्षाओं से कहां तक संगत है;

(ख) इन परियोजनाओं का स्थान निश्चित करने में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धित मंत्रालयों की सम्मति किस हद तक ली जाती है;

(ग) क्या समय समय पर विभिन्न स्थानों पर विद्युत् की आवश्यकता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के सर्वेक्षण कौन करता है; और

(ङ) क्या सरकार, विद्युत् के रोशनी तथा औद्योगिक कार्यों के लिये प्रयोग किय जाने के सम्बन्ध में अनुपात निश्चित करने का विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८ अनुबन्ध संख्या २५**]

राजेन्द्र नगर के क्वार्टर

*१४४२. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजेन्द्र नगर के क्वार्टरों को रखने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कागज़ी दियासलाई का कारखाना

*१४४५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फरीदाबाद (पंजाब) में एक कागज़ी दियासलाई का कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक अनुमति दे दी गई है; और

(ग) प्रस्थापित कारखाने की कुल कितनी उत्पादन क्षमता होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). जी हां, विषय विचाराधीन है ।

निर्यात व्यापार

*१४५४. **श्री भागवत झा आज़ाद** : **श्री पी० रामस्वामी** :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २६**]

विस्थापित व्यक्तियों के दावे

*१४५७. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विस्थापित व्यक्तियों में, उनके दावे तय करने में देरी के कारण कुछ असंतोष है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन दावों के निबटारे में देरी न होने देने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख). प्रतिकर के भुगतान में देरी रोकने के लिये प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की जा रही है ।

कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग

*१४६०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये दिल्ली राज्य सरकार के लिये कुल कितना धन स्वीकार किया गया;

(ख) क्या राज्य सरकार से इस धन के उपयोग के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो धन का किस प्रकार उपयोग किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ४८,१०० रुपये ।

(ख) और (ग). यह अनुमान केवल २ सितबम्र, १९५५ को ही स्वीकृत किया गया था ।

सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

*१४६२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक परियोजनाओं, सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में अभी तक साक्षरता की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) जून, १९५५ तक, इन तीन क्षेत्रों में कितने स्कूल खुले ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) सामुदायिक परियोजनाओं, सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में मार्च १९५५ तक की कालावधि में, साक्षरता की प्रतिशतता में लगभग ३ प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

(ख) मार्च, १९५५ तक ८,४३१ नय प्राथमिक, तथा माध्यमिक स्कूल और २२,०५४ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये तथा २,५०५ साधारण स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया गया ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

*१४६३. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने उन विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर के भुगतान को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है जो सरकारी पैसे का भुगतान सर्वदा शीघ्रता से करते रहे हैं ?

पुनर्वास **मंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : जी नहीं ।

श्री लंका को भारतीय कपड़ा प्रतिनिधि मंडल

*१४६५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व एक भारतीय कपड़ा प्रतिनिधि मंडल श्री लंका तथा पड़ौसी देशों को वहां के कपड़ा बाज़ार का अध्ययन करने गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कौन थे;

(ग) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् का एक प्रतिनिधि मंडल कुछ दिन पूर्व श्री लंका सहित पूर्व एशिया के देशों को गया था ।

(ख) प्रतिनिधि मंडल के ये सदस्य थे :

(१) श्री सी० सी० ज्वेरी
(२) श्री अरविंद नरोत्तम सेठ
(३) श्री एम० एन० सवानी
(४) श्री टी० पी० बारट
(५) श्री पी० के० नगरसेठ

(ग) सरकार को अभी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उर्वरक कारखाने

७५४. **श्री के० पी० सिन्हा** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में कितने उर्वरक कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(ख) वे किन स्थानों पर स्थापित होंगे ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). लोक-सभा में अन्य प्रश्नों के उत्तर में बताया जा चुका है कि भाखड़ा-नंगल क्षेत्र में एक नाइट्रोजेनस उर्वरक कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है। नाइट्रोजेनस उर्वरकों के उत्पादन के लिये कितने अतिरिक्त कारखाने स्थापित किये जायें तथा कहां कहां, इस प्रश्न पर सरकार अभी विचार कर रही है।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

७५५. श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक बिहार में कितने विस्थापित व्यक्ति पुनर्वासित हुए; और

(ख) वहां और कितने व्यक्ति पुनर्वासित किये जायेंगे ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ७८,८५५।

(ख) जिन विस्थापित व्यक्तियों को सहायता की आवश्यकता थी उनको पुनर्वास की सुविधायें दी गई हैं। यदि किसी नये विस्थापित व्यक्ति का मामला सरकार की सूचना में आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

बिहार में सड़कें

७५६. श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में अभी तक कुल कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गईं तथा प्रत्येक वर्ष में अलग अलग कितने मील लम्बी सड़कें तैयार की गईं; और

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां ये सड़कें बनाई गई हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २७**]

पाकिस्तान में पुण्य स्थान

७५७. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अभी तक, कितने भारतीय तीर्थयात्री पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित पुण्य स्थानों को गये; और

(ख) वे किन पुण्य स्थानों को गये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २८**]

स्लेट

७५८. श्री इब्राहीम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन स्थानों पर स्लेट के कारखाने स्थापित हैं; और

(ख) भारत के किन स्थानों पर स्लेट का पत्थर पाया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २९**]

निबटारा करने वाला कर्मचारीवर्ग

७५९. श्री इब्राहीम : क्या **पुनर्वास** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित लोगों की कुल संख्या बताई गई हो :—

(१) निबटारा आयुक्त

(२) सहायक निबटारा आयुक्त

(३) निबटारा पदाधिकारी; और

(४) मुख्य निबटारा आयुक्त के अधीन आजकल काम करने वाले सहायक निबटारा पदाधिकारी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें १ सितम्बर, १९५५ तक की अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३०**]

व्यापार प्रदर्शनियां और मेले

७६०. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री गिडवानी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित दिखाया गया हो :

(क) अक्टूबर, १९५४ से जून, १९५५ तक के काल में भारत ने किन किन देशों की वाणिज्यिक प्रदर्शनियां और मेलों में भाग लिया;

(ख) उक्त प्रदर्शनियां और मेले किन किन स्थानों पर हुए थे, और वहां पर कौन कौन सी भारतीय वस्तुयें सब से अधिक पसन्द की गईं;

(ग) उन पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) ऐसी प्रदर्शनियों और मेलों के सम्बन्ध में विदेश स्थित भारत व्यापार मिशनों द्वारा किस हद तक सहायता दी गई ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). एक विवरण साथ में नत्थी है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३१**]

भारत में मुसलमानों का भारी संख्या में आगमन

७६१. **श्री के० पी० सिन्हा** :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ में पाकिस्तान से कितने मुसलमान भारत लौट कर आये थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जानकारी एकत्र की जा रही है तथा प्राप्य होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

गायों की खालों का निर्यात

७६२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४४–४५ और १९५४–५५ में अलग अलग कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की गायों की खालें, हड्डियां, चर्बी, गाय और अन्य गौ जाति के पशुओं का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण साथ में नत्थी है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३२**]

प्रकाशनों का आयात-निर्यात

७६३. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५२ से १९५४ के काल में प्रत्येक वर्ष डालर, पौंड, चैन तथा रूबल मुद्राओं वाले क्षेत्रों से आयात की गई पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा कालिक पत्रों का मूल्य कितना था; और

(ख) उसी काल में इन क्षेत्रों को निर्यात की गई पुस्तकों, पत्रिकाओं और कालिक पत्रों आदि का मूल्य क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३३**]

सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

७६४. **डा० सत्यवादी** :
श्री एम० इस्लामुद्दीन :
श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण के रखने की

कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित की १९५३–५४ और १९५४–५५ के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़ों का वर्णन हो :

(क) सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को दिये गये ऋण और सहायता;

(ख) मालिकों और राज्य सरकारों से इस योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये प्राप्त अंशदान; और

(ग) सम्बन्धित मालिकों द्वारा बनाये गये मकानों की संख्या ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). दो विवरण जिनमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३४**]

जातीय भेदभाव

७६५. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** १८ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका में ग़ैर-यूरोपियनों से किये जा रहे विभेदपूर्ण व्यवहार के झगड़े के बारे में क्या अग्रेतर कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका संघ में ग़ैर-यूरोपियनों से किये जा रहे विभेद-पूर्ण व्यवहार सम्बन्धी दो मदें हैं ।

एक मद दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार की जातीय पृथक्करण की नीति के फलस्वरूप दक्षिण अफ्रीका में वंश विवाद के सामान्य सवाल के बारे में हैं । इस सवाल के बारे में दक्षिण अफ्रीका की जातीय परिस्थिति सम्बन्धी संयुक्त-राष्ट्र संघ आयोग ने, जिसे महासभा ने स्थापित किया था, महासभा के पिछले सत्र में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । महासभा ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें दक्षिण अफ्रीका संघ सरकार द्वारा पारित नई विधियों और विनियमनों के बारे में आशंका प्रकट की गई थी जो कि आयोग के विचारानुसार उस सरकार की संयुक्त-राष्ट्र के अधिकार-पत्र के अन्तर्गत आभार से असंगत हैं । महासभा ने संयुक्त राष्ट्र आयोग से दक्षिण अफ्रीका में मूलवंश विवाद समस्या को दृष्टिगोचर रखने की तथा महासभा को आगामी सत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रार्थना की है ।

विगत कुछ महीनों से आयोग दक्षिण अफ्रीका में जातीय परिस्थिति का अध्ययन करता रहा है । आयोग की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है ।

महासभा के कार्यक्रम में दूसरी मद दक्षिण अफ्रीका संघ में भारतीय उद्भव वाले व्यक्तियों से किये जा रहे व्यवहार के सम्बन्ध में है । संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने हाल में साश्नारे लूइस डी० फारो को, जो फैड्रल जर्मन गणराज्य में ब्राज़ील के भूतपूर्व राजदूत थे, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका संघ सरकारों में समझौते की वार्ता में सहायता देने के लिये नियुक्त किया है । हमें पता लगा है कि संघ सरकार ने साश्नारे डी० फारो के अभिस्वीकरण से इन्कार कर दिया है तथा तदानुसार सेक्रटरी जनरल को सूचित कर दिया है । यह सवाल संयुक्त-राष्ट्र की महासभा के आगामी सत्र में फिर उठाया जायगा ।

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण

७६६. श्री रिशांग किशिंग : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण प्रशासन ने उक्त अभिकरण के क्षेत्र में सौ से ऊपर संख्या में हाथियों को पकड़ने की हाथी शिकार योजना बनाई है;

(ख) यदि ऐसा है, तो इन हाथियों को किस प्रयोजन से पकड़ा जा रहा है; और

(ग) इस योजना पर कितना व्यय किया जायगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में हाथी प्रायः प्रत्येक वर्ष पकड़े जाते हैं। उनकी संख्या प्रत्याशित मांग पर निर्भर करती है। इस वर्ष ११६ हाथियों के पकड़ने का विचार किया गया है ।

हाथियों को पकड़ने से दो प्रयोजन पूरे होते हैं। इस से हाथियों की संख्या पर नियन्त्रण रहता है तथा अन्यथा फसलों को बहुत हानि पहुंच सकती है । इस से सरकार को कुछ राजस्व भी प्राप्त होता है ।

हाथी वस्तुतः एजेन्टों द्वारा पकड़े जाते हैं जिनसे प्रतिस्पर्धा टेन्डर मांगे जाते हैं । सरकार इनके पकड़ने पर कोई व्यय नहीं करती है ।

ग्राम्य विद्युतकरण

७६७. श्री एल० एन० मिश्र : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग के सुझाव के अनुसार विभिन्न राज्यों में विद्युत बोर्डों की स्थापना के बारे में अभी तक क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): विद्युत् बोर्ड अभी तक दिल्ली, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, बम्बई और पश्चिमी बंगाल राज्यों में बनाये गये हैं । शेष के राज्यों में इन बोर्डों की स्थापना पर नई दिल्ली में फरवरी, १९५५ में राज्यों के विद्युत् के मंत्रियों से एक सम्मेलन में चर्चा की गई थी तथा राज्यों को ऐसे बोर्डों की स्थापना करने के समर्थ बनाने के विचार से इन बोर्डों की स्थापना अवधि को एक वर्ष बढ़ा दिया गया है । यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह अन्तिम कालावधि होगी । इस मामले पर सिंचाई और विद्युत् मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों में व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो रही है ।

निवास अधिवास

७६८. श्री वीरस्वामी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोदी कालोनी में सी--२ चमरियों के बनाने का कार्य कब आरम्भ किया गया था;

(ख) आवंटन के लिये ये चमरियां कब तक तैयार हो जायेंगी;

(ग) क्या यह सच है कि पहले से बनी चमरियों के आवण्टन के फैसले में परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि ऐसा है, तो इसके कारण ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) मार्च, १९५५ ।

(ख) परिवर्तन कार्य को क्रमानुसार पूरा किया जायगा तथा इसके १९५७–५८ में पूरा हो जाने की सम्भावना है---यद्यपि दो ब्लाकों के परिवर्तन से बनाये गये फ्लैटों के आवण्टन के लिये शीघ्र ही तैयार हो जाने की आशा की जाती है ।

(ग) अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लोहे की वस्तुओं का निर्माण

७६९. श्री आर० एस० तिवारी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एन्ड स्टील वर्क्स, इन्डियन आयरन वर्क्स और मैसूर आयरन वर्क्स के अतिरिक्त कोई ऐसे कारखाने हैं जो लोहे की छीजन को गला कर लोहे की छड़ों जैसी वस्तुयें तैयार करते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने;

(ग) उन का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(घ) क्या इन कारखानों को सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जाती है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां ।

(ख) १४१ (जिनमें पुनः ढलाई के रजिस्टर्ड कारखाने भी सम्मिलित हैं) ।

(ग) १९५४ में १,६९,५१२ टन ।

(घ) पुनः लोहा ढालने के रजिस्टर्ड कारखानों को लोहे की छीजन रियायती दर पर मिलती है जो उसके नियंत्रित विक्रय मूल्य से २० रु० ८ आ० प्रति टन कम है ।

अम्बर चर्खा

७७०. श्री टी० सुब्रह्मण्यम : क्या **उत्पादन** मंत्री २८ जुलाई, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बर चर्खा बाजार में आ गया है;

(ख) किन स्थानों पर इन का निर्माण होता है; और

(ग) क्या खादी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये बड़े पैमाने पर इन चर्खों को बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) नहीं ।

(ख) सर्व सेवा संघ के सरंजाम कार्यालयों में ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक १०,००० अम्बर चर्खे बनाने और सर्व सेवा संघ द्वारा नियंत्रित उत्पादन केन्द्रों में इन का प्रयोग करने की प्रस्थापना है । विभिन्न जलवायु वाली अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की कपासों का व्यवहार कर के उत्पादन क्षमता की जांच की जायेगी । ऐसे अन्वेषणों का परिणाम जान लेने के बाद आगामी पंचवर्षीय योजना की प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप देने के पश्चात इसे बड़े पैमाने पर बाजार में रखने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

७७१. श्री वी० पी० नायर :
श्री पुन्नूस :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये और मद्रास सरकार द्वारा जिला मलाबार के लिये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के हेतु कौन कौन सी बड़ी बड़ी योजनायें प्रस्थापित की गई हैं; और

(ख) उपर्युक्त योजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). मद्रास सरकार की प्रारूप योजना पर योजना आयोग से वार्ता की जा चुकी है । आजकल मद्रास सरकार योजना

आयोग से हुई वार्ता को दृष्टि में रखते हुए राज्य योजना का पुनरीक्षकण कर रही है। त्रावनकोर-कोचीन सरकार की प्रारूप योजना पर सितम्बर के अन्त में वार्ता की जायेगी। इसलिये किसी राज्य के किसी ज़िला विशेष से सम्बन्धित विकास योजनाओं को बताना संभव नहीं है ।

चाय की फसल

७७२. { **श्री जनार्दन रेड्डी** :
श्री एच० जी० वैष्णव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९५५ के अन्त तक चाय की दक्षिण भारतीय फसल में कुछ कमी हुई है; **और**

(ख) यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां ।

(ख) कमी होने का कारण नीलगिरी में वर्षा का कम होना तथा विशेषत: त्रावनकोर-कोचीन में नाशिकीटों की भरमार होना है ।

हाथकरघा उपकर निधि

७७३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को विभिन्न विकास योजनाओं के लिये अब तक हाथकरघा उपकर निधि से कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) बिहार सरकार द्वारा उस उपकर निधि में से कितनी धन राशि निकाली तथा व्यय की गई है और अब तक प्रारम्भ की गई योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). बिहार सरकार को अब तक हाथकरघा उद्योग के विकास के लिये कितनी राशि मंजूर की गई और कितनी राशि खर्च हुई है यह दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनबन्ध संख्या ३५]**

बिहार को दिये गये अनुदान

७७४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार सरकार को गत तीन वर्षों में सिंचाई के प्रयोजनों के लिये दी गई राजकीय सहायता तथा ऋण का राज्य सरकार द्वारा, वर्षवार, किस सीमा तक उपयोग किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दावे

७७५. { **श्रीमती सुभद्रा जोशी** :
श्री भागवत झा आज़ाद

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दावेदारों की संख्या कितनी है जिनके सत्यापित दावे हैं :—

(१) २,५०,००० रुपये से कम के, और

(२) २,५०,००० रुपये से अधिक के; और

(ख) विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५ के नियम १६ (परिशिष्ट ८) के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्गों के सम्बन्ध में कितनी धनराशि के भुगतान किये जाने की आशा है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रदर्शनियां, व्यापार केन्द्र तथा प्रदर्शनकक्ष

७७६. **श्री एम० इस्मुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में विदेशों में हुई प्रदर्शनियों, व्यापार केन्द्रों तथा प्रदर्शनकक्षों में भाग लेने पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा शीघ्रातिशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी चलचित्र

७७७. **श्री देवगम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कितने चलचित्र तैयार किये गये;

(ख) यह चलचित्र किन प्रादेशिक भाषाओं में तैयार किये गये;

(ग) क्या वे राज्य सरकारों को चलती गाड़ियों द्वारा प्रदर्शित किये जाने के लिये दिये गये; और

(घ) क्या राज्य सरकारों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करने के लिये चलती गाड़ियां पर्याप्त संख्या में हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) सात ।

(ख) हिन्दी के अतिरिक्त आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तामिल तथा तेलगु भाषाओं में ।

(ग) हां ।

(घ) राज्य सरकारों के पास गाड़ियों की संख्या पर्याप्त है परन्तु आगामी योजना में उनकी संख्या में और अधिक वृद्धि करने का विचार है ।

पटेलनगर के मकान

७७८. **श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम पटेल नगर में बनाये गये दो कमरे वाले और तीन कमरे वाले मकानों की वास्तविक लागत कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि अलग अलग मकानों और अलग अलग उपनगरों में लागत भिन्न भिन्न है ;

(ग) क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के हाथ बेचने के लिये इन मकानों के कोई मूल्य निर्धारित किये हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि पूर्व पटेलनगर के एक तीन कमरे वाले मकान के लिये जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह दक्षिण पटेलनगर के दो कमरे वाले मकान के मूल्य से कम है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) वास्तविक लागत के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) हां, अलग अलग समूहों और अलग उपनगरों में मकानों की लागत भिन्न है

(ग) नहीं, २३-४-५३ तक, मकान वास्तविक लागत पर बेचे जाने थे, और उसके

पश्चात् नीलाम द्वारा सबसे बड़ी बोली देने वाले को दिये जाने थे ।

(घ) हां ।

(ङ) लागत में वृद्धि होने के यह कारण हैं :

(१) भूमि की किस्म अर्थात् भूमि का स्तर चट्टानी है या अन्य प्रकार का है ;

(२) दृढ़ भूमि तक पहुंचने के लिये गहरी नींव का खोदा जाना; और

(३) प्रविधिक कारणों से आवश्यक समझे गये विशिष्ट विवरणों में किये गये परिवर्तन ।

उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण

७७९. श्री रिशांग किशिंग : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मलाबार के कुछ भूमिहीन श्रमिकों को उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में बसाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार वहां बसाये जाने वाले भूमिहीन श्रमिकों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में उन को बसाने का मुख्य अभिप्राय क्या है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) से (ग). ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

सम्पत्ति की वापसी

७८०. चौधरी मुहम्मद शफी : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से अवैध कब्जे में रही निष्क्राम्य सम्पत्ति को उनके मालिकों को वापस करने के कितने आवेदन पत्र तथा मामले अभी तक विचाराधीन हैं ; और

(ख) ऐसी सम्पत्तियां अधिकारपूर्ण मालिकों को कब तक वापस की जायेंगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) एक भी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

———

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सोमवार,

खंड ७, १९५५ ५ सितम्बर, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय–सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८	२८८२—२९५४
खण्ड २	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५	३०५०—९३

	स्तम्भ
अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—	
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३०९७—९९
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	३०९९—३१९८
नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . .	३०९९—३१११
खण्ड ५५६ से ६०९ .	३१११—६४
खण्ड ६१० से ६४९ .	३१६४—९८
अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—	
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३१९९
सभा का कार्य	३१९९—३२०१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	३२०१—७१
खण्ड ६१० से ६४९ . .	३२०१ —५१
खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . .	३२५१—६८
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३२६८ —७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२७१—७२
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३२७२—९२
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—	
असमाप्त	३२९२ —३३२२
अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३३२३—२६
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . .	३३२६— ६०
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३३२६—६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	३३६०—३४२८
अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . .	३४२९–३०
आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	३४३०–३१
आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति--

तेरहवां प्रतिवेदन--उपस्थापित . . ३४३१

सभा का कार्य . . . . . ३४३१-३२, ३४३३—३५

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें--उपस्थापित . ३४३२

समिति के लिये निर्वाचन--

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक--

पुरःस्थापित ३४३२-३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . ३४३५—५८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६

खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव--असमाप्त ३४८३—३५३२

अंक ३८--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४-३५

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८

कार्य मंत्रणा समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित ३५३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९—४७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—

असमाप्त . . . ३५४०—३६७९

राज्य-सभा से संदेश ३६७९-८०

अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम . ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम . . ३६८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६८२–८३

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त . . . . . ३६८३—३८३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३८३८—५२

अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३८५३

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५३–५४

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . ३८५३—३९६३

पांडिचेरी विधान सभा . . . . . ३९६३—७२

अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३९७३—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ३९८६

फल उत्पाद आदेश . . . ३९८६

सभा का कार्य . . . . . ३९८६—८९

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ३९८९—४०३७

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ४०३९—९२

सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४०३७–३८

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ४०३८

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४०३८–३९

अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—

संशोधित रूप में स्वीकृत . ४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी	४२२१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव — संशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८–३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार ५ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये)

प्रश्नोत्तर

(**देखिये भाग १**)

११-४६ म० पू०

संसद में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री खंडू भाई देसाई) : श्रीमान् आपको स्मरण होगा कि प्रतिवेदन के सभा-पटल पर रखे जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के कुछ अंश एक भारतीय समाचार पत्र में दुर्भाग्यवश प्रकाशित हुये हैं। मैंने यह बात पता लगाने के लिये पूछताछ की है कि किस प्रकार भेद खुला पर मैं खेद के साथ बताता हूं कि मैं पता नहीं पा सका कि कैसे यह प्रतिवेदन या उसके अंश उस समाचार-पत्र के प्रतिनिधि के पास पहुंचे। इस प्रकार का एक प्रतिवदन प्रकाशित किया जाने वाला था और उसे बहुत से सम्बन्धित व्यक्तियों के पास भेजना आवश्यक था। हम इस प्रकार के अभिलेखों के भेद खुलने की बातों को रोकने के लिये अधिक कड़े उपाय की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस बीच मैं आपके सामने इस प्रकार भेद खुलने के लिये खेद प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा ने माननीय मंत्री का वक्तव्य सुन लिया पर मैं समझता हूं कि समाचार पत्रों का भी यह कर्तव्य है कि वह संसदीय प्रथाओं का पालन करें। इस प्रकार समाचार प्राप्त करके उसे प्रकाशित करना जब तक कि वह संसद् में पेश नहीं किया गया है अनुचित बात है। मैं आशा करता हूं कि समाचार पत्र इस प्रथा का पालन करके इस सम्बन्ध में सभा की सहायता करेंगे।

श्री कामत (होशंगाबाद) : माननीय मंत्री के असंतोषजनक वक्तव्य और इस बात को ध्यान में रख कर कि यह मामला संसद् के सदस्यों के विशेषाधिकार से सम्बन्धित है मैं प्रार्थना करता हूं कि एक समिति नियुक्त की जाये जो इस बात का पता लगाये कि कैसे यह भेद खुला।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस प्रकार बीच में नहीं बोलना चाहिये। जहां तक विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न है मैं समझता हूं कि यह विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है। यदि मुझे शत प्रतिशत विश्वास होता कि यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न है तो मैं ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया होता जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया जब कोई

[अध्यक्ष महोदय]

दस्तावेज कई व्यक्तियों के हाथों में जाता है तो उसके भेद खुल जाने की आशंका रहती है। माननीय मंत्री ने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिये था। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं और इस काम के लिये समिति नहीं नियुक्त करना चाहता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम्) : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जिस समाचार पत्र ने यह समाचार प्रकाशित किया था उसने बाद में खेद भी नहीं प्रकट किया है इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : निःसंदेह उस समाचार पत्र ने जो कुछ भी किया वह अनुचित था पर किसी बात का अनुचित होना और विशेषाधिकार का उल्लंघन ये दो भिन्न बातें हैं ।

श्री टी० टी० विट्ठल राव : वह समाचार पत्र अभी भी खेद प्रकट कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : उसे ऐसा करने के लिये नहीं कहा गया है । अगर वह चाहे तो अब भी कर सकता है ।

श्री कामत : उसे जरूर खेद प्रकट करना चाहिये या यदि वह चाहे तो ऐसा कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना चाहता। यह बात उस समाचार पत्र पर निर्भर है चाहे वह खेद प्रकट करे या न करे ।

गणपूर्ति के बारे में प्रथा

अध्यक्ष महोदय : अब मैं शनिवार को एक माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी इस बात को लूंगा कि १ बजे से २ बज कर ३० मिनट के बीच सभा में गणपूर्ति होना आवश्यक है । मैं समझता हूं कि यह एक टेकनिकल बात है । पर नियमों विनियमों और संविधान का आशय सभा के कार्य को सुविधाजनक बनाना है । कार्य की अधिकता के कारण सभा को अधिक समय तक बैठने की आवश्यकता थी उसी बात को ध्यान में रख कर सभा ने सर्व सम्मति से यह तय किया था कि इस समय के बीच सभा में गणपूर्ति का होना आवश्यक नहीं है । और यह प्रथा तब तक चलती रहनी चाहिये जब तक कि सभा इसके सम्बन्ध में कुछ अन्य निश्चय न करे ।

पर यदि कोई माननीय सदस्य उपबन्ध के शब्दों के बारे में बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो उसे भी लीजिये । अनुच्छेद १०० के उपखण्ड (३) में सभा सदस्यों की संख्या के दसवें भाग की उपस्थिति गणपूर्ति के लिये निश्चित है । पर उपखण्ड (४) में कहा गया है कि गणपूर्ति न होने पर अध्यक्ष या सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह या तो सभा की बैठक स्थगित करदे या गणपूर्ति पूरी होने के समय तक के लिये कार्यवाही रोक दे। माननीय सदस्य ने अध्यक्ष-पद को काम में सहायता दी, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, पर वास्तव में यह उनका काम नहीं है बल्कि अध्यक्ष का है । जब सभा में यह प्रथा चली आ रही है कि १ बजे से ढाई बजे तक सदस्यों की गणना नहीं की जायेगी तो किसी माननीय सदस्य को सदस्यों की गणना नहीं करनी चाहिये ।

सभा को जब तक इस प्रथा से सुविधा है तब तक ठीक है । नहीं तो सभा कभी भी इस प्रथा को बदल सकती है । और यदि कोई व्यक्ति संविधान के शब्दों को बदल कर सन्तुष्ट होना चाहता है तो उसे एक विधेयक पेश कर देना चाहिये। और जब एक

या डेढ़ वर्षों से यह प्रथा चल रही है तो शब्दों में नहीं, पर व्यवहार में संविधान का संशोधन ही समझना चाहिये ।

एक और बात यह है कि अध्यक्ष सभा में तब आता है जब गणपूर्ति होती है । यह बात भी ध्यान में रखने की है कि यदि किसी प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की जाती है और वह विभाजन केवल 'हां' या 'नहीं' कह कर नहीं होने वाला है तो ढाई बजे के पूर्व मतविभाजन नहीं स्वीकार किया जायेगा । इसे हमारा निर्णय समझें ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : निर्णय देने के पूर्व आप मेरी एक प्रार्थना सुन लें । अनुच्छेद १०० के खण्ड (३) में तो सभा की बैठक के प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में कहा गया है पर खण्ड (४) में कहा गया है कि यदि गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति या तो सभा स्थगित कर दें या गणपूर्ति के पूरा होने तक के लिये सभा की कार्यवाही रोक दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात मानता हूं पर गणपूर्ति के सम्बन्ध में सभा नियम बना सकती है । गणपूर्ति के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व अध्यक्ष-पद का है । मान लीजिये कि अध्यक्ष अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं देता तो भी सभा की कार्यवाही नियमविरुद्ध नहीं मानी जायेगी, क्योंकि सभा प्रारम्भ होते समय गणपूर्ति थी । संविधान के अनुच्छेद १२२ (१) में बताया गया है कि प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण संसद् की कोई कार्यवाही नियमविरुद्ध नहीं मानी जायेगी । और यह प्रक्रिया का एक अंग है । अतः गणपूर्ति के न होने के कारण किसी कार्यवाही को नियमविरुद्ध नहीं कहा जा सकता । फिर इसका उत्तरदायित्व तो अध्यक्ष-पद पर रहेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : पर कठिनाई यह है कि यह उत्तरदायित्व या कर्तव्य वैधानिक है ।

अध्यक्ष महोदय : पर सभा ने यह तय कर लिया कि सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या गिनना ज़रूरी नहीं है । अतः यदि अध्यक्ष संविधान को मानता है तो प्रथा का उल्लंघन करता है और यदि प्रथा को मानता है तो संविधान के उपबन्ध का उल्लंघन करता है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह शीघ्रातिशीघ्र एक खण्ड का एक विधेयक पेश करे कि उपबन्ध में निर्धारित गणपूर्ति आवश्यक नहीं है । अधिक तर्कों की आवश्यकता नहीं है । बस चर्चा खत्म होती है ।

सभा का कार्य

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मैं आप का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करता हूं । आज के समाचार पत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का निश्चय प्रकाशित हुआ जिसमें गोआ के सम्बन्ध में सरकारी नीति की ओर संकेत किया गया है । आपने गोआ सम्बन्धी नीति की चर्चा करने का सुझाव रखा था । मैं निवेदन करता हूं कि आप सभा-नेता को सूचित कर दें कि वह शीघ्र से शीघ्र गोआ सम्बन्धी सरकारी नीति की चर्चा के लिये एक दिन निश्चित करें ।

अध्यक्ष महोदय : आज ४ बजे शाम को होने वाली कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति या विदेशी मामले पर चर्चा के लिये समय निश्चित करने की बात रखी जायेगी—मैं समझता हूं कि उसमें गोआ की समस्या भी आ जायेगी । प्रधान मंत्री शीघ्र ही एक समय इसके लिये निश्चित करेंगे ।

श्री कामत (होशंगाबाद): मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने सभा में रखे जाने के पूर्व द्वितीय पंच वर्षीय योजना के करारोपण प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को सारी बातें बता दीं। यह एक गम्भीर बात है और उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को यह बातें बता कर संसद् के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर खुले आम चर्चा हो रही है। फिर वित्त मंत्री पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया जाय कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कुछ भी न कहें। उन्होंने सरकार के निश्चय के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल अपना विचार प्रकट किया है ।

अब हमें आगे का कार्य शुरू करना चाहिये ।

समवाय विधेयक—जारी

खण्ड ३२३ से ३६७ तक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा समवाय विधेयक के खण्ड ३२३ से ३६७ तक के खण्डों पर अग्रेतर विचार करेगी। इन खंडों के लिये आवण्टित ८ घण्टों में से करीब आधा घण्टा ३ सितम्बर, १९५५ को लिया जा चुका है। आज सभा के निश्चय के अनुसार सभा ६ बजे शाम तक बैठेगी ।

खण्ड ३२३ से ३६७ तक के चुने हुये संशोधनों की सूची नीचे दी जाती है :—

खण्ड ३२३—	८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८२२, ९३०, ९३१, ९३२, ८२३, ८२४, ३७१ (सरकारी), ८२५
खण्ड ३२३क (नया)—	८९७, ८९८
खण्ड ३२४—	१३२, ४७० (सरकारी)
खण्ड ३२५—	९६९, ८२६, ९००, ८२७, ८२८, ८२९, ९७०, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५,
खण्ड ३२६—	९३३
खण्ड ३२७—	१०३, ९३५, (१०३ जैसा), ९३४, १०४, ९३६ (१०४ जैसा), ९३७, ८३६, ८३७, १३३
खण्ड ३२८—	८३८
खण्ड ३२९—	४७१ (सरकारी), ९०४, २३४, ८३९
खण्ड ३३०—	४७२ (सरकारी) , ९०६
खण्ड ३३१—	९०७, ९०८, ४३७, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९७१, ९१४, ९७२, १०६
खण्ड ३३३क (नया)—	९३९
खण्ड ३३५—	९४०, १३४, ८४०, १३५, १०७
खण्ड ३३६—	८४१, १३६, ८४२, १३७, ८४३
खण्ड ३३७—	८४४, ९१७, ९४१ (९१७ जैसा)
खण्ड ३३९—	१३८
खण्ड ३४३—	६६२ (सरकारी)

खण्ड ३४४— ८४५, ८४६, ६६३ (सरकारी)
खण्ड ३४५— ६६४ (सरकारी), ८४७, ९४२, ८७७, ८४८, ९४३, ८७८
खण्ड ३४७— ९१८, ९१९, ९४४, ६६५ (सरकारी), ८०७, ८७९
खण्ड ३४८— ६६६ (सरकारी), ८८०, ८८१, ९४५, ८८२, ८४९, ९४६, ८५०, ९४७, ८५१, ९४८
खण्ड ३४९— ६६७ (सरकारी), ९४९, ६६८ (सरकारी), ९५०, ८५२, ९५१ (८५२ जैसा)
खण्ड ३५१— ६६९ (सरकारी), ९२०, ९५२, ८८३, ९५३
खण्ड ३५२— ६७० (सरकारी), ८८४, ९२१, ९२२, ९२३, ८८५, ९२४
खण्ड ३५३— ६७१ (सरकारी)
खण्ड ३५४— ९५४
खण्ड ३५५— ९५५
खण्ड ३५६— ९७५, ६७२ (सरकारी), ९२६, ९७६, ६७३ (सरकारी), ८५४, ९५८, ९२७, ६७४ (सरकारी)
खण्ड ३५८-क— ८५५, ६७५ (सरकारी), ९७७, ९७८, ८५६, ६७६ (सरकारी), ९७९, ९८०
खण्ड ३६०— ८५७, ८५८, ६७७ (सरकारी)
खण्ड ३६१— ९६०, ९६१, ९२८
खण्ड ३६६— ९२९, ९८१, ९८२
खण्ड ३६६क (नया)— ८५९ ।

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित खण्डों पर निम्नलिखित संख्या वाले संशोधन प्रस्तुत किये गये :—

सदस्य नाम	खण्ड संख्या	संशोधन संख्या
श्री साधन गुप्त	३२३	८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ९३०, ९३१, ९३२
श्री तुलसीदास	३२३	८२२, ८२४
डा० कृष्णस्वामी	३२३	८२३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३२३	८२५
श्री साधन गुप्त	३२३-क (नया)	८९७, ८९८
श्री राने	३२४	१३२
श्री के० के० बसु	३२५	९६९, ९७०
श्री तुलसीदास	३२५	८२६, ८२८, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५
श्री साधन गुप्त	३२५	९००
डा० कृष्णस्वामी	३२५	८२७

सदस्य नाम	खण्ड संख्या	संशोधन संख्या
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३२५	८२९, ८३०
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	३२७	१०३, १०४, १३३
श्री साधन गुप्त	३२७	९३५, ९३४, ९३६, ९३७
श्री तुलसीदास	३२७	८३६, ८३७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३२८	८३८
श्री साधन गुप्त	३२९	९०४
श्री अशोक मेहता	३२९	२३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३२९	८३९
श्री साधन गुप्त	३३०	९०६
श्री साधन गुप्त	३३१	९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	३३१	४३७
श्री के० के० बसु	३३१	९७१, ९७२
श्री बोगावत	३३१	१०६
श्री साधन गुप्त	३३३ क (नया)	९३९
श्री साधन गुप्त	३३५	९४०
श्री राने	३३५	१३४, १३५
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३३५	८४०
श्री बोगावत	३३५	१०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३३६	८४१, ८४२, ८४३
श्री राने	३३६	१३६, १३७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३३७	८४४
श्री साधन गुप्त	३३७	९१७, ९४१
श्री राने	३३९	१३८
श्री तुलसीदास	३४४	८४५, ८४६
श्री तुलसीदास	३४५	८४७, ८४८
श्री साधन गुप्त	३४५	९४२, ९४३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३४५	८७७, ८७८
श्री साधन गुप्त	३४७	९१८, ९१९, ९४४
श्री बोगावत	३४७	८०७, ८७९
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३४८	८८०, ८८१, ८८२
श्री साधन गुप्त	३४८	९४५, ९४६, ९४७, ९४८
श्री तुलसीदास	३४८	८४९, ८५०, ८५१
श्री साधन गुप्त	३४९	९४९, ९५०, ९५१
श्री तुलसीदास	३४९	८५२

सदस्य नाम	खण्ड संख्या	संशोधन संख्या
श्री साधन गुप्त	३५१	९२०, ९५२
पंडित ठाकुरदास भार्गव	३५१	८८३, ९५३
पंडित ठाकुर दास भर्गव	३५२	८८४, ८८५
श्री साधन गुप्त	३५२	९२१, ९२२, ९३२, ९२४
श्री साधन गुप्त	३५४	९४५
श्री साधन गुप्त	३५२	९५५
श्री के० के० बसु	३५६	९७५, ९७६
श्री साधन गुप्त	३५६	९२६, ९२७, ९५८
श्री तुलसीदास	३५६	८५४
श्री तुलसीदास	३५८	८५५, ८५६
श्री के० के० बसु	३५८	९७७, ९७८, ९७९, ९८०
श्री तुलसीदास	३६०	८५७, ८५८
श्री साधन गुप्त	३६१	९६०, ९६१, ९२८
श्री साधन गुप्त	३६६	९२९
श्री के० के० बसु	३६६	९८१, ८९२
श्री तुलसीदास	३६६ क (नया)	९८५

खण्ड ३२३—(केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना निकालने की शक्ति आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७१, पंक्ति २६,

"each House of Parliament" ('संसद की प्रत्येक सभा') के स्थान पर "both Houses of Parliament" ["संसद् की दोनों सभायें"] रखा जाये ।

खण्ड ३२४—(प्रबन्धक एजेंसी कम्पनी आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७१, पंक्ति ३६ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(4) Where a company having a managing agent is itself acting at the commencement of this Act as a managing agent of any other company, the term of office of the company first mentioned as managing agent of the other company shall, if it does not expire earlier in accordance with the provisions applicable thereto immediately before such commencement (including any provisions contained in the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913), expire on the 15th day of August 1956."

[श्री सी० डी० देशमुख]

["(४) जब एक प्रबन्धक एजेंट रखने वाला एक समवाय इस अधिनियम के आरम्भ के समय स्वयं किसी अन्य समवाय के प्रबन्धक एजेंट के रूप मे कार्य कर रहा हो, तो अन्य समवाय के प्रबन्धक एजेंट के रूप में पहले उल्लिखित समवाय की पदावधि, यदि वह उस आरम्भ से तुरन्त पूर्व लागू होने वाले उपबन्धों (भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ (१९१३ का ७) में निविष्ट किन्हीं उपबन्धों समेत) के अनुसार पहले समाप्त न होता हो, तो अगस्त, १९५६ के १५वें दिन समाप्त हो जायगी।"]

खण्ड ३२६—(धारा ३२७ से ३३० का लागू होना)

श्री साधन गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७२ पंक्ति १७ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"(c) any other private Company unless it is specifically exempted by the Central Govt."

["(ग) कोई अन्य निजी समवाय, यदि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से नियुक्त न कर दिया गया हो"।]

खण्ड ३२९—(विद्यमान प्रबन्धक एजेंटों की पदावधि आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७३, पंक्ति १० से १२,

"expire on the 15th day of August, 1960 unless before that date he is re-appointed for a fresh term in accordance with any provision contained in this Act."

["अगस्त १९६० के १५वें दिन समाप्त हो जायेगी, यदि उस तिथि से पहले इस अधिनियम में निविष्ट किसी उपबन्ध के अनुसार उसे एक नयी पदावधि के लिये पुनर्नियुक्त न किया जाये।"] के स्थान पर,

"(a) except in the case specified in clause (b) expire on the 15th day of August, 1960, unless before that date he is re-appointed for fresh term in accordance with any provision contained in this Act; and

(b) in case the company aforesaid is itself acting as managing agent of any other company, expire on the 15th of August, 1956."

["(क) खण्ड (ख) में बताये गये मामले को छोड़ कर अगस्त १९६० के १५वें दिन समाप्त हो जायेगी, यदि उस तिथि से पहले इस अधिनियम में निविष्ट किसी उपबन्ध के अनुसार उसे एक नयी पदावधि के लिये पुनर्नियुक्त न किया जाये; और

(ख) यदि पूर्वोक्त समवाय किसी अन्य समवाय के प्रबन्धक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो, तो अगस्त, १९५६ के १५वें दिन समाप्त हो जायेगी।" रखा जाये।

खण्ड ३३०—(अधिनियम का विद्यमान प्रबन्धक एजेंटों पर लागू होना आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७३, पंक्ति १९ से २४ का लोप किया जाये।

खण्ड ३४३—(प्रबन्धक एजेंसी उत्तराधिकार से नहीं चलेगी)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७७, पंक्ति ३८,

"a company ["एक समवाय"] के बाद "other than a private company which is not a subsidiary of a public company."

["उस निजी समवाय को छोड़कर जो एक लोक-समवाय का सहायक नहीं है।"] रखा जाये ।

खण्ड ३४४—(उत्तराधिकार के अनुमोदन आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७७ और १७८

खंड ३४४ को उस खण्ड का उपखण्ड (१) संख्या दी जाये और निम्नलिखित उपखण्ड को उस खण्ड के उपखण्ड (२) के रूप में जोड़ दिया जाये :

"(2) The provisions of sub-section (1) shall not apply to a private company which is not a subsidiary of a public company."

["(२) उपधारा (१) के उपबन्ध एक ऐसे निजी समवाय पर लागू न होंगे जो एक लोक-समवाय का सहायक नहीं है।"]

खण्ड ३४५—प्रबन्धक एजेंसी की संरचना में परिवर्तन आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७८, पंक्ति १४,

"as the Central Government may"["जैसा केन्द्रीय सरकार दे"] के बाद "whether before or after the expiry of the six months" ["छः महीनों की समाप्ति के पूर्व या पश्चात्"] रखा जाये ।

खण्ड ३४७—(प्रबन्धक एजेंट के पारिश्रमिक आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७९, पंक्ति ३३,

"annual net profits of the company" ["समवाय के वार्षिक शुद्ध लाभ"] के स्थान पर "net profits of the company for that financial year" ["समवाय के उस वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ"] रखा जाये ।

खण्ड ३४८—(शुद्ध लाभों का निर्णय)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७९, पंक्ति ३४ तथा ३५,

"the net profits of a company for the purpose of section 347" ["धारा ३४७ के प्रयोजन से एक समवाय के शुद्ध लाभ"] के स्थान पर "for the purpose of section 347, the net profit of a company in any financial year." ["धारा ३४७ के प्रयोजन से एक समवाय का किसी वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ"] रखा जाये ।

खण्ड ३४९—(अवक्षयण का सुनिश्चित करना)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १८१ पंक्ति १७, अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"for the financial year for which the net profits are to be computed"

["उस वित्तीय वर्ष के लिये जिस के शुद्ध लाभ जोड़े जाने को है ।"]

(२) पृष्ठ १८१ पंक्ति १८ और १९

"depreciation" ["अवक्षयण"] के बाद "or any development rebate"

["या कोई विकास सम्बन्धी छूट"] रखा जाये ।

खण्ड ३५१—(अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १८१ पंक्ति ४०,

"The limit specified in section 347" ["धारा ३४७ में बताई गयी सीमा"] के स्थान पर "The limit specified in sections 197 and 347" ["धारा १९७ और ३४७ में बतायी गयीं सीमायें"] रखा जाये ।

खण्ड ३५२—(न्यूनतम पारिश्रमिक आदि)

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ १८१ और १८२,

उपखण्ड (१) का लोप किया जाय और उपखण्ड (२) को खण्ड ३५२ संख्या दी जाये ।

खण्ड ३५३—(भुगतान का समय आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ १८२, पंक्ति १३

"shall not become due and" ["देय न होंगे और"] का लोप किया जाये ।

खण्ड ३५६—(प्रबन्धक एजेंट या सहकारी का विक्रय एजेंट नियुक्त किया जाना आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १८२ पंक्ति ३७

'other' ['अन्य'] का लोप किया जाये ।

(२) पृष्ठ १८२ पंक्ति ३९,

'any place outside India' [भारत से बाहर कोई स्थान] के बाद "not being a place specified in sub-section 1" ["जो उप धारा (१) में बताया गया स्थान न हो"] रखा जाये ।

(३) पृष्ठ १८३

पंक्ति ८ और ९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Provided that such renewal shall not be effective earlier than one year from the date on which it is to come into force."

[परन्तु ऐसा नवीकरण उस तिथि से जब वह प्रभावी होने को है एक वर्ष से पहले प्रभावी न होगा"]

खण्ड ३४८—(प्रबन्धक एजेंट या सहकारी की विक्रय एजेंट के रूप नियुक्ति आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १८३ पंक्ति ३३ और ३४,

"maintains an office at such place for his own business"

["उस स्थान पर अपने निजी कारबार के लिये एक कार्यालय रखता हो"] के स्थान पर

"maintains an office at such place not only for such purchase but also for his own business."

["उस स्थान पर न केवल उस क्रय के लिये बल्कि अपने निजी कारबार के लिये भी एक कार्यालय रखता है"] रखा जाये ।

(२) पृष्ठ १८० पंक्ति ६ से ९

"the amount of the purchases likely to be made by the office in each year on behalf of the company and the proportion which such amount will bear to the total amount of the purchases made by the office."

["कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष में समवाय की ओर से किये जाने वाले सम्भावित क्रयों की मात्रा और कार्यालय द्वारा किये गये जाने वाले क्रयों की कुल मात्रा का इस मात्रा के साथ होने वाला अनुपात"] का लोप किया जाये ।

खण्ड ३६०—(प्रबन्धक एजेंट के बीच संविदायें आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १८५ पंक्ति ९ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(4) Nothing contained in clause (a) of sub-section 1 shall affect any contract or contracts for the sale, purchase or supply of any property or services in which either the company or the managing agent or associate, as the case may be, regularly trades or does business provided that the value of such property and the cost of such services do not exceed five thousand rupees in the aggregate in any calendar year comprised in the period of the contract or contracts."

["(४) उपधारा (१) के खण्ड (क) में निविष्ट कोई बात किसी ऐसी सम्पत्ति या सेवाओं का क्रय विक्रय, या संभरण पर कोई प्रभाव न डालेगी, जिसमें समवाय का प्रबन्धक एजेंट या सहकारी, यथास्थिति नियमित रूप से व्यापार या कारबार करता है, यदि ऐसी सम्पति का मूल्य या ऐसी सेवाओं की लागत संविदा या संविदाओं की अवधि वाले किसी पत्री वर्ष में कुल मिला कर पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होती "]

अध्यक्ष महोदय : ये सब संशोधन अब चर्चा के लिये सभा के सामने हैं ।

श्री साधन गुप्त : उस दिन मैंने प्रबन्ध-अभिकरणों की संख्या तथा आकार को सीमित करने के सम्बन्ध में कहा था । प्रबन्ध अभिकरणों का आकार संख्या से अधिक महत्व रखता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमने सुझाव दिया था कि अधिकतम प्रतिबन्धित समवायों की संख्या ५ होनी

[श्री साधन गुप्त]

चाहिये तथा समवायों की कुल पूंजी, यदि एक समवाय से अधिक हो तो, औसतन ५ करोड़ से १० करोड़ तक होना चाहिये। वस्तुतः मैंने सुझाव दिया था कि निदेशनों द्वारा संचालित होने वाले समवायों के लिये १० करोड़ तथा प्रबन्ध अभिकरणों के लिये ५ करोड़ होना चाहिये, क्योंकि प्रबन्ध अभिकरणों में गठबन्धन या बुराइयों की संभावना अधिक रहती है।

अब मैं कर-अपवंचकों के प्रश्न को लेता हूं। मैंने पहिले भी इनको समवाय संचलक व निदेशक बनाने के सम्बन्ध में विरोध किया है और अब मेरा प्रस्ताव यह है कि उन्हें प्रबन्ध अभिकर्ता न बनने दिया जाये। क्योंकि इसमें कर-अपवंचन के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं। किन्तु मुझे इस संशोधन के मंजूर होने की कोई आशा नहीं है। पिछले अवसरों पर भी जब कभी मैंने प्रस्ताव रखे थे तो सरकार ने चुप्पी साध ली थी। पिछली बार जब मैंने वित्त मंत्री के संमुख यह प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि मैंने जिन प्राधिकारियों का उल्लेख अपने संशोधन में किया है वे कभी उन्हें अपराधी नहीं कहते हैं क्योंकि कर-अपवंचन कोई अपराध नहीं है। यदि मैं ऐसा कहता तो उस पर टेकनिकल आपत्ति हो जाती। आप चाहें उन्हें अपराधी न कह कर आदरणीय ही कहें, किन्तु हम यह चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति समवायों के प्रबन्ध में भाग न ले सकें तथा यह संशोधन के रूप-परिवर्तन कर देने पर संभव हो सकता है।

मैं अपने संशोधन संख्या ९३९ से वित्त मंत्री के विरोध का समाधान करना चाहता हूं। इस संशोधन का उद्देश्य एक नया खण्ड ३३१ (क) जोड़ना है; जिसका आशय यह है कि कोई कर अपवचन चाहे वह व्यक्ति कार्य साझेदार या निदेशक कोई भी हो, यदि वह सार्वजनिक समवाय अथवा निजी समवाय अथवा जैसा भी मामला हो, की आय को छिपाता हो अथवा उस सम्बन्ध में गलत बातें दिखाता हो तो ऐसा व्यक्ति किसी भी समवाय का प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं बन सकेगा आदि।

इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री का उत्तर जानना चाहूंगा। संशोधन में कोई टेकनीकल त्रुटि बता देना या उसके रूप को गलत कहना ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाये और केवल मसौदे की त्रुटि के कारण ऐसे ठोस सिद्धांत को न ठुकराया जाये। यदि वे इसे अस्वीकार करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि वे कर-अपवंचकों को प्रबन्धकों के रूप में रहने देना चाहते हैं, जिसका आशय यह है कि वे उनसे किसी अन्य लाभ की आशा करते हैं और यह कौन सा लाभ है, इस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहूंगा।

मैंने खण्ड ३३५ पर संशोधन संख्या ९४० प्रस्तुत किया है। इस खण्ड के अनुसार सिद्ध दोष होने पर कोई व्यक्ति किसी समवाय की व्यवस्था में भाग नहीं ले सकता। दोष-सिद्धि का यह साधारणी करण अच्छा नहीं है। क्योंकि दोषसिद्धि कई कारणों से हो सकता है। यह राजनैतिक कारणों से भी हो सकता है। ऐसा होने पर उसे किसी समवाय की व्यवस्था के लिये अयोग्य करार देना अनुचित है।

अब मैं अपने अगले महत्वपूर्ण संशोधन को लेता हूं। हमने संशोधन संख्या ९१९ से प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का पारिश्रमिक १० प्रति शत से घटा कर ५ प्रति शत, और संशोधन संख्या ९४४ से ६ प्रतिशत करने को कहा है। हमारे विचार से यह पर्याप्त पारिश्रमिक

है तथा किसी मामले में भी पारिश्रमिक में छूट अथवा रियायत नहीं मिलनी चाहिये।

खंड ३५१ अतिरिक्त पारिश्रमिक के सम्बन्ध में है। हम इसके नितांत विरोधी हैं किन्तु यदि यह उपबन्ध हटाया न जा सके तो हमने इसके उपबन्धों को कठोर बनाने के लिये तीन संशोधन संख्या ९२०, ९५२ और ९५३ रखे हैं। संशोधन संख्या ९२० के अनुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक समवाय की साधारण बैठक के सर्व सम्मत संकल्प से ही मंजूर हो सकता है। संशोधन संख्या ९५२ में यह उपबन्ध है कि साधारण बैठक में उक्त आशय का एक विशेष संकल्प पारित किया जाये। संशोधन ९५३ में अंशधारियों के मत पर सरकार के समर्थन का उपबन्ध किया गया है।

हम खंड ३५६ के भी विरुद्ध हैं। यद्यपि विधेयक में उसका क्षेत्र पहिले से सीमित कर दिया गया है तथापि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को क्रय विक्रय अधिकरणों के संचालन की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये। उन्हें अपने उपक्रम के लिये सामान क्रय विक्रय करने पर कमीशन नहीं मिलना चाहिये। सिद्धांत रूप से भी यह आपत्तिजनक है क्योंकि तब प्रबन्ध अभिकर्ता अपने समवाय का हित अहित न देख कर उनके लिये क्रय विक्रय करने में भी लगा रहता है इससे समवाय के हित को हानि होता है। इस सम्बन्ध में हमने दो संशोधन संख्या ९२५ और ९५८ रखे हैं। संशोधन संख्या ९२५ में सर्वसम्मति से संकल्प पारित होने पर क्रय विक्रय कमीशन मंजूर किये जाने का उपबन्ध है। संशोधन मंजूर किये जाने का उपबन्ध है। संशोधन संख्या ९५८ में यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार अपनी इच्छा पर अथवा किसी सम्बन्धित व्यक्ति के आवेदन पर इस कमीशन को बन्द कर सकती है।

मुझे केवल यही कहना है। मुझे यह आशा है कि माननीय वित्त मंत्री कर अपवंचकों पारिश्रमिक को घटाने अतिरिक्त पारिश्रमिक न देने तथा उस पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी उक्त प्रस्तावों पर उचित विचार करेंगे।

श्री अशोक मेहता : मैं खण्ड ३२९ के संशोधन संख्या २३४ की व्याख्या करूंगा। इसका उद्देश्य १९६० के पश्चात् प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को समाप्त कर देना है।

भाभा समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि भारत की १७ प्रति शत अर्थ-व्यवस्था संयुक्त स्कंध समवायों द्वारा संचालित होती है। उनका बहुत बड़ा अंश प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा नियंत्रित होता है तथा इनकी पूंजी का ७५ से ८० प्रति शत तक प्रबन्ध अभिकर्ताओं के नियंत्रण में रहता है। इससे इनके प्रभाव तथा शक्ति का पता चलता है। क्या यह उचित है कि मुट्ठी भर लोगों का हमारी अर्थ-व्यवस्था में इतना नियंत्रण हो।

भारत में ५ लाख से अधिक प्रदत्त पूंजी वाले सार्वजनिक सीमित समवायों की कुल प्रदत्त पूंजी ५३३ करोड़ रुपये है। इनमें से केवल ५२ समवायों की प्रदत्त पूंजी ११४ लाख है। जिसका तात्पर्य है कि ५ लाख से ऊपर प्रदत्त पूंजीवाले सार्वजनिक सीमित समवायों का २२ प्रतिशत से अधिक ५२ समवायों में लगा है। उनके लाभ के आँकड़े भी इतने ही ऊंचे हैं। भारत के उक्त ५२ समवायों को कुल लाभ का ३० प्रति शत प्राप्त हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इन आँकड़ों पर इसलिये आकर्षित करता हूं कि भारत में कुछ बड़े समवायों में धन का केन्द्रीकरण अमरीका से भी अधिक हो गया है।

[श्री अशोक मेहता]

मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जो कुछ यहाँ अधिनियमित करें वह हमारे सामाजिक लक्ष्य के समनुरूप होना चाहिये। हमारा सामाजिक लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जो कि प्रजातंत्रीय विकेन्द्रित तथा समतावादी हो। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसा संकल्प पारित किया था कि हमारा उद्देश्य एक ऐसी राजनैतिक प्रणाली की स्थापना करना है जिसमें प्रशासन की कुशलता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें निजी एकाधिपत्य तथा धन के केन्द्रीकरण के बिना भी अधिकतम उत्पादन संभव हो सके का विकास करना है आदि।

इतना ही नहीं अखिल भारतीय कॉंग्रेस समिति की आर्थिक कार्यक्रम समिति ने जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री थे १९४७–४८ में यह सिफारिश की थी कि "ग़ैर-सरकारी उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ता की प्रणाली को यथासंभव शीघ्र समाप्त कर देना चाहिये।" तब से सात आठ वर्ष बीत गये हैं। मैं कहता हूं कि आप इसे आगामी चार वर्षों तक और जारी रख सकते हैं किन्तु कम से कम यह तो कह दीजिये कि १९६० के पश्चात् से कोई प्रबन्ध अभिकरण नहीं रहेगा। लेकिन इसके विपरीत आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो कि उनके लिये सहायक हो सकती है।

१९५० में समवाय विधि अधिनियम में जो संशोधन किये गये थे उनसे यह ज्ञात होता था कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली समाप्त होने जा रही है। यह विधेयक भी इसी उद्देश्य से रखा गया था। पहिले हम क्रमशः प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त करने का विचार कर रहे थे किन्तु अब हम प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को संशोधित करके ही संतुष्ट हो जाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ जो भाषण दिये हैं उनसे उक्त बात की पुष्टि होती है। हम चाहते हैं कि हानिकारक प्रणाली समूल नष्ट कर दी जाये—भले ही इसमें दो चार वर्ष का समय लगे। सामाजिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये यह प्रणाली १९६० के आगे नहीं चलनी चाहिये।

वित्त मंत्री यह तर्क कर रहे थे कि देश प्रबन्ध अभिकर्ता देश के लिये आवश्यक हैं क्योंकि वे उद्योगों में रुपये लगाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री का ध्यान भारत के रक्षित बैंक की बुलेटिन की पृष्ठ संख्या ७२५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। १९५०–५२ में रक्षित बैंक ने जिन समवायों की जांच की थी उससे ज्ञात हुआ कि तीन-चौथाई पूंजी आंतरिक संसाधनों से प्राप्त हुई है जब कि अमेरिका में बाह्य वित्त का भाग अधिक रहता है। वहां चौदह बड़े उद्योगों में से दो तिहाई संसाधनों की व्यवस्था आन्तरिक रूप से की गई जबकि भारत में तीन-चौथाई पूंजी की व्यवस्था आन्तरिक रूप से की जाती है। संक्षेप में मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में आन्तरिक वित्त का महत्व अमरीका से अधिक है। इस स्थिति में मैं नहीं समझ सकता कि वित्त मंत्री यह तर्क कैसे करते हैं कि उद्योगों में धन लगाने के लिये प्रबन्ध अभिकर्ता का रहना आवश्यक है।

मेरे पास त्रैमासिक ईस्टर्न इकोनोमिस्ट रिकार्ड्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स का एक अंग है जिसमें औद्योगिक लाभों की एक तालिका दी गयी है, जिससे ज्ञात होता है कि लाभ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री का ध्यान इकानामिक रिव्यू की ओर भी आकर्षित करूंगा। उसके एक लेख में कुछ लाभों के आंकड़े दिये हुये हैं यथा

मदुरा मिल्स जिसकी पूंजी ८७,५१,००० रुपये है—को १९४७ से १९५३ के बीच ३,२४,९६,००० रुपये का लाभ हुआ है; इसी प्रकार टीटागढ़ पेपर मिल्स को जिसकी पूंजी १,४२,९२,००० रुपये है—उसे १९४७ से १९५३ तक १,६९,३१,००० रुपये का लाभ हुआ । उक्त समवायों का संचालन विदेशियों के द्वारा होता है । इनको खूब लाभ होता है और होता रहेगा । इसके लिये प्रबन्ध अभिकर्ता को आगे बढ़ कर सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन वे लोग इस लाभ का अग्रेतर विकास करेंगे या निजी हित के लिये इसका प्रयोग करेंगे । मैं पूछता हूं कि एक कपड़े की मिल को सीमेन्ट का कारखाना खोलने की अनुमति देना कहां तक न्यायोचित है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यदि इस लाभ को पुनः उसी उद्योग में लगाया जाये तो ?

श्री अशोक मेहता : तब मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं केवल यह सुझाव दे रहा था कि जब तक हम विशेष मामले में लगाई गई कुल पूंजी न जान लें तब तक लाभ तथा चालू पूंजी के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है ।

श्री अशोक मेहता : लेकिन यह तो एक विश्वव्यापी तथ्य है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा तात्पर्य यह था कि यदि टीटागढ़ पेपर मिल की व्यवस्था सुदृढ़ है—चाहे कोई भी उसकी व्यवस्था करता हो चाहे वह प्रबन्ध अभिकर्ता हो अथवा प्रबन्ध निदेशक—यदि अंशधारी सीमित लाभांश तथा उस लाभ को पूंजी में जोड़ देने से संतुष्ट हों तो अच्छा है ऐसा भी संभव हो सकता है । मैं बिलकुल ठीक नहीं जानता कि मिल कब स्थापित हुई थी और क्या इसकी कोई जांच की जा सकती है । किन्तु यदि अंशधारी अपने लाभ के एक अंश को अपनी व्यापार संस्था में लगा देते हों तब मैं उनके लाभ में चाहे वह उनकी मूल प्रदत्त पूंजी से अधिक भी क्यों न हो कोई बुराई नहीं समझता । मैं नहीं समझता कि प्रबन्ध की किसी विशेष प्रणाली में किस प्रकार इसे बुरा कहा गया है । मैं यही समझना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वह यही कह रहे थे कि प्राप्त लाभ पुनः उसी में लगाये गये और प्रबन्ध अभिकर्ता की ओर से इतने अंश दान की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री अशोक मेहता : वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं का समवायों के वित्तों में बहुत अंश होता है । परन्तु रिजर्व बैंक बुलेटिन और कांग्रेस बुलेटिन का यह मत है कि समवायों के वितों में अंशधारियों के अंश अधिक होते हैं जिन्हें लाभ भी प्राप्त नहीं होता । फिर हम प्रबन्ध अभिकर्ताओं को क्यों चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रबन्ध अभिकर्ता अंशधारियों को अपने लाभ को लगा देने की मंत्रणा देते हैं और इसी बात का प्रचार करते हैं ।

श्री अशोक मेहता : प्रसिद्ध अर्थशास्त्र इतिहासज्ञ श्री एन० एस० बी० ग्रैस ने अपने ग्रन्थ "कैपिटलिज्म एण्ड बिजिनेस" में कई प्रकार के पूंजीवादों का वर्णन किया है और कहा है कि राष्ट्रीय पूंजीवाद में सरकारी पूंजी गैर-सरकारी पूंजी की अनुपूर्ति करती है और साम्यवादी पूंजीवाद में गैर-सरकारी पूंजी का स्थान छीनती है । हमारे राष्ट्रीय पूंजीवाद में एक ओर तो सरकारी पूंजी गैर-सरकारी पूंजी की अनुपूर्ति करती है और दूसरी ओर क्षेत्रों में सरकारी उपक्रम के द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र का स्थान छीनने का प्रयत्न किया जाता है । हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है । वित्त

[श्री अशोक मेहता]

मंत्री का यह विचार कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बिना पूंजी उपलब्ध नहीं हो सकेगी सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण है । वास्तविकता यह नहीं है, इसलिये वित्त मंत्री को इस विषय में अपने दृष्टिकोण को सुधार लेना चाहिये ।

वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के पक्ष में बड़े जोर शोर से कहा था । यदि वह इस विधेयक द्वारा इस प्रणाली को शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं और यदि वह घोषणा करें कि १९६० तक यह प्रणाली समाप्त हो जायेगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस अनुच्छेद के प्रथम खण्ड के अन्तर्गत कुछ उद्योगों के बारे में घोषणा की जा सकती है कि उनमें कोई प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या शक्ति लेकर यह कहना उचित है कि हम उस शक्ति का इस प्रकार उपयोग करेंगे कि प्रत्येक उद्योग अनुसूचित किया जायेगा ? क्या मैं अनुमोदन की शक्ति लेकर तब कहना चाहूंगा कि मैं भविष्य में किसी प्रबन्ध अभिकरण का अनुमोदन नहीं करूंगा ? यह गलत विचार है । १९६० से पहले मैं इसे उपयोग में लाना नहीं चाहता । मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि हो सकता है कि प्रबन्ध अभिकर्ता स्वयं इस प्रणाली को समाप्त करदें । जब कि मैं १९६० से पहले अपने हाथों उनका गला नहीं घोंट सकता ।

श्री अशोक मेहता : वे कभी भी अपना अन्त नहीं करेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य ऐसी बात कह रहे हैं जो मैंने कभी नहीं कही । जब तक उद्योगों की अधिसूचना का प्रश्न है यह अनुमति का मामला नहीं है । निस्सन्देह आप किसी उद्योग में प्रबन्ध अभिकर्ताओं को अनुमति नहीं दे सकते, वह व्यक्तिगत अनुमति के समान नहीं है । जब मैं कहता हूं कि मैं उद्योग के उदाहरण का परीक्षण करूंगा तो इसका अन्य विविध बातों की ओर निर्देश होता है । नवीन यूनिटों के विकास की आवश्यकता और उन विशिष्ट यूनिटों के लिये वित्त की व्यवस्था करने के समान यह सम्भव है कि माननीय सदस्य यहां के अन्य स्थानों के समस्त औद्योगिक क्षेत्र की जिस प्रवृति के बारे में कह रहे हैं वह विशिष्ट उद्योग के लिये सहायक हो । अर्थात् यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी उद्योग विशेष में न तो विकास सम्बन्धी कार्यवाही होती है और न वित्तीय कार्यवाही होती है जिसके लिये उसे अनिवार्य रूप से प्रबन्ध अभिकर्ता का मुंह ताकना पड़ेगा उस अवस्था में हम उस उद्योग को अनुसूचित करेंगे । इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम हर हालत में प्रबन्ध अभिकर्ता रखना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इसी प्रकार की परिस्थितियां रहने पर ऐसा कोई उद्योग या समवाय नहीं है जहां ५ वर्ष के पश्चात् प्रबन्ध अभिकर्ता हटाये जा सकें ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक उद्योगों को अधिसूचित करने का सम्बन्ध है यदि उद्योग अधिसूचित किया जाता है तो इसमें चुनने का कोई प्रश्न नहीं रहता । मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि यदि अच्छे प्रबन्ध अभिकर्ता भी होते हैं तो भी इसके अन्तर्गत आते हैं । जो उद्योग अधिसूचित नहीं किये जाते उनके मामले में प्रत्येक इकाई के प्रबन्ध अभिकर्ताओं के लाभों और हानियों से हमारा वास्ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या एक भी उद्योग या समवाय ऐसा नहीं है जो अधिसूचित

किया जा सके; यदि नहीं तो इस खण्ड का क्या लाभ है ?

श्री सी० डी० देशमुख : ऐसी बात नहीं है ।

श्री अशोक मेहता : पारिश्रमिक विषयक चर्चा क समय भी वित्त मंत्री १४ प्रति शत औसत रखने को तैयार नहीं थे । उन्होंने १९५२ में १६ प्रति शत का उल्लेख किया था जबकि १९५२ में लाभ असाधारणतया कम थे । मैं अब भी इस पर जोर दूंगा कि १४ प्रति शत से घटाकर ११ प्रति शत कर दिया जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख : १० प्रति शत ।

श्री अशोक मेहता : ठीक है १४ प्रति शत से १० प्रति शत। पिछले अवसर पर दान या पूर्त को ३ प्रति शत से ५ प्रति शत तक बढ़ाने के विषय में उन्होंने कहा था । यह मामूली बात है और सिद्धान्त की बात नहीं है । उसी तर्क से यह १० प्रति शत भी सिद्धान्त की बात नहीं मानी जा सकती । मैं उनसे कहूंगा कि वह "समाजवादी ढंग का समाज" इन शब्दों का इस विषय में प्रयोग न किया करें क्योंकि जो कुछ वह करते हैं वह समाजवादी ढंग के समाज के अनुरूप नहीं ।

वित्त मंत्री ने इंगलिस्तान के बारे म कुछ आंकड़े दिये थे जिनसे स्पष्टतः पता चलता है कि वहां पारिश्रमिक लगाई गई पूंजी और लाभ के अनुसार कम और ज्यादा मिलता है । जब वहां यह स्थिति है तो भारत में भी घटने बढ़ने वाले क्रम को क्यों नहीं अपनाया जाता, यहां क्यों एकरूप क्रम रखने का आग्रह किया जाता है ? इस विषय में श्री वोगावत के संशोधन में कुछ परिवर्तन करके स्वीकार कर लेना चाहिये । हम यह देख चुकेंगे कि प्रबन्ध अभिकर्ता स्वेच्छापूर्वक यह नहीं करेंगे फिर हमें इस विधेयक पर क्यों व्यर्थ में समय नष्ट करना चाहिये ।

श्री गुरुपादस्वामी ने जो आंकड़े बताये थे उनका अर्थ वित्त मंत्री ने गलत लगाया है । वास्तव में खान उद्योग वाले १·८ प्रति शत से संतुष्ट नहीं हैं। आगामी पांच वर्षों में इस उद्योग का विकास होने से लाभ भी बढ़ जायेंगे । उस अवस्था में क्या प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पारिश्रमिक १० प्रति शत तक बढ़ना चाहिये या ५ प्रति शत तक । यह बात श्री गुरुपादस्वामी ने कही थी ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि वह विरोधी पक्ष के सदस्यों जैसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते । मैं जानना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के लोगों ने ऐसा क्या कहा है । वित्त मंत्री के कथनानुसार हम लोग उद्‌विकास में विश्वास नहीं रखते और क्रांति लाना चाहते हैं। परन्तु मैं उनका ध्यान उनके दल के लोगों के कथन की ओर दिलाना चाहता हूं, जब वे कहते हैं कि लाभ ६ प्रति शत तक सीमित होना चाहिये और अधिकतम जो हो वह न्यूनतम से ४० गुना हो और धीरे-धीरे इसे घटा कर २० गुना करना चाहिये । वास्तव में कांग्रेस बाहर कुछ कहती है और सरकार चलाते समय कुछ और कहती है । कितने आश्चर्य की बात है कि वित्त मंत्री हमारी सरल और सीधी भाषा को नहीं समझ सकते जिसे उनके दल के नेता वर्षों तक बोलते रहे हैं। हमारी नीति द्विधाविभक्ति की है । हम प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के बारे में समझौता करने को तैयार नहीं हैं । इसीलिये मैंने संशोधन रखा है कि १९६० के पश्चात् इस प्रणाली को किसी भी उद्योग में न रहने दिया जाये । मैं आशा करता हूं कि यह सभा जिसने इन विचारों को बाहर स्वीकार किया है मेरे संशोधन का समर्थन करेगी और वित्त मंत्री भी इस के बारे में अधिक गम्भीरता से विचार करेंगे ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मेरे संशोधन की स्टेंसिल की हुई प्रतियों को जो सभासदों में बांटी जा चुकी हैं प्रस्तुत किया गया समझा जाना चाहिये । उस दिन सभापति महोदय श्री बर्मन ने मुझे सोमवार वाले दिन संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी क्योंकि उस दिन इसकी स्टेंसिल की हुई प्रतियां तैयार नहीं थीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने चर्चा आरम्भ होने से पूर्व संशोधन क्यों प्रस्तुत नहीं किया ? उस अवस्था में सभासद इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते थे ।

श्री गुरुपादस्वामी : मैंने चर्चा आरम्भ होने से पहले ही अपने संशोधन दे दिये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आज ही दिये हैं वे सूची में आ जायेंगे । यदि कोई माननीय सदस्य चिट नहीं देता तो उसे चर्चा आरम्भ होने से पूर्व खड़े हो कर अपना संशोधन प्रस्तुत कर देना चाहिये ताकि उस पर सभासद अपने विचार प्रकट कर सकें ।

श्री कामत : इसीलिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर): मेरा संशोधन यह है कि सरकार को ऐसा करने से पूर्व मंत्रणा आयोग से परामर्श लेना चाहिये । वित्त मंत्री इसे स्वीकार कर चुके हैं कि आयोग का परामर्श लिया जायेगा अतः इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है । श्री अशोक मेहता ने प्रबंन्ध अभिकरण प्रणाली की बुराइयां बताई हैं। हम भी इन्हें जानते हैं परन्तु अभी तक किसी ने इसका कोई विकल्प नहीं बताया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : प्रबन्ध निदेशक रखा जाये ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मेरा इस मामले से पर्याप्त सम्बन्ध रहा है और मैं इन "प्रबन्ध निदेशकों, सचिवों, कोषाध्यक्षों" को अच्छी तरह जानता हूं । उनमें और प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बीच कोई विशेष अन्तर नहीं है । विधेयक में रखी गई शर्तों के अधीन यह कैसा काम करते हैं इसका परिणाम देखना होगा । मेरा अनुभव यही कहता है कि दोनों प्रणालियां एक जैसी ही हैं ।

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को बुराइयों को नष्ट करने के लिये कुछ खण्ड हैं, और लापरवाही करने वाले निदेशकों को हटाने तथा उपबन्ध करने वाले प्रबन्ध अभिकर्ताओं को हटाने के लिये भी कुछ खण्ड बनाये गये हैं । यह अच्छा उपबन्ध किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के सामने यदि अंशधारी यह प्रमाणित कर दें कि निदेशक प्रबन्ध करने में लापरवाही करते रहे हैं और इसी कारण समवाय को हानि हुई है तो उनको हटाया जा सकता है । खण्ड ३४७ के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और खण्ड ३५६ से ३६३ के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ता अथवा उनका सहायक विक्रेता अभिकर्ता नहीं बन सकता । ये सब अच्छी बातें हैं परन्तु प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को बिल्कुल समाप्त कर देना ठीक नहीं है क्योंकि प्रबन्ध का और कोई ढंग नहीं है । अब हमें गैर-सरकारी क्षेत्र में पांच वर्षों में बहुत अधिक धन लगाने की आशा है फिर हम इस प्रणाली को कैसे समाप्त कर सकते हैं ? सैद्धांतिक मतभेद चलते रहते हैं परन्तु उन्हें वास्तविकता में लाना ठीक नहीं होता । बुराइयों को दूर करने के लिये शक्ति ली गई है इसलिये हमें देश में अन्य प्रबन्ध व्यवस्था का विकास होने तक प्रतीक्षा करनी होगी । कांग्रेस का सहकारी आधार पर समाजवादी ढंग का समाज बनाने का विचार ठीक है । अभी तक सहकारी ढंग

के समवाय आरम्भ नहीं हुये हैं धीरे-धीरे धन का आदर कम होकर चरित्र और मानवी नैतिकता का मान अधिक होने लगेगा और वही सहकारी प्रणाली का आधार होगा। जब तक प्रबन्ध की कोई अच्छी प्रणाली नहीं होती जिसमें इस प्रणाली की बुराइयां न हों प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समूल समाप्त कर देना बुद्धिमत्ता नहीं है। यदि कोई प्रबन्ध अभिकर्ता अच्छा सिद्ध नहीं होता उसे निस्संकोच निकाला जा सकता है। परन्तु वैकल्पिक प्रणाली विकसित होने तक इस प्रणाली को समाप्त करना सर्वथा अनुचित है।

खण्ड ३२३ कुछ उद्योगों में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है और यह खण्ड भूल-चूक करने वाले तथा कुप्रबन्ध करने वाले तथा अधिक पारिश्रमिक लेने वाले और अल्पसंख्यक अंशधारियों के हितों का अतिक्रमण करने वाले प्रबन्ध अभिकर्ताओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई करने का भी सरकार को अधिकार देता है। सरकार प्रबन्ध अभिकर्ताओं को हटा सकती है और दस प्रतिशत अंशधारियों के अभ्यावेदन पर निदेशक नियुक्त कर सकती है। अतः इस खण्ड द्वारा प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को विनियमित करने के लिये पर्याप्त शक्तियां दे दी गई हैं। श्री अशोक मेहता ने शिकायत की है कि वित्त मंत्री ने इसकी कोई घोषणा की है। इस विधेयक के अतिरिक्त वह और क्या घोषणा कर सकते हैं। यदि किसी समवाय के प्रबन्ध अभिकर्ता बुरे हैं तो जनता और अंशधारी उन्हें रहने ही नहीं देंगे।

अब मैं खण्ड ३३१ को लेता हूं। इसके अधीन किसी प्रबन्ध अभिकर्ता के पास १० समवायों से अधिक का प्रबन्ध नहीं कर सकेगा। यद्यपि यह खण्ड कुछ हद तक पहले से अच्छा है और इससे आर्थिक शक्ति का केन्द्रण रुकेगा तथापि मैं समझता हूं कि यह वास्तविक रूप में प्रभावोत्पादक नहीं होगा।

एक और बात जिस पर इस विधेयक में विचार नहीं किया गया सूत्रधारी समवायों का मामला है। एक सूत्रधारी समवाय के १०० सहायक समवाय हो सकते हैं और उस समवाय के प्रबन्ध अभिकर्ता उन सब पर नियन्त्रण रख सकेंगे। किन्तु खण्ड ३३१ के प्रयोजन के लिये उन्हें एक ही समवाय का प्रबन्ध अभिकर्ता समझा जायेगा। मेरे विचार में यह इस खण्ड में एक त्रुटि है।

खण्ड ३४७ के बारे में काफी चर्चा हुई है। कहा गया है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं की औसत आय जो कि समवाय के लाभों का १४ से १५ प्रतिशत तक होती है घटा कर ८ प्रतिशत करे दी गई है। मेरे विचार में यदि प्रबन्ध अभिकरण कमीशन के लिये एक क्रमिक सूत्र बना दिया जाये तो अधिक अच्छा होगा।

प्रत्येक प्रबन्ध अभिकर्ता को १९६० से पहले नवीकरण के लिये सरकार के सामने आना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि किसी प्रबन्ध अभिकरण का नवीकरण करते समय सरकार उसकी शर्तें निर्धारित करेगी और इस सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य देगी। हम यह भी आशा करते हैं कि नये समवाय विधि विभाग की यह भी नीति होगी कि पारिश्रमिक यथासंभव प्रबन्ध अभिकर्ताओं की आय के अनुपात से निश्चित किया जाये। यह पारिश्रमिक १० प्रतिशत नहीं होना चाहिये। यह क्रमिक सूत्र के आधार पर ५, ३ या २ प्रतिशत होना चाहिये।

खण्ड ३५१ से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इस के अनुसार पारिश्रमिक १० प्रतिशत से भी

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

बढ़ाया जा सकता है । मैं जानना चाहूंगा कि यह किन मामलों में बढ़ाया जायेगा ? क्या सरकार की दृष्टि में ऐसे मामले हैं और क्या सरकार बता सकती है कि वह किन परिस्थितियों में ऐसी वृद्धि को स्वीकार करेगी । मैं आशा करता हूं कि सरकार हमें कुछ उदाहरण देगी ।

अब मैं खण्ड ३३७ और ३४३ को लेता हूं । खण्ड ३३७ के अनुसार किसी प्रबन्ध अभिकर्ता को धोखेबाजी के अपराध में हटाया जा सकता है । खण्ड ३४३ में कहा गया है कि प्रबन्ध अभिकरण दाययोग्य नहीं होगा । मैं इसका स्वागत करता हूं किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से प्रबन्ध अभिकरण फर्में नहीं हैं बल्कि निजी या सार्वजनिक समवाय हैं, यह खण्ड लागू नहीं किया जा सकेगा । किसी फर्म में जब कोई भागीदार मर जाये तो उसका लड़का उस समय तक भागीदार नहीं बन सकता जब तक कि दूसरे भागीदार सहमत न हों और फर्म के लिये नया समझौता न हो । निजी समवाय में या सार्वजनिक समवाय में यह अंशों पर निर्भर करता है । इन समवायों में यदि किसी प्रबन्ध अभिकर्ता के लड़के के अंश अधिक हैं तो वह अवश्य अपने बाप के मरने पर प्रबन्ध अभिकर्ता बनेगा । इसलिये निजी और सार्वजनिक समवायों के मामलों में जिनमें अधिक अंश स्वयं प्रबन्ध अभिकर्ताओं के होते हैं प्रबन्ध अभिकरण को दाययोग्य बनने से रोकने का कोई उपाय नहीं होगा । जब भी प्रबन्ध अभिकरण में कोई परिवर्तन हो तो यह सरकार के सामने आयेगा । मेरे विचार में किसी प्रबन्ध अभिकरण के नवीकरण या निर्माण के मामले का निर्णय करते समय सरकार को केवल अंशों की संख्या को नहीं बल्कि उस व्यक्ति के आचरण, योग्यता, अनुभव आदि को ध्यान में रखना चाहिये ।

श्री तुलसीदास : इस बात का निर्णय करने के लिये कि कोई व्यक्ति प्रबन्ध अभिकर्ता बनाने के लिये योग्य और उचित है, सरकार को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिये ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैंने कहा है कि उसे व्यापार का अनुभव होना चाहिये और वह ईमानदार होना चाहिये और समवाय के व्यापार को भी ध्यान में रखना चाहिये ।

श्री अशोक मेहता ने कांग्रेस के १९४७ के उस संकल्प की चर्चा की जिसमें कहा गया था कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली यथासंभव शीघ्र समाप्त कर दी जानी चाहिए । मैं समझता हूं कि कांग्रेस अब भी इस पर कायम है । परन्तु मेरे विचार में वास्तविक समस्या इस प्रणाली को समाप्त करने की नहीं है बल्कि प्रबन्ध की एक और अधिक अच्छी प्रणाली निकालने की है। अब तक तो हम कोई ऐसी प्रणाली बना नहीं सके । इसके न होते हुए, प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त कर देने से कुछ लाभ नहीं होगा । इससे केवल व्यापारिक जगत में अव्यवस्था पदा होगी और औद्योगीकरण की, जो कि लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिये अत्यावश्यक है, प्रगति में रुकावट पैदा होगी । मेरे विचार में इस विधेयक से प्रबन्ध का ऐसा तरीका निकालने में सहायता मिलेगी जब तक इस वर्तमान प्रणाली को समाप्त नहीं कर सकते और हमें उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनका व्यवहार उचिप्त नहीं है, कार्यवाही करनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो माननीय सदस्य का कहना यह है कि उपखण्ड १ नहीं रहना

चाहिये और कुछ विशिष्ट उद्योगों के सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी जानी चाहिये ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : आपने मेरी बात को समझा नहीं । वह खण्ड तो रहेगा ताकि सरकार उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके जिनका व्यवहार सुधरता नहीं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : अब हम समवाय विधेयक के बहुत विवादग्रस्त खण्डों पर आ गये हैं और इनके सम्बन्ध में मतभेद होना आवश्यक है ।

मैंने श्री अशोक मेहता का भाषण सुना पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं । मुझे विश्वास है कि यदि श्री अशोक मेहता संयुक्त समिति सदस्य रहे होते तो शायद वह इस बात से सहमत हो गये होते कि हमने जो कुछ किया है, ठीक ही किया है ।

दो विचारधारायें जोरदार थीं–एक प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को तुरन्त समाप्त कर देना चाहती थी, दूसरी, उसके सुधार के लिये उस पर बहुत प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में थी । हम लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला । देश की मौजूदा औद्योगिक अर्थव्यवस्था में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को एक दम समाप्त कर देना ठीक न होगा ।

जब यह खण्ड पेश किया गया था कि खण्ड ३२५ के अन्तर्गत कोई अधिसूचना जारी की जायेगी तो किसी भी समवाय के लिये सरकार की विशेष अनुमति के बिना प्रबन्ध अभिकरण की नियुक्ति नहीं की जायेगी । मैं समझता हूं कि ऐसा करना अनुचित और असंवैधानिक होगा । इसी कारण वित्त मंत्री ने विधि मंत्रालय से परामर्श करके खण्ड ३२५ में कुछ शर्तें निश्चित कर दीं कि इन शर्तों को पूरा करने पर प्रबन्ध अभिकरण नियुक्त करने की अनुमति मिल सकेगी । गैर-सरकारी क्षेत्रों में इससे काफी गड़बड़ मच गई है और उन्होंने जो अभ्यावेदन दिये हैं उनमें से कुछ तो विचारणीय हैं ।

भाभा समिति ने अपने प्रतिवेदन में ठीक ही कहा था कि देश के औद्योगिक विकास में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली ने महत्वपूर्ण काम किया है ।

यदि भारत का कोई एकीकृत पूंजी बाजार होता तो मैं श्री अशोक मेहता के मत से सहमत होता और उनके तर्क का समर्थन करता । परन्तु मेरा ख्याल है कि भाभा समिति की मुख्य उपपत्ति अब भी सच है और ठीक है । भाभा समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ ८३ पर आप देखेंगे कि उन्होंने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के अवगुणों को जानते हुए भी उसे रखने की सिफारिश क्यों की है । पुस्तकों और आंकड़ों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कि लोग वास्तव में समवायों के अंश केवल इस कारण लेते हैं कि उन्हें उन प्रबन्ध अभिकरणों की जो यह कहते हैं कि इन उपक्रमों को हम खोल रहे हैं, सचाई व ऋणक्षमता पर विश्वास होता है । इस व्यावहारिक बात पर ध्यान दीजिये । यदि योजना आयोग स्वयं यह कहता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र रहना चाहिये, तो क्या ऐसा करना ठीक होगा ? योजना आयोग, जिसके सभापति भारत के प्रधान मंत्री हैं, स्वयं यह कहता है कि यदि आप देश का औद्योगिक विकास चाहते हैं तो आपको प्रबन्ध अभिकरण अवश्य रखने चाहियें और उस प्रणाली के दुरुपयोगों और कदाचारों को समाप्त करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न किये जाने चाहियें । और कोई विकल्प न होने पर इसे एक साथ समाप्त करना उचित न होगा ।

बम्बई अंशधारी संस्था ने संयुक्त समिति के समक्ष जो साक्ष्य दी थी मैं उससे बहुत

[श्री एन० सी० चटर्जी]

ही प्रभावित हुआ हूं । वह प्रबन्ध अभिकर्ताओं के कट्टर विरोधी थे तथापि उन्होंने यह मत प्रकट किया था कि यद्यपि आजकल प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को रखा जा सकता है परन्तु पांच वर्ष के पश्चात् १९५९ में इसके कार्य का ,वित्तीय, प्रबन्ध सम्बन्धी व्यापार आदि, पुनरीक्षण किया जाना चाहिये और तब पूर्ण छानबीन के पश्चात् यह निश्चय किया जाना चाहिये कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को किस सीमा तक रखा जाये । हमने इसके लिये, तथ्यों के लिये आग्रह किया, हमने सरकार से पूछा कि "क्या आपके पास कोई व्यवस्था है ? " उन्होंने सत्यतापूर्ण कहा कि व्यवस्था तो नहीं है। श्रीमान् आप जानते हैं कि सर एन० एन० सरकार के विधेयक और अधिनियम केवल इसी कारण अप्रभावी सिद्ध हुये कि सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई केन्द्रीय प्राधिकार नहीं था जो भारत में चल रहे २९,००० समवायों के काम को देखभाल करता। अतः एक समुचित केन्द्रीय व्यवस्था का होना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि भाभा समिति के सुझावों के अनुसार समुचित केन्द्रीय व्यवस्था की जायें जो स्वायतशासी हो । यह हो सकता है कि वह सरकार के साथ घनिष्ठ सहयोग से और उसकी वित्तीय नीति के अनुसार कार्य करें । उन्होंने कहा है कि जब तक यह केन्द्रीय व्यवस्था नहीं होगी तब तक आप चाहे जितने प्रतिबन्ध लगायें परन्तु वांच्छित फल प्राप्त नहीं होगा । अतः उन्होंने कहा है कि एक ऐसे केन्द्रीय प्राधिकार की स्थापना की जाये, जो आवश्यक सूचना प्राप्त करे और सरकार को सूचना दे, और सरकार हमको तथ्य बतायेगी । बम्बई अंशधारी संस्था के अनुसार पांच वर्ष के पश्चात् एक व्यापक पुनर्विलोकन होना चाहिए और तब हम निश्चय कर सकते हैं ।

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का विद्यमान रहना स्वयं प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साधारण व्यवहार पर निर्भर होगा । नवीन परिस्थितियों में उन्हें अपने उत्तरदायित्वों को समझना चाहिए । यदि वे तुरन्त और पूर्णतया उन सारे कदाचारों को जो उत्पन्न हो गये हैं समाप्त कर देते हैं और यदि वे अन्तः स्वशुद्धीकरण या स्व-नियंत्रण की व्यवस्था कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि फिर उनके समाप्त किये जाने की कोई मांग की जायेगी । समापन की मांग केवल इस कारण की गई है कि वे बुरा व्यवहार करने वाले अपने साथियों को नियंत्रित नहीं कर सके थे और उन्होंने व्यवहार का कुछ अच्छा मान निर्धारित नहीं किया है । परन्तु फिर भी आयोजन को समूचे चित्र में निजी उद्यम को महत्वपूर्ण भाग अवश्य लेते रहना चाहिये । यह योजना आयोग की निश्चित उपपत्ति है और हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं । यदि ऐसा किया जाता है तो आप देश का अहित करेंगे ।

प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने संसत्सदस्यों को पुस्तिकायें दी हैं जिनमें तथ्यों का विवरण दिया हुआ है । उदाहरणार्थ मेसर्स टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध अभिकर्ता हैं । मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली नामक पुस्तिका में बताया है कि किसी वर्ष विशेष में उन्हें अधिक वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा और उस कठिनाई का सामना करने के लिये उनके प्रबन्ध अभिकर्ता फर्म के दो भागीदारों ने उन्हें धन को प्राप्त करने में सहायता दी । अतः सारे प्रबन्धकर्ता बुरे नहीं हैं । मैं यहां केवल यह बताना चाहता हूं कि स्वभावतः निजी क्षेत्र में कुछ बेचैनी है कि नौकरशाही तथा राज-

नीतिक सत्ता के अत्याचार के फलस्वरूप पक्षपात या अन्य अनुचित बात उत्पन्न हो सकती हैं । उन्हें यह डर है ।

भाभा समिति ने भी यही कहा है कि किसी केन्द्रीय प्राधिकार के न होने के कारण कदाचार फैला हुआ है । यदि राजनैतिक दलबन्दी के प्रभाव से मुक्त कोई केन्द्रीय प्राधिकार स्थापित किया जाता है तो मैं सरकार को यह सब अधिकार देने को तैयार हूं ।

एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और वह यह है । देश को यह विदित होना चाहिये कि हम मूल विधेयक से कहीं आगे बढ़ गये हैं । मेरा ख्याल है कि आपने मूल विधेयक पर हुई चर्चा के समय कहा था कि प्रथम बात जो यहां की जानी चाहिए वह यह है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली में उत्तराधिकारिता न हो । अतः खण्ड ३४३ में हमने उपबन्ध किया है कि प्रबन्ध अभिकरण उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होगा । अतः यह अपने गुणों से ही प्राप्त होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि यही उचित भी है । मैं समझता हूं कि निजी क्षेत्र इन प्रतिबन्धों से अधिक विचलित नहीं होगा । समूचे रूप में हम समझते हैं कि बम्बई अंशधारी संस्था का मत ठीक है जिसने कहा था कि किसी वैकल्पिक साधन के बिना और देश में उचित धन बाजार के बिना प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को पूर्णतया समाप्त करना बहुत ही हानिकारक होगा ।

डा० कृष्णस्वामी : मैंने खण्ड ३२३ और ३२५ के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत किये हैं । पहिले मैं खण्ड ३२३ को लेता हूं और आशा करता हूं कि मेरा यह निर्वचन ठीक है कि "यह सूचित करने का केन्द्रीय सरकार का अधिकार है कि उद्योग या व्यापार की किसी श्रेणी-विशेष के समवायों में प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होंगे ।" यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि भविष्य में कुछ उद्योगों में प्रबन्ध अभिकरण नहीं रखे जायेंगे क्योंकि वहां उनकी आवश्यकता ही न होगी । परन्तु इस खण्ड में सरकार को प्रबन्ध अभिकरणों को समाप्त करने का जो अधिकार दिया गया है वह बड़ा ही अनिश्चित है और उसका दुरुपयोग हो सकता है । इस अधिकार के महत्व और ऐसे अधिकार के प्रयोग से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से यह उचित होगा कि संसद् को सुझाव देकर अपना मत प्रकट करने का अधिकार हो । खण्ड ३२३ की भाषा के अनुसार संसद् को यह अधिकार नहीं है । इसके लिये मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि संसद् को संशोधनों के द्वारा अपना मत प्रकट करने का अधिकार दिये जाने का उपबन्ध नियमों में किया जाना चाहिए ।

खण्ड ३२५ के सम्बन्ध में, मैं सरकार से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि उन्हें यह निश्चय करने का अधिकार हो कि कोई व्यक्ति-विशेष प्रबन्ध अभिकर्ता हो या नहीं । मेरी समझ में नहीं आता कि यदि एक बार किसी उद्योग को यह अनुमति मिल जाती है कि वह प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को चालू रख सकता है, तो सरकार यह निश्चय क्यों करती है कि प्रबन्ध अभिकर्ता कौन हो ? कुछ भी हो अंशधारी यह जानते हैं कि उनका हित किस में है और वे उपयुक्त व्यक्ति को अपना प्रबन्ध अभिकर्ता चुन सकते हैं । कहा जाता है कि सरकार को ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ता चुनना चाहिए जो ठीक और उपयुक्त हो । 'ठीक और उपयुक्त व्यक्ति' कौन है ? पूर्ण संभावना है कि वे केवल उन्हीं लोगों को प्रबन्ध अभिकर्ता चुने जो पहिले काम कर चुके हों । इसका परिणाम यह होगा कि विशाल औद्योगीकरण के बजाय, जोखिम उठाने की भावना रखने वाले नवयुवकों को

[डा० कृष्णस्वामी]

अवसर देने के बजाय हम कदाचित औद्योगिक क्षेत्र से नई बुद्धि वालों को पूर्णतया रोक देंगे। कुछ भी हो अंशधारियों को यह अधिकार देने में भय क्या है? यदि ऐसा हो कि सरकार द्वारा चुना गया प्रबन्ध अभिकर्ता ठीक न हो तो क्या मैं यह समझूं कि अंशधारी सरकार के विरुद्ध विरोध प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं? यदि हम प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं, तो निश्चय ही हमें बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करना चाहिए। परन्तु हमें ये सारे अधिकार तथा प्रतिबन्ध और कुछ लोगों को प्रबन्ध अभिकर्ताओं के रूप में चुनने के सारे नियम लागू नहीं करने चाहिएं।

खण्ड ३३१ में इस बात का उल्लेख है कि एक प्रबन्ध अभिकर्ता कितने समवायों का प्रबन्ध कर सकता है। इसमें उल्लेख है कि १५ अगस्त, १९६०, के पश्चात कोई भी व्यक्ति दस समवायों से अधिक का प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं हो सकता है।

आरम्भ में ही मैं अपने माननीय मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण और धन का केन्द्रीयकरण सर्वथा दो भिन्न वस्तुयें हैं। प्रथम का सम्बन्ध उस महत्वपूर्ण स्थान से है जो किसी उद्योग को अर्थव्यवस्था में प्राप्त होता है, और दूसरी का सम्बन्ध सांसरिक वस्तुओं से है। एक प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा प्रबन्धित इकाइयों की संख्या हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण स्थिति की द्योतक नहीं होती है। संभव है कि हम आर्थिक केन्द्रीयकरण का कुछ अधिक अनुमान कर रहे हैं और धन के केन्द्रीयकरण की ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं जोकि मूल वस्तु है और हमारे देश के आयोजित आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा सारा आर्थिक ढांचा इतना छोटा है कि बड़े से बड़ा प्रबन्ध अभिकर्ता भी प्रभावी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकता।

मैं इस बात से सहमत हूं कि आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण बुरी बात है। धन का केन्द्रीयकरण और राजनोतिक अधिकार का विस्तार असंगत है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या आज यह हमारी महान समस्या है। मेरा ख्याल है कि हम इस प्रश्न को वास्तविकता से अधिक महत्व दे रहे हैं और हमने स्थिति को वास्तव में उचित रूप में नहीं समझा है।

कई बातों में हम इस बात की कार्यवाही कर चुके हैं कि आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण न हो। १९४८ के औद्योगिक नोति संकल्प में, राज्यों के आर्थिक कार्यों की सीमा निर्धारित की थी। इसलिये आर्थिक अधिकारों का संकेन्द्रण, मेरे विचार से पूंजी का संकेन्द्रण है। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि वर्तमान भावनायें आर्थिक अधिकारों के विरुद्ध हैं।

इस के अतिरिक्त अगली पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। संभव है कि निकट भविष्य में एकाधिपत्य की संस्थायें बढ़ जायेंगी। इसलिये हमें ब्रिटेन की व्यवस्था को अपना लेना चाहिये। राज्यों को भी अपने क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ाने का अवसर मिल जायेगा। ग्रामीण सर्वेक्षण समिति का भी यही उद्देश्य था।

इस प्रश्न का दूसरा पहेलू भी है। एक प्रबन्ध अभिकरण में दस समवायों की सीमा रखी गई है। एक समवाय अपनी बढ़ोत्तरी करना चाहता है। यह उसकी आंतरिक निधि पर निर्भर है तथा जब तक इसकी व्यवस्था समवाय के उद्देश्यों में नहीं दी गई होगी, वह अन्य कार्य नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त समवाय विधि में तीन प्रकार के समवायों की व्यवस्था है और तीनों

प्रकार के इन समवायों पर उन्हीं व्यक्तियों का प्रभुत्व होगा जिनको आर्थिक अधिकार हैं । एक व्यक्ति दस समवायों का प्रबन्ध अभिकर्ता है तथा उसके साथी-सम्बन्धी, सचिव (सेक्रेटरी), आदि दूसरे दस समवायों के निदेशक हैं तथा इस प्रकार वह अपनी संख्या बढ़ा कर किसी भी समवाय का नियंत्रण कर सकते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें इस सीमा को समवाय विधि से निकाल देना चाहिये । मेरे माननीय मित्र केवल यही तर्क दे सकते हैं कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को वेतन कम मिलेगा । क्योंकि प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में उसको १० प्रतिशत मिलता जबकि जिन समवायों का वह प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं है उन से उसको ५ से ७ प्रतिशत ही मिलेगा । परन्तु मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि यह केवल उन्हीं की हानि नहीं है । वास्तव में देखा जाये तो राज्य की हानि है, क्योंकि उसके आयकर आदि में बहुत कमी आ जायेगी । हमें इसका भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये । यदि जनता को इससे लाभ होता तो भी ठीक था । इस लिये राज्य की आय को कम करना उचित नहीं ।

राज्य के आर्थिक विकास के लिये हमें सम्पत्ति पर कर लगाना आवश्यक है तथा इसलिये हमें पूंजी के लाभ पर भी कर लगाना चाहिये । श्री कालडर ने रायल कमीशन के प्रतिवेदन में दिया है कि देश के आर्थिक विकास के लिये हमें पूंजी के लाभ पर कर अवश्य लगाना चाहिये, क्योंकि इसी कर के द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी में अमरीका की उन्नति हुई । इसलिये हमें भी केवल विशेष वर्ग को ही पूंजी के लाभ का पूर्णाधिकारी नहीं बना देना चाहिये । यही कारण है कि धन का उचित बटवारा होना चाहिये । इस-लिये मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थन करूंगा कि वह इस पर पूर्णतया विचार करें कि केवल एक वर्ग ही धन का लाभ न उठाये ।

श्री अशोक मेहता ने बताया कि बम्बई अंशधारी संस्था ने संयुक्त समिति के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि प्रबन्धक का पारिश्रमिक २।। से ३ प्रतिशत अथवा इससे भी कम होना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अमरीका ने आर्थिक विकास के प्रारम्भ में प्रबन्धकों के लिये लाभ का २५ से ३० प्रतिशत रखा था, परन्तु आजकल २।। से ३ प्रतिशत उचित समझा जाता है । फिर भी संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित १० प्रतिशत को मान्यता देनी ही चाहिये ।

एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव रखा है कि प्रबन्ध अभिकर्ता के लिये क्रमिक वेतन-स्तर होना चाहिये । परन्तु सरकार को इससे क्या लाभ होगा ? सरकार को कर नहीं मिलेगा । समवाय विधि बनाते समय हमें इसका ध्यान रखना आवश्यक था और हमें यह विचार करना था कि प्रबन्ध अभिकरण कितनी शीघ्रता से उन्नति करेगा । अवश्य हमें प्रबन्ध अभिकरण की बुराइयों को दूर करना चाहिये, परन्तु हमें आर्थिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्रमिक वेतन-स्तर अब भी है । टाटा को केवल ५ प्रतिशत मिल रहा है और यदि कोई बड़ी धनराशि हो तो भी यह प्रतिशत उनके उत्पादन पर निर्भर होगा ।

डा० कृष्णस्वामी : एक करोड़ के लाभ पर ५ प्रतिशत ठीक है क्योंकि ८० प्रतिशत आयकर आदि के द्वारा ले लिया जाता है । यदि विधि द्वारा निर्धारित कर दिया जाये तो सामाजिक उद्देश्य पर ध्यान न देकर आप उसे निश्चित रूप से लागू करेंगे । क्रमिक वेतन-स्तर प्रशासनिक आधार पर

[डा० कृष्णस्वामी]

निश्चय किया जायेगा । इसमें सामाजिक नीति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शेष उत्पादन में लगा दिया जायेगा ।

डा० कृष्णस्वामी : यह वित्तीय नीति है । आयकर आदि की ऊंची दर होने के कारण ही लाभ को कारखानों में लगाया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऊंचे दरों के लगाये जाने का यह अभिप्राय नहीं कि वह राशि पुन: उद्योग में लगाई जानी चाहिये ।

डा० कृष्णस्वामी : जब प्रबन्ध अभिकर्ता को अधिक आयकर देना होगा तो वह यह राशि संस्था में लगा देगा । इसलिये निश्चित नियम नहीं बनाये जाने चाहियें । मैं इसके अतिरिक्त और कुछ कहना नहीं चाहता कि हमें अपनी अन्य विधियों पर भी ध्यान रखना चाहिये । कुछ मेरे मित्रों ने समवाय विधि के सम्बन्ध में सुझाव रखे हैं परन्तु उन्होंने आयकर विधि आदि पर विचार नहीं किया है । कोई ऐसा व्यक्ति जो धन एकत्र करता है, उसकी उसे जानकारी रहती है; इसलिये उसे भी यह समझना चाहिये ।

मेरे विचार से प्रबन्ध अभिकरणों को समाप्त कर देना चाहिये । नई मिलों पर नियंत्रण के परिणामस्वरूप चालू मिलों के लाभ बढ़ जायेंगे । इस प्रकार हम विशेष क्षेत्र में घोषित कर सकते हैं कि प्रबन्ध अभिकरणों के द्वारा यहां मिलें नहीं चलाई जायेंगी। सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि इस प्रश्न पर विचार करते समय वह किसी प्रकार का पक्षपात न करे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप का बड़ा मश्कूर हूं कि आपने मुझे इन क्लाजेज पर बोलने का मौका दिया। मैंने श्री साधन गुप्त साहब और श्री अशोक मेहता साहब की तकरीरें सुनीं और बहुत से हवालाजात जो उन्होंने दिये उनको भी बड़े गौर से सुना। जो कुछ बातें वह हाउस में कहते हैं वह मैं हमेशा बहुत गौर से सुनता हूं क्योंकि जहां तक उनकी बातों का सवाल है और उनकी काबलियत का सवाल है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं उनको सुनकर एक तरह से हैरान हो गया। आज हिन्दुस्तान की जो हालत है उसकी रियलिज्म उनके पास नहीं फटकी। जो कुछ उन्होंने फरमाया वह सारे का सारा डाक्ट्रिनेअर और थ्योरेटिकल था। क्या आज कोई शख्स अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सकता है कि फौरन इस हिन्दुस्तान से मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम को निकाल दिया जाये ? आज सीधा सवाल यह है ।

इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली लड़ाई के बाद से मैनेजिंग एजेन्सी के बर्खिलाफ बड़ी सख्त प्रेजुडिस कंट्री में है, लेकिन मैं जानता हूं कि कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिनके अन्दर लड़ाई के दौरान में खराब से खराब बातें हुई हैं । बड़े बड़े अंगरेज अफसर, आई० सी० एस० अफसर, मिलिटरी अफसर इस देश के अन्दर थे, जिन्होंने बड़े जोर शोर से ज्यादतियां कीं, उनमें से बहुतों ने लड़ाई के जमाने में रिश्वतें खाई । लोग समझने लगे कि दुनिया बदल गई है, लड़ाई के जमाने में वह अंगरेज इतने नीचे आये कि कोई यकीन नहीं कर सकता था इतना करप्शन अंगरेजों के अन्दर आ सकता है जो कि इतनी महान कौम है, जिनका पिछला रेकार्ड इतना जबर्दस्त है। इसी तरह से मैनेजिंग एजेंसी वालों में भी खराबियां हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कुछ मैनेजिंग एजेंट्स ने बदमाशियां कीं, हमारे इन्टरेस्ट के खिलाफ काम किया है, सब को खत्म कर दिया

जाये ? मैं चाहता हूं कि आप इस मामले को जरा गौर से देखें । अगर एक मानसिंह को एक करोड़ रुपया लगाकर भी गवर्नमेन्ट कैद नहीं कर सकी तो क्या सारी गवर्नमेन्ट को डिसमिस कर दिया जाये ?

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ दक्षिण) : अंगरेज तो भाग गये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अंगरेजों के भाग जाने के बाद की बात कहता हूं । जो चीजें अंगरेजों ने नहीं की जिन बातों को ब्यूरोक्रैसी नहीं कर सकती थी, उनको हमारी गवर्नमेन्ट ने करके दिखा दिया । अंगरेजों के जमाने में भी यह सारी की सारी खराबियां मैनेजिंग एजेन्ट्स में थीं, क्या कोई कह सकता है कि उनके जमाने में यह सारी की सारी खराबियां नहीं थीं ? क्यों उनको यह नहीं सूझा कि हर एक मैनेजिंग एजेन्सी के वास्ते ऐसी शर्तें लगा दी जायें जब तक कि गवर्नमेन्ट आर्बिट्रेरीली उनके बारे में एपरुवल न कर दे वह मुकर्रर नहीं हो सकते । आप कह सकते हैं कि अंगरेजों की हिम्मत नहीं हुई । लेकिन जो ब्यूरोक्रैसी होती है उससे ज्यादा सख्त काम डिमाक्रैसी कर सकती है । जो काम डिमाक्रैसी कर सकती है वह किसी तरह से ब्यूरोक्रैसी नहीं कर सकती है । जितना डिमाक्रैसी सल्व कर सकती है हमारे हकूक को उतना कोई ब्यूरोक्रैसी नहीं कर सकती ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सारे सेक्शन ३२५ को देख कर मुझे शक नहीं रहा कि हम सारे कान्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर जो हमने फंडामेन्टल राइट्स रक्खे थे, उन सब पर कुठाराघात करने जा रहे हैं और मैनेजिंग एजेन्सीज के साथ इन्साफ नहीं हो रहा है । मैं मैनेजिंग एजेन्ट्स का वकील नहीं हूं, मैं हिन्दुस्तान के लेबरर्स का लीडर भी नहीं हूं, मैं तो एक सीधा सादा छोटा सा गांव का या शहर का समझ लीजिये, रहने वाला हूं, और उसके नुक्ते नज़र से इस सारे ऐक्ट को देखते हुये बड़ी बड़ी डाक्ट्रिन्स के हिसाब से नहीं, मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे यह बतलाया जाये कि भले ही आज मैनेजिंग एजेन्सी में खराबियां हों, लेकिन सन् १९६० के अन्दर अगर एक मैनेजिंग एजेन्ट यह कहे कि साहब, मैंने आपके जो सारे कवायद थे उन पर अमल किया है, हमारी जो आमदनी भी रही हो, २४ परसेन्ट, १४ परसेन्ट, लेकिन अब मैंने कबूल कर लिया है कि मैं १० फी सदी से ज्यादा नहीं लूंगा। जितने हमारे अख्त्यारात थे आपने खत्म कर दिये, हम परवाज करने के काबिल नहीं हैं, उस तोते की तरह जोकि पिंजरे में बन्द रक्खा जाता है, आपने हमारे पर केंच कर दिये हैं । अगर कोई शख्स चाहे या दो डायरेक्टर चाहें, एक मामूली मीटिंग बुला कर वे यह कहें कि तुमने फ्राड किया है, तुमने ब्रोच आफ ट्रस्ट किया है, तुम निकाल दिये जाते तो, ग्रास मिसमैनेजमेंट में कोर्ट हटा सकती है, दो डायरेक्टर हटा सकते हैं और साथ ही एक मामूली स मामूली शेयरहोल्डर भी अगर चाहे तो उसके ऊपर झगड़ा कर सकता है । ऐसी सूरत में मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि ऐसे मैनेजिंग एजेन्ट के पास जिसके पास कोई अख्तियार नहीं है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के अल्फाज में जिसके टीथ निकाल दिए गए हैं, जिसके क्लाज बलंट कर दिए गए हैं ऐसे इन्नोसेंट मैनेजिंग एजेन्ट के पास क्या चीज बाकी है कि जिसके वास्ते आप कहते हैं कि यह सारे के सारे मेम्बर आफ दी क्रिमिनल ट्राइब हैं । जनाबेवाला आपको याद होगा कि इस हाउस में कुछ अर्सा हुआ एक बिल आया था और वह पास भी हो गया था जिसमें यह कहा गया था कि क्रिमिनल ट्राइब्ज के बारे में जो ऐक्ट है उसको रिपील कर दिया जाये और वह रिपील भी कर दिया

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

गया था और वह क्रिमिनल ट्राइब्ज अब खत्म भी हो चुके हैं । अब यह जो दूसरे क्रिमिनल ट्राइब्ज हैं और जिनको (मैनेजिंग एजेंसी) यह नाम दिया गया है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनमें से सारे के सारे ही बईमान है और सिवाय बेईमानी के वे क्या और कुछ काम करते ही नहीं हैं और न इसके सिवाय उनके पास और कोई दूसरा काम ही है ? इस वास्ते मैंने एक एमेंडमेंट दी है और सबसे पहले मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैंने उस एमेंडमेंट में कहा है कि अगर कोई शख्स गवर्नमेन्ट की खिदमत में अर्ज करे १९६० में कि मैंने आपके सारे के सारे क्वानीन माने हैं, मैंने आपको हिदायतों पर बड़ी अच्छी तरह से अमल किया है, मैंने अपने काम से और अपने बिहेवियर से आपको तसल्ली दी है और उसके साथ ही साथ गवर्नमेन्ट कहती है कि हां तुम सच कहते हो, तुमने ठीक हमारी हिदायतों पर अमल किया है, सारी जितनी खराबियां थीं वह निकाल दी हैं, तब भी जनाबेवाला १९६० में उसको हुक्म दिया जायेगा कि उसको कोई अख्तियार नहीं है कि वह आगे के लिये रह सके और उसको खत्म कर दिया जाए । इसके बाद वह मैनेजिंग एजेन्ट एक दरख्वास्त के साथ, मुंह में घास लेकर गवर्नमेन्ट के सामने आये और कहे कि मेहरबानी करके मेरा तुकर्रर एपरूव कर दीजिये, यह कितनी गलत बात है । मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा लौजिक है और यह कहां का इन्साफ है कि जिस के अन्दर गवर्नमेन्ट के कहने के मुताबिक जिस शख्स ने अमल किया है और गवर्नमेन्ट के कानून के मुताबिक वह चला है और हर तरह से उसने अच्छा काम किया है वह दुबारा गवर्नमेन्ट के पास आकर कहे कि मुझे रहने दिया जाए और गवर्नमेन्ट उसे कहे कि नहीं १९६० में तुम फिर मेरे दरबार में आओ और हम देखेंगे कि क्या हालत है । मुझे तो यह रिवोल्टिंग मालूम होता है । यह जो प्रौवीजंज हैं इनके मुताबिक तो एक दिन आयेगा, एक तारीख आएगी जिस दिन सारे हिन्दुस्तान भर में यह जो मैनेजिंग एजेन्सी का औक्युपेशन है, यह जो बिजनेस है इसको खत्म कर दिया जायेगा । यह जो प्राविजंज हैं यह हमारी जो कांस्टीट्यूशन की दफा १९(जी) है जिसमें कि यह लिखा है कि गवर्नमेन्ट सिर्फ प्रौफेशनल और टेक्नीकल बातों के वास्ते कुछ रेस्ट्रिकशंस लगा सकती है उसके खिलाफ हैं । जो अब रेस्ट्रिकशंस लगाई जा रही हैं मैं तो इनको अनरीजनेबल रेस्ट्रिकशंस समझता हूं और मेरा ख्याल है कि जिस दिन यह चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी यह एक दिन भी कायम नहीं रह सकेगी ।

इसके आगे जनाबेवाला मैंने ३२३ के वास्ते एक एमेंडमेंट दी है कि उन ऐसी कम्पनियों को यह एप्लाई न करे जो गवर्नमेंट की राय में या गवर्नमेंट की फाइंडिंग्ज के मुताबिक या मैनेजिंग एजेंटों की डिमाण्ड पर इन्क्वायरी के बाद यह साबित हो जाये कि वह इन प्रौवीजंज को कनफर्म करते हैं और सारे कानून के अनुसार आप्टिमम कंडिशंज वहां पर मौजूद हैं, उस सूरत में गवर्नमेंट को यह अख्तियार नहीं होगा कि उसको बुला कर जहां तक उसका ताल्लुक है उसको हाथ लगा सके ।

जनाबे वाला इसके अलावा मैंने एक एमेंडमेंट क्लाज ३२५ पर भी दी है और उसके बारे में मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस क्लाज में जो यह दर्ज है कि गवर्नमेंन्ट उसको एप्रूव करे, मैं इसकी सख्त मुखालिफत करता हूं । मैं यह समझ सकता हूं कि गवर्नमेन्ट को यह अख्तियार दिया जाए कि अगर कोई निकम्मा आदमी है और जो

इसकी खिलाफवर्जी करता है उसके खिलाफ तो ऐक्शन लिया जाए और गवर्नमेन्ट उसको डिसएप्रूव करदे। लेकिन एप्रुवल का बैरोमीटर मुझे देखना अभी बाकी है। किस तरह गवर्नमेन्ट यह मालूम करेगी कि फलां आदमी अच्छा है और फलां आदमी खराब है। आप यह कह सकते हैं कि यह बात तजुर्बे से साबित होगी लेकिन वह तजुर्बा अभी हुआ नहीं है। नए आदमी तो खत्म हुए। एक आदमी जो निहायत अच्छा है, जिसको सारे शेयर-होल्डर पसन्द करते हैं, पब्लिक पसन्द करती है वह एक डेप्टी सेक्रेटरी की राय में मुनासिब आदमी अगर नहीं है तो मैं पूछता हूं कि इसका क्या नतीजा होगा। मैं तो कहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी कुछ क्राइटीरिया नौकर रखने के लिये रखा है लेकिन इसके अन्दर तो कोई भी क्राइटीरियन नहीं रखा गया है। यह तो आर्बिट्रेरी पावर्ज हैं। आप यहां पर कोई क्वालिफिकेशन रख दीजिये कि वह ६ फुट का आदमी होना चाहिये उसके चेहरे से नूर चमकता हो या इसी तरह की दूसरी क्वालिफिकेशंस वह पूरी करता हो और अगर वह यह सारी बातों को पूरा करे तभी आप उसको रखें। आप यहां पर कह सकते हैं कि अगर वह कनविक्टिड आदमी है या अगर वह इनसालवेन्ट है उसको न रखा जाए। इसके अलावा उसको रखने के बाद आप ने एक और सख्ती रख दी है कि कोई आदमी एप्रूव भी हो जाए तो भी उसके बाद उसको हटाया जा सकेगा। क्यों साहब क्या मैं आप से बड़े अदब के साथ पूछ सकता हूं कि जब आपकी एप्रुवल से आपके उसी बैरोमीटर के मुताबिक जोकि आपने बनाया है उसको रख लिया जाता है तो फिर आगे जो मिसमैनेजमेन्ट वगैरह की जो बातें रखी गई हैं इनकी क्या जरूरत है। १९५१ में जब यह बिल आया था जिसके बारे में एक आनरेबल मेम्बर ने कहा था और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछली दफा फरमाया था कि अनन्य शक्ति भ्रष्ट कर देती है। गवर्नमेन्ट को यह पावर देना गवर्नमेन्ट को कोरप्ट करने के बराबर है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को खुद भी यह पावर्ज नहीं लेनी चाहियें और न ही हमें यह पावर्ज गवर्नमेन्ट को देनी चाहियें। जो जायज पावर्ज हैं उनको देने में किसी को एतराज नहीं हो सकता और वह पावर्ज गवर्नमेन्ट को मिलनी ही चाहियें। यह बात बिलकुल नाजायज है कि कोई शख्स कांट्रेक्ट न करे, मैनेजिंग एजेंट जब तक जेनरल मीटिंग में पास न हो कोई शख्स अपनी तनख्वाह के १० फीसदी प्राफिट्स से ज्यादा का कांट्रेक्ट नहीं कर सकता, अगर कोई कमीशन ले, अगर वह किसी और तरह का काम करे तो रुपया कम्पनी का हो जाता है। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि मैनेजिंग एजेंटों की पावर्ज को डिफाइन कर दिया जाए कि उसकी इतनी पावर्ज होंगी। मैं कहता हूं जो रीजनेबल बात है उसको तो आपको मानना ही चाहिये। मैनेजिंग एजेंट की जो पोजीशन होती है वह आप को मालूम ही है। यह बात ठीक है कि वह एक कम्पनी को बना सकता है और उसको खत्म भी कर सकता है।

वह सारा रुपया खा सकता है, वह रुपया लगा भी सकता है, अपने रिश्तेदारों को नौकर रख सकता है और इन सब चीजों को दूर करने के लिये अगर कानून बनेगा और उस पर उससे अमल करवाने की कोशिश की जाएगी तो कोई भी किसी किस्म की खराबी नहीं कर सकेगा। यह जो कानून बनाया जा रहा है वह इन खराबियों को दूर करने के लिये ही बनाया जा रहा है। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि इसको इतना सख्त न बनाया जाए कि उसको सांस लेने की भी इजाजत न हो। उसको हवा के अन्दर सांस तो लेने ही दिया जाना चाहिये।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

थोड़ा अर्सा हुआ फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री में तकरीर करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि यह जो प्राइवेट सैक्टर है यह सारे का सारा पब्लिक सैक्टर के जो उसूल हैं हम चाहते हैं कि यह उन पर अमल करे । यह बात बिल्कुल सही है । हम इसको मानते हैं । इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी फरमाया कि इस सैक्टर के अन्दर उनको मूव करने की पूरी फ्रीडम दी जानी चाहिये । इसको सांस लेने की इजाजत होनी चाहिये । मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कई लोग यह चाहते हैं कि इसको सांस भी लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिये । कोई भी सेल्फ रेस्पैक्टिंग आदमी अगर इन शर्तों के साथ काम करेगा तो उसको ग्रीफ ही होगा । जनाबेवाला मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा आदमी जिसकी सर्विस का टैन्योर बिल्कुल ही अनसरटेन हो, जिसको पता नहीं कि उसका क्या बनेगा, दो डायरेक्टर कम्पनी के हुए, एक जनरल मीटिंग बुलाई और कहा कि फ्राड किया है और कहा कि इसने ब्रीच आफ ट्रस्ट किया है, कोई सबूत नहीं है, यह भी पता नहीं है कि ब्रीच आफ ट्रस्ट किया है, किसी अदालत से क्या वह हुक्म लायेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है । मैं अदब से प्रार्थना करता हूं कि आप वह ३३६ सेक्शन मुलाहिजा फरमायें जो फ्राड के बारे में है । जनाबेवाला, वह सेक्शन इतना ड्रास्टिक है जो कि कहीं देखने में नहीं आया है । इसमें यह व्यवस्था है कि साधारण अधिवेशन में प्रबन्ध अभिकर्ता को हटाया जा सकता है ।

जनाबेवाला, मैनेजिंग एजेन्सी कम्पनीज और दीगर कम्पनीज के मैनेजमेंट में एक बेसिक फर्क होता है और वह फर्क यह है कि मैनेजिंग एजेन्सी कम्पनीज में मैनेजिंग एजन्ट का और उसके रिश्तेदारों का रुपया लगा होता है । उनकी तमाम रेपुटेशन स्टेक पर होती है । उन्हीं के सहारे वे जिन्दा रहते हैं । अगर ऐसी कम्पनी में आग लग जाये और उससे गवर्नमेंट के आफिसर्ज का ताल्लुक हो, तो वे आग बुझने के बाद ही वहां पहुंचेंगे, लेकिन मैनेजिंग एजेन्ट उसको बुझाने के लिये फौरन अपनी जान दे देगा । वहां पर एक यूनिफाइड कंट्रोल होता है । वहां पर एक खूबी यह होती है कि अगर कोई अच्छा और काबिल आदमी मिलता है तो उसकी तन्ख्वाह पचास रुपया बढ़ा कर उसको रख लिया जाता है । इसका नतीजा यह होता है कि काम ज्यादा होता है और अच्छा होता है और इसी लिये मैनेजिंग एजेंसी कम्पनीज़ लोगों का ज्यादा फायदा करती हैं ।

फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने एक एमेंडमेंट यह रखी है कि अगर कोई किसी मैनेजर की तन्ख्वाह दस बीस रुपया बढ़ाना चाहे, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं कर सकेगा । आखिर इस तरह से ये कम्पनियां कैसे चलेंगी ? इस तरह तो उनका चलना निहायत मुश्किल हो जायेगा । हमारी गवर्नमेंट अगले पांच-साला प्लान में ७५० करोड़ रुपये इंडस्ट्रीज़ पर लगा रही है ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैनेजर की परिभाषा इस प्रकार है : "वह व्यक्ति जिसका प्रबंध में कुछ सारवान हिस्सा है ।" उसकी स्थिति मैनेजिंग एजेन्ट के समान होगी और इसलिये .....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाबेवाला, "मैनेजर" की जो तारीफ दी गई है, उससे मैं वाकिफ हूं। यह ठीक है कि मैनेजर भी मैनेजिंग एजेन्ट की तरह ही "सब्स्टैन्शियली इन-चार्ज आफ मैनेजमेंट" है । अगर उसकी तन्ख्वाह अच्छे काम की वजह से बढ़ाई जाती है, तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त लेना जरूरी है—

उसकी इजाजत के बिना उसकी तन्ख्वाह नहीं बढ़ाई जा सकती है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरीके से कम्पनियां कैसे चलेंगी ? इस तरह से वे नहीं चल सकेंगी । आप मुल्क में इतना बड़ी स्केल पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करना चाहते हैं । आप एक फसल उगाने जा रहे हैं । तो क्या आप रोज पौधे को उखाड़ कर देखा करेंगे कि वह फसल कितनी उगी है । इस तरह तो काम नहीं चलेगा । आप उन लोगों को कुछ फ्रीडम दीजिये । जेनरल डिस्कशन के मौके पर फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की स्पीच सुन कर मैं बहुत खुश हुआ था । उस स्पीच में उन्होंने चन्द एक बहुत बढ़िया बातें कहीं थीं और मुझे यकीन हो गया था कि उन्होंने देश के हित में बहुत सही सही बातें हमारे सामने रखी हैं । मसलन उन्होंने फरमाया कि मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम में जितनी खराबियां हैं, मैं उनको खत्म कर देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही मैं यह नहीं चाहता कि मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम को खत्म कर दिया जाये । उन्होंने कहा है कि ये जितनी खराबियां हैं, अगर कोई और किस्म का मैनेजमेंट होता, तो उसमें भी ये हो सकती थीं, इसलिये इन खराबियों को ज़रूरत से ज्यादा अहमियत न दी जाये । उन्होंने यह भी बताया कि इन मैनेजिंग एजेंसीज़ ने देश की भलाई के लिये इतना काम किया है । इसके बाद उन्होंने फरमाया कि मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि अगर ये कम्पनियां अच्छी तरह भी काम करेंगी तो भी उनको एबालिश कर दिया जायेगा । उनकी यही बात मेरे कुछ लायक दोस्तों के लिये दुख का कारण हो रही है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसमें प्रैजुडिस की कोई बात नहीं है । अगर मैनेजिंग एजेंसीज़ देश के लिये खराब हैं, तो उनको फौरन खत्म कर दिया जाये । लेकिन ज़रा इस बात का ख्याल कीजिये कि आप अगले पांच-साला प्लान में इंडस्ट्रीज़ के लिये इतना रुपया खर्च करने जा रहे हैं । आपको तो ऐसा इन्तज़ाम करना चाहिये था कि नई नई कम्पनियां बनतीं और हमारे मुल्क के इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में मदद करतीं । जब पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता, तब आप सोचते कि किस तरह से इसमें काट छांट की जाये । लेकिन इस वक्त जो कुछ आप कर रहे हैं, उसकी बुनियाद एक बिल्कुल गलत ख्याल है---एक तंग-ख्याली है । आप एक ऐसा ला बना रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक मैनेजिंग एजेन्ट बिल्कुल अनसरटेन हो गया है । वह सोचता है कि १९६० में, अगर उसके पहले नहीं तो, उसका कला-कमा हो जायेगा । नतीजा यह है कि इतनी कनफ्यूज़न और अनसरटेन्टी पैदा हो गई है, जोकि बहुत नामुनासिब है । आपके कहने के मुताबिक जो भी अच्छी बातें हैं, उनको खत्म करने और निकालने का क्या मतलब है, यह मेरी समझ में नहीं आया है ।

गवर्नमेंट ने अपने हाथ में एक और ताकत ले ली है । अगर मैनेजिंग एजेंसी के कान्स्टीट्यूशन में कोई फर्क आ जाये, कोई पार्टनर निकल जाये, कोई मर जाये, कुछ हिस्से मुन्तकिल कर दिये जायें, तो वह मैनेजिंग एजेंसी खत्म हो जायेगी । अगर किसी कम्पनी के दस बीस हिस्सेदार हैं । उनमें से अगर किसी ने पांच हिस्से मुन्तकिल कर दिये, तो वह मैनेजिंग एजेंसी खत्म हो जायेगी । क्या यह कोई तरीका है काम करने का ? गवर्नमेंट की जो पार्ट (बी) की एमेंडमेंट है, उस में मैंने यह लिखा है कि अगर उस कांस्टीट्यूशन में चेंज होने से कम्पनी के मुफाद पर खराब असर पड़ता हो, तो वह कम्पनी खत्म कर दी जाये । यह ठीक है कि अगर कोई बड़ा भारी काम करने वाला शख्स अलग हो जाये, तो कहा जा सकता है कि कम्पनी का काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई दस बीस हिस्से बेच दे और आप कहें कि काम नहीं चलेगा, तो इस तरह पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में बड़ा

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कनफ्यूज़न पैदा हो जायेगा । सन् १९५१ में जो एक्ट पास किया गया था, वह चन्द साल के लिये था । मैंने उस वक्त भी उसकी मुखालिफत की थी । मैं अब फिर अर्ज़ करना चाहता हूं कि सन् १९५१ से लेकर अब तक गवर्नमेंट ने उस एक्ट की पावर्ज एक्सरसाइज कर ली हैं और उसके बाद अगर गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंचती है कि मैनेजिंग एजेंसी की वजह से जैसा कि आनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बताया है, कैपिटल दुगना तिगुना हो गया है और इन चन्द सालों में ही कम्पनी फार्मेशन तेरह हजार से उन्तीस हजार हो गया है, तो फिर यह कहना कि इसको खत्म कर दिया जाये, जायज़ और दरुस्त नहीं है ।

इस सिलसिले में मैं ने जो अमेंडमेंट्स दी हैं, उन के बारे में मैं दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं ।

एक अमेंडमेंट मैं ने यह दी है कि जब तक मनेजिंग एजेंट पर मारेल टार्पिच्यूड का इल्ज़ाम साबित न हो जाये तब तक उस को न हटाया जाये । मैं ने ३३६ और ३३७ में यह तरमीम पेश की है कि अगर किसी मनेजिंग एजेंट पर यह इल्ज़ाम हो कि उस ने ब्रीच आफ़ ट्रस्ट किया है या फ्राड किया है, तो जब तक कोर्ट तहकीकात के बाद उस एलीगेशन को दुरुस्त न समझ ले, तब तक उस को न हटाया जाये ।

यह प्राविज़न रखना भी मुनासिब नहीं होगा कि जेनरल मीटिंग में इस बात का फैसला कर दिया जाये कि किसी मैनेजिंग एजेंट ने ग्रास नेग्लीजेंस किया है । उसका अपना रुपया लगा हुआ होता है, उसके रिस्तेदारों का रुपया लगा होता है इसलिए वह ग्रास नग्लीजें या मिस-मैनेजमेंट नहीं करेगा । लेकिन अगर यह साबित हो जाय, तो उसको जरूर निकाल दिया जाए । लेकिन यह बाजिब नहीं होगा कि महज़ एक रेज़ोल्यूशन पास करके उसको कह दिया जाये कि तुम अपने घर बैठो ।

इसके बाद रेम्यूनरेशन का सैक्सन आता है । मैं यह नहीं कहता कि दस फी सदी रीम्यूनरेशन कम है, लेकिन जनाबेवाला, जैसा कि मेरे दोस्त डा० कृष्णस्वामी ने फरमाया है, एक करोड़ के ऊपर एक परसेंट, दस लाख के ऊपर पांच परसेंट, इन दोंनो में रात और दिन का फर्क है । इसका असर क्या होगा ? मेरे दोस्त ने फरमाया कि इस तरह सरकार को ज्यादा नुकसान होगा, दूसरे को नहीं होगा इसमें सरकार का सवाल नहीं है । इसमें तो देश का सवाल है । आप कहते हैं कि कान्सेनट्रेशन आफ वैल्थ नहीं करना है । यहां तो वही बात होगी कि "हिसाब ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा क्यों ?" अगर ऐवरेज से दिया जायेगा, तो बहुत से लोग तो ऐसे होंगें जो पैम्पर्ड होंगें । गरीब़ कम्पनियों की ऐवरेज ऐसी होगी कि वह दस परसेंट से काम नहीं चला सकेंगी । इसलिए इस तरह कोई ऐवरेज नहीं निकाला जा सकता कि हर एक को दस परसेंट दे दिया जाये । इसको देखना चाहिये और ज़रूर कोई प्रोपोर्शन फिक्स कर देना चाहिए ।

जहां दस परसेंट में प्राफिट न हो—जैसा कि दूसरे सैक्सन में हम ने रखा था, जहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह का ज़िक्र था, जैसा कि सैक्शन १९७ में जिक्र था—तो सवाल आता है कि मैनेजिंग एजेन्ट को ज्यादा मुनाफा मिले । इस में लिखा हुआ है कि शेयरहोल्डर्ज "सकना" इत्यादि . . . । मुझे अभी ऐसे शेयरहोल्डर्ज़ देखने हैं, जो ऐसी हालत में उसके साथ इन्साफ करेंगे । बेहतर यह है कि ऐसी सूरत में आप लफ्ज़ "शैल" रख दें और आर्टिकल्ज़ आफ एसोसियेशन्ज़ और मैमोरेन्डम

में यह लिख दें कि इस रेट और इस हिसाब से दिया जायेगा और कम से कम गवर्नमेंट को अख्तियार दिया जाये कि अगर प्राफिट काफ़ी न हो, तो वह फ़ैसला करदे कि उसको क्या मिलना चाहिये। अगर डायरेक्टर्ज़ और मैनेजिंग एजेन्ट्स के बारे में इस तरह का कोई प्राविज़न न रखा गया, तो कोई उनको पैसा न देगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जब तक इस में अमेंडमेंट न किया जायेगा, तब तक काम ठीक तरह नहीं चलेगा।

मैंने चन्द एक और अमेंडमेंट दिये हैं लेकिन चूंकि मैंने काफी वक्त ले लिया है इस लिये मैं उन पर नहीं बोलूंगा क्योंकि और लोगों को भी बोलना है। जनाबेवाला मेरे उन अमेंडमेंट्स को पुट कर देंगे। मैं एक और बात कह के खत्म कर दूंगा।

मेरी समझ में एक बात नहीं आई। मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इसका जबाब दें। एक कहानी है शेर और लैम्ब की। एक जगह एक लैम्ब पानी पीता था। उधर से शेर आया।

उपाध्यक्ष महोदय : सब जानते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वही किस्सा बन रहा है। सारे मैनेजिंग एजेंट्स को सुधारने की तरकीब की जा रही है। हमने अभी नहीं देखा कि वह कैसे सुधरेंगे। लेकिन फिर वही सवाल आवेगा कि अगर तू ने कुसूर नहीं किया है तो तेरे बाप ने किया होगा और अगर तू ने कुसूर नहीं किया है तो भी हमें तुझे खाना है। आप ने इस ऐक्ट में सारी चीजें रख दी हैं। मैं भी चाहता हूं कि जो खराबियां हैं उन को निकाला जाये लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन की फ्रीडम आफ ऐक्शन न ले लें। ऐसा न हो कि ऐसा करने से वह इस काम को ही छोड़ कर भाग जायें और देश का काम न करें। लेकिन फ्रीडम आफ ऐक्शन देते हुए इस तरह का स्टार चैम्बर मेथड इस्तमाल न किया जाये कि जिस के अन्दर एक भला आदमी अपना काम फ़ीली न कर सके। जो रेप्यूटेशन वाले आदमी हैं उन को शेयर होल्डर पसन्द करते हैं। अगर वह लोग कोई कम्पनी जारी करते हैं तो उस के हिस्से धड़ाधड़ बिकते हैं। यह इसीलिये कि पबलिक को उन पर भरोसा है। आप को क्या हक है कि उन्हों ने जो कानफिडेंस पैदा किया है उस को आप खत्म कर दें। हम चाहते हैं और हम ने अपने कांस्टीट्यूशन में भी रखा है कि हम कंसेंट्रेशन आफ वैल्थ नहीं होने देंगे। मैं अभी बम्बई गया था। वहां एक मेरे मिलने वाले हैं, मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार हैं। उन्हों ने कहा कि उन के एक रिश्तेदार के पास तीन करोड़ की जायदाद है। उन के ऊपर एस्टेट ड्यूटी कितनी लगेगी। मैं ने कहा कि तीन करोड़ पर ४० परसेंट के करीब लगेगी। इस पर उन्हों ने कहा कि अगर ४० परसेंट ड्यूटी लगेगी तो इतना नकद रुपया तो उस सारी प्रापर्टी से भी नहीं निकलेगा और उस आदमी के वारसान पापर हो जायेंगे। तो हम ने ऐसे कानून बना रखे हैं कि वैल्थ का कंसेन्ट्रेशन न होने पावे। अगर वह काफी नहीं है तो आप और रेट बढ़ाइये ताकि कंसेन्ट्रेशन आफ वैल्थ न होने पावे। लेकिन इस देश के इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के साथ खेल मत खेलिये। देश की तरक्की इसी तरह से हो सकती है कि ऐसा सिस्टम चलता रहे कि जिस में आदमी का सेल्फ इंटेरेस्ट कायम रहे। उस तरह का सेल्फ इंटरेस्ट गवर्नमेंट के अफसरों को नहीं हो सकता। जिस का सेल्फ इंटरेस्ट होग वह जी तोड़ कर काम करेगा।

एक बात और मेरी समझ में नहीं आई। गवर्नमेंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर बनाना चाहती है। मैं पूछता हूं कि इन में और मैनेजिंग एजेंट में क्या अन्तर है सिवा इस के कि एक

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मुनाफा ज्यादा लेता है । हम ने मुनाफा भी २७ पर सेंट से ८ पर सेंट कर दिया है । मैं तो नहीं समझता कि इन में कोई फर्क है ।

श्री एम० सी० शाह : यह अगले खंडों के अधीन आयेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह मैं भी जानता हूं । लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट इसी ग्रुप के मुताल्लिक है ।

श्री एम० सी० शाह : इन सबका उत्तर बाद में हम देंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप मेरे आर्ग्युमेंट को तो फौलो कीजिये । वह इसी ग्रुप पर है । आप सेक्रेटरी और ट्रेजरर का जो आल्टरनेटिव बनाने जा रहे हैं वह कब अमल में आवेगा । सन् १९६० में तो आप मैनेजिंग ऐजेंसी को खत्म कर देंगे । मैं कहता हूं कि इस ट्रंकेटेड पावर वाले मैनेजिंग एजेंट और सेक्रेटरी या ट्रेजरर में क्या फर्क है । या तो आप साफ कहिये कि हम सहकारिता पद्धति के लिए कुछ करना चाहते हैं, वर्ना तो मुझे इसमें कोई फर्क नहीं मालूम देता । अगर कोई एब्यूजेज करनी है तो दोनों ही कर सकते हैं । यह काम सारे देश की कम्पनियों का इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकती । मुझे जो डर लगता है वह यह कि कहीं इस एटेम्प्ट में गवर्नमेंट नाकामयाब न हो और इससे हमारे मुल्क का नुकसान हो जाये । मैं कोई मैनेजिंग एजेंट्स का दोस्त नहीं हूं । मुझे सिर्फ यही डर है कि मेरे देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को नुकसान न पहुंचे । मुझे डर है कि जो पालिसी आप चला रहे हैं उसे आप ठीक तरह से न चला पायेंगे । इसीलिए मैं चाहता हूं जो अमेंडमेंट मैंने दिये हैं उन पर हाउस गौर करे ।

श्री जी० डी० सोमानी : प्रबन्ध अभिकरण पद्धति के खण्ड बड़े महत्वपूर्ण हैं । तथा इन खण्डों पर प्रस्तुत अपने संशोधनों के सम्बन्ध में कुछ बताने से पूर्व, मैं अपने मित्रों द्वारा बताये गये कुछ तथ्यों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । श्री अशोक मेहता ने व्यापारियों को श्रम नियंत्रण करने, आदि के सम्बन्ध में चेतावनी दी थी । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्भव है प्रबन्ध अभिकरण पद्धति हटा दी जाये तथा व्यापारियों की पूंजी छीन ली जाये परन्तु उनके अनुभव तथा गुणों को नहीं छीना जा सकता है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

और इसीलिये मेरा यह विचार है कि श्री अशोक मेहता को समवाय प्रबन्धक बनने के लिये अभी बहुत कुछ सीखना चाहिये । माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा था कि पूंजीपतियों के अनुभव तथा गुणों का हम लाभ अवश्य उठायेंगे और इस प्रकार यह निश्चित है कि व्यापारियों को इस स्थिति से कोई भी नहीं गिरा सकता है ।

हमें बताया गया कि केवल कुछ परिवार प्रबन्ध अभिकरणों का नियंत्रण करते हैं । परन्तु इस तर्क के अनुसार हमें धीरे धीरे परिवर्तन करने चाहियें, क्योंकि हो सकता है कि एक दम परिवर्तन करने से कुछ गड़बड़ी हो जाये ।

मेरे माननीय मित्र ने बताया कि कुछ संस्थाओं से पूंजी की तुलना में लाभ अधिक है । परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने बीच में टोक कर बताया कि अंशधारियों ने इस बात की स्वीकृति दी कि लाभ को पूंजी में मिला दिया जाये जिससे समवाय की बढ़ोत्तरी हो सके । इस सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि श्री अशोक मेहता और अन्य व्यक्ति उनको अधिक लाभ उठाने देते हैं, क्योंकि वह छोटे समवायों को, बढ़ने नहीं देते जिससे वह

अन्य समवायों के प्रतिद्वन्दी बन सकें, और इस प्रकार कम लाभ कमा सकें । परन्तु मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं कि प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को समाप्त कर देना चाहिये । मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रबन्ध अभिकरण समस्या पर हमें उचित विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि प्रबन्ध अभिकरण पद्धति क्या है ? इस पद्धति के अनुसार, कुछ व्यापारिक संस्थायें, अपने अनुभव के आधार पर, कुछ अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध करती हैं । यदि आप प्रबन्ध अभिकरण को समाप्त कर देंगे तो व्यापारिक संस्थायें अपने पर जो दायित्व लेती हैं वह नहीं लेंगी और समवायों को जो लाभ प्राप्त हैं वह उन्हें नहीं मिलेंगे, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न समवायों को दिन-प्रति दिन नई कठिनाइयों का सामना करना होगा । माननीय वित्त मंत्री ने भी यह चेतावनी दी थी कि प्रबन्ध अभिकरणों पर ही यह बातें निर्भर है कि वे अपने इन अभिकरणों की उपयोगिता सिद्ध करके लोगों को बतायें कि उनकी आवश्यकता भी है या नहीं । इसीलिये मैं नहीं समझ सका कि इनको समाप्त करने के लिये बार-बार क्यों कहा जाता है ।

इस पद्धति द्वारा हुई आर्थिक प्रगति के आंकड़े बताये जा सकते हैं तथा इसकी जानकारी सभी को है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली ने इस देश में उद्योग-विकास के लिये विगत शताब्दी में कितना बृहद् कार्य किया है । इतने लम्बे काल में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली ने क्या क्या काम किये हैं इसका मैं ब्योरा नहीं पेश करना चाहता हूं । किसी असाधारण काल में यदि इस प्रणाली में कुछ दोष दिखाई दिये हैं तो उनको दूर करने के जोश में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि देश के औद्योगीकरण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे सामने है । इस कार्यक्रम की मांग है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक व्यापारिक संगठन इस कार्य में महानतम योग दे सके । इसलिये मैं अपील करना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का सम्बन्ध है हम कम से कम पांच वर्ष तक और देखें कि औद्योगीकरण के इस बहुत बड़े कार्यक्रम को पूरा करने में यह हमारी क्या सहायता कर सकती है ।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा परिचालित टिप्पणी में बताया गया है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा प्रत्याभूत ऋणों की राशि ७.७ करोड़ रुपये है । यह बात उन प्रबन्ध अभिकरणों के सम्बन्ध में कही गई है जिन्हों ने १९५१-५२ में १७२० समवायों का प्रबन्ध किया था । बम्बई मिल मालिक एसोसियेशन से पूछने से पता चला है कि केवल बम्बई की मिलों के सम्बन्ध में प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने १९५१ में १२.१८ करोड़ रुपये १९५२ में १६.३० करोड़ रुपये तथा १९५३ में १५.८० करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी थी । ७.७ करोड़ रुपये के ऋण की तो, केवल, देश के एक प्रमुख व्यापार समवाय ने प्रत्याभूति दी होगी । ऐसे ऋणों की प्रत्याभूति देने वाले देश में कई समवाय हैं । देश के सभी बड़े बड़े नगरों के सभी बैंक इन प्रबन्ध अभिकरणों द्वारा प्रबन्धित समवायों को ऋण भी देते हैं जब वे प्रबन्ध अभिकर्ताओं से प्रत्याभूति ले लेते हैं । इसलिये मेरे विचार से ७.७ करोड़ की इस राशि में कुछ गड़बड़ी जान पड़ती है । मेरे पास जो आंकड़े हैं वह मैं ने पहले बता दिये हैं । मैं ने लाभों के सम्बन्ध में जांच नहीं की है, अतः उस के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

अपने संशोधनों के सम्बन्ध में सब से पहले मैं खण्ड ३२३ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इस खण्ड के अनुसार सरकार को जो सामान्य शक्ति दी गई है उस से व्यापारी समुदाय के मन में अनिश्चितता

[श्री जी० डी० सोमानी]

और खतरे की भावना पैदा हो जायेगी और ह भी ऐसे समय में जबकि हम एक बहुत बड़ा औद्योगिक कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं । सम्पूर्ण औद्योगिक संगठन पर खतरे की एक तलवार लटका देने से कोई लाभ नहीं है जबकि यह घोषणा की जा सकती है कि अमुक उद्योग में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की आवश्यकता नहीं होगी । सरकार जब चाहे समवाय अधिनियम में संशोधन कर के किसी भी उद्योग में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त कर सकती है फिर ऐसे व्यापक अधिकारों को लेने की क्या आवश्यकता है ।

ऐसी सिफारिश तो बम्बई अंशधारी सन्था ने भी नहीं की है । उस की सिफारिश है कि पांच वर्ष के बाद जांच की जाये और यह देखा जाये कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली ने समवायों के प्रबन्ध में क्या सहयोग दिया है और उस के बाद उचित कार्यवाही की जाये । सरकार आज सभा को यह आश्वासन दे सकती है कि एक निश्चित अवधि के बाद सरकार इस बात पर विचार करेगी कि किस उद्योग में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का होना वांछनीय है और किस में नहीं है और फिर सरकार जिन उद्योगों में प्रबंध अभिकरण प्रणाली की आवश्यकता नहीं समझेगी उन के सम्बन्ध में एक जांच समिति नियुक्त करेगी ।

सूती वस्त्र तथा पटसन उद्योग के सम्बन्ध में मेरे साम्यवादी मित्रों ने संशोधन रखे हैं और कहा है कि क्योंकि इन में से किसी भी उद्योग में अग्रेतर विकास की आवश्यकता नहीं है इसलिये प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की इन उद्योगों के लिये आवश्यकता नहीं है । वास्तव में इन के मिलों की मशीनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और उन के बदले जाने की आवश्यकता है । यह बहुत भारी उद्योग हैं और इन के अभिनवीकरण के लिये इतनी अधिक धनराशि की आवश्यकता है कि बिना प्रबंध अभिकर्ताओं के कोई समुचित वित्तीय प्रबन्ध करना कठिन है । इस लिये मेरा संशोधन है कि यदि सरकार खण्ड ३२३ को हटा देने को तय्यार नहीं है तो कम से कम वह या तो यह आश्वासन दे या हमारा यह संशोधन स्वीकार करे कि किसी भी उद्योग के सम्बन्ध में इस प्रकार की अधिसूचना जारी करने के पूर्व उस की परिस्थितियों की अच्छी तरह से जांच की जाये और कोई आदेश जारी करने के पहले उस उद्योग को या अन्य हितों को जो कुछ कहना हो उसे अच्छी तरह से सुना जाये । इस से उद्योगों में थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न हो जायेगा कि सरकार कुछ भी करने के पहले भली प्रकार से जांच करेगी और कोई ऐसा काम नहीं किया जायेगा जिस से कि उद्योग को हानि पहुंचे । मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री ऐसे आश्वासन दिये जाने की वांछनीयता का अनुभव करेंगे ।

मेरा एक दूसरा संशोधन खण्ड ३२५ के सम्बन्ध में है जिस के अनुसार सरकार प्रबन्ध अभिकर्ताओं को मंजूर करेगी । इस से बहुत सी अनावश्यक कठिनाईयां बढ़ जायेंगी क्योंकि यह अधिकार अंशधारियों का ही है कि वह किस प्रबन्ध अभिकर्ता को रखें और किस को न रखें ।

इस खण्ड में यह भी बताया गया है कि उन की उपयुक्तता की जांच करने की कसौटी क्या होगी । इस के लिये यही देखा जायेगा कि अमुक प्रबन्ध अभिकरण ने गत वर्षों में इस समवाय का या अन्य समवायों का प्रबन्ध कैसा किया है । यह एक ऐसी बात है जिस के सम्बन्ध में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मत हो सकता

है और मतभेद होने के लिये बहुत स्थान है ।

इस के अतिरिक्त यह सिद्ध करने का भार भी प्रबन्ध अभिकर्ता पर होगा कि इस के लिये जो कसौटी रखी गई है उस पर यह पूरा उतरता है । अच्छा तो यह होता कि सरकार पर यह सिद्ध करने का भार रखा गया होता कि प्रबन्ध अभिकर्ता उपयुक्त नहीं है और पुराने अभिलेख के आधार पर सरकार यह सिद्ध करती कि वह उपयुक्त नहीं है । ऐसा न करने से यह प्रमाणित करना कठिन हो जायेगा कि वह उपयुक्त व्यक्ति है या नहीं ।

इस के अतिरिक्त अलग अलग प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में यह प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये कि उन की नियुक्तियां लोकहित में हैं या नहीं हैं । यह प्रश्न तो वास्तव में अंशधारियों के निर्णय करने का है । इस का उत्तरदायित्व सरकार को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये ।

खण्ड ३२७ संयुक्त समिति द्वारा जोड़ा गया है और उस के द्वारा यह उपबन्धित किया गया है कि जब कोई नियुक्ति निश्चित अवधि से अधिक के लिये की गई हो तो सारी नियुक्ति शून्य होगी । हो सकता है कि कभी नियुक्ति के आरम्भ होने की तिथि ही स्पष्ट न हो या पुर्ननियुक्ति के सम्बन्ध में पहले वाली नियुक्ति के समाप्त होने की तिथि स्पष्ट न हो । ऐसी परिस्थिति में मतभेद हो सकता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि केवल उतने समय की नियुक्ति शून्य समझी जाये जोकि निश्चित अवधि से अधिक की पाई जाये ।

प्रबन्ध अभिकर्ता के पद के उत्तराधिकार से सम्बन्धित खण्ड ३४३ में मैं ने उसी आधार पर संशोधन रखा है जिस पर कि मेरा खण्ड ३२५ से सम्बन्धित संशोधन आधारित है ।

खण्ड ३४५ में यह उपबन्ध है कि प्रबन्ध अभिकरण सार्थ के विधान में किया गया कोई भी परिवर्तन सरकार द्वारा अनुमोदित कराया जाना चाहिये । हम यह संशोधन करना चाहते हैं कि सरकारी मंजूरी तभी आवश्यक होनी चाहिये जबकि परिवर्तन ऐसा हो जिस से कि मूल सदस्यों का बहुसंख्यक हित समाप्त हो गया हो । जब तक मूल सदस्यों के बहुसंख्यक हित रहें तब तक किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिये । अतः प्रत्येक साधारण परिवर्तन के लिये सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये ।

खण्ड ३४८ का जहां तक सम्बन्ध है जिस प्रकार लाभ निर्धारित करने में आयकर नहीं काटा जाता है उसी प्रकार प्रबन्ध अभिकरण का परिश्रमिक का हिसाब लगाने के पहले जहां लागू हों ई० पी० टी० (अधिलाभ कर) और बी० पी०टी० भी लाभ में से नहीं घटाये जाने चाहियें ।

खण्ड ३४९ में उपबन्धित किया गये है कि इस अधिनियम के आरम्भ होने के बाद पहले वित्तीय वर्ष में गत अवक्षयण की बकाया भी जोड़ ली जाये । इस से कई समवायों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । इस की बकाया बहुत हो सकती है और हो सकता है कि १९६० तक प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पारिश्रमिक बहुत कम हो जाये । हो सकता है कि प्रबन्ध अभिकरण के कमीशन का आधार पहले कुछ और रहा हो और अब कुछ और हो । इस लिये पुराने अवक्षयण को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये और यह उपबन्ध उसी अवधि से लागू होना चाहिये जिस से कि अधिनियम लागू हो ।

प्रबन्ध अभिकरण सम्बन्धी खण्डों का जहां तक सम्बन्ध है हम को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि देश के आर्थिक

[श्री जी० डी० सोमानी]

विकास पर इन का क्या प्रभाव होगा । कोई भी प्रणाली हो दोष तो व्यक्तियों का ही होता है इसलिये सारी प्रणाली को दोषपूर्ण नहीं समझना चाहिये । देश के महान औद्योगिक कार्यक्रम को ध्यान में रखत हुए, मैं आशा करता हूं कि इन खण्डों पर अच्छी तरह से और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया जायेगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : खण्ड ३३१ उपबन्धित करता है कि १५ अगस्त, १९६० के बाद कोई भी प्रबन्ध अभिकर्ता अपने आधीन दस से अधिक समवाय नहीं रख सकेगा । इस का प्रभाव यह होगा कि जिन प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पास दस से अधिक समवाय हैं वे उन समवायों को जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं बन्द कर देंगे । यदि वह अर्धविकसित अवस्था में होंगे तो वे अर्धविकसित ही बने रहेंगे । इस प्रकार श्रमिकों को और अंशधारियों को दोनों को हानि होगी ।

दक्षिण में बनस्पति के बहुत से कारखाने खोले गये हैं जिन को सरकार ने पचास पचास साठ साठ लाख रुपये के ऋण दिये हैं । उन में अधिकांश इसलिये ठीक से नहीं चल रहे हैं क्योंकि जब रुपये की आवश्यकता थी तब प्रबन्ध अभिकर्ता उन के लिये धन की व्यवस्था नहीं कर सके थे ।

कुर्नूल में शायद बिड़ला ने एक मिल खोली है जिस में एक करोड़ रुपया लगाया है और उस में सैकड़ों व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं । उस के प्रबन्ध अभिकरण को यदि दस से अधिक समवायों को समाप्त करना होगा तो वह पहले इसी को समाप्त करेगा जिस से मजदूरों में बेकारी बढ़ेगी और अंशधारियों को हानि होगी ।

इस के अतिरिक्त प्रादेशिक रूप से उद्योगों का विकास भी असम्भव हो जायेगा । द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारा लक्ष्य केवल यही नहीं है कि उद्योगों का विकास किया जाये वरन् यह भी है कि उन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास किया जाये जोकि औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं । ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति इस के लिये तय्यार नहीं होगा कि औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में कारखाने खोलने का प्रयत्न करे ।

इस के अतिरिक्त इस विधेयक में या वित्त मंत्री के भाषण में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि सरकार उन समवायों को चलाने का भार अपने ऊपर लेगी जोकि खण्ड ३३१ के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से बन्द कर दिये जायेंगे । ऐसा न होने पर अंशधारियों पर भारी प्रभाव पड़ेगा और मजदूरों में बेकारी बढ़ेगी । सभा को चाहिये कि खण्ड ३३१ को पारित करने के पहले इन सब बातों पर विचार कर ले ।

इस सम्बन्ध में एक और बात है। अधिकतर विकास उन्हीं क्षेत्रों में किये जाने की आशा है जिन में अब तक कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है । विशेषतया कृषि क्षेत्रों का उस समय तक विकास नहीं हो सकता जब तक कि उद्योगों का वहां विकास न किया जाये । वास्तव में किसी क्षेत्र के कृषि उत्पादकों का भविष्य वहां के औद्योगिक विकास पर निर्भर होगा, जैसे कि यदि रूई के कारखाने खोले जाने हैं तो कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का ध्यान अवश्य रखा जायेगा इत्यादि । किन्तु इस इस सम्बन्ध में न तो सरकार ने कोई आश्वासन दिया है और न कोई सुझाव ही दिया है ।

वास्तव में जहां पर छोटे प्रबन्ध अभिकर्ता असफल रहे हैं वहां पर बड़े प्रबन्ध

अभिकर्ता सफल हो रहे हैं। हमें वित्तीय पहलू पर ध्यान रखते हुए बड़े उपक्रमियों को निरुत्साहित नहीं करना चाहिये। यदि हम ने बड़े व्यापारियों के उपक्रमण को रोकने का प्रयत्न किया तो विकास के लियें पूंजी प्राप्त करना कठिन हो जायेगा। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि खण्ड ३३१ को विधेयक में स्थान न दिया जाये क्योंकि हमारा उद्देश्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योगों का विकास करना है।

मैं अन्य किसी खण्ड पर कुछ न कह कर केवल इसी खण्ड के बारे में कहना चाहता हूं कि यह नियम वर्तमान समवायों पर लागू न हो। भविष्य के लिये यदि इस खण्ड की आवश्यकता हो तो इसे रखा जा सकता है। क्योंकि विद्यमान समवायों के कार्य का परीक्षण किया जाने को है इसलिये धोखे का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो सकता। प्रबन्ध अभिकर्ताओं के मुआवजे पर भी रोक लगा दी गई है। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि १० समवायों की जो सीमा रखी गई है वह कुछ उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है क्योंकि उन में लगाई गई पूंजी बहुत कम भी हो सकती है। इसलिये समवायों की संख्या निश्चित करना ठीक नहीं है—इस से लाभदायक उपबन्ध तो यह हो सकता था कि व्यापार की मात्रा की सीमा निर्धारित कर दी जाती। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि खण्ड ३३१ को संशोधित किया जाये ताकि यह खण्ड विद्यमान समवायों पर लागू न हो।

श्री मुरारका (गंगानगर-झुंझनूं) : मेरा संशोधन संख्या ४३६ है जो खण्ड ३३० के बारे में है।

प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पदधारण करने के बारे में इस विधेयक में दो खण्ड हैं ; अर्थात् खण्ड ३२७ तथा ३२९। खण्ड ३२९ के अनुसार विद्यमान प्रबन्ध अभिकर्ताओं की पदावधि १५ अगस्त, १९६० तक है। अन्य खण्ड ३२७ भी प्रबन्ध अभिकर्ताओं की पद धारण करने की अवधि से ही संबंधित है और संयुक्त समिति की यह इच्छा नहीं थी कि यह खण्ड इस अधिनियम के लागू होने के तुरन्त बाद ही प्रवर्तन में न आये।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

वास्तव में अभिप्राय यह था कि विद्यमान प्रबन्ध अभिकर्ता १५ अगस्त, १९६० तक रहें और नये अभिकर्ताओं को १५ वर्ष तक की आज्ञा सरकार दे सकती है और नवीकरण के मामलों में १० वर्ष तक की आज्ञा सरकार द्वारा दी जा सकती है। इसलिये मेरे संशोधन द्वारा जिन शब्दों को हटाया जाना है वे व्यर्थ हैं—क्योंकि खण्ड ३२९ एक आत्मनिर्भर खण्ड है। जिस समय यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया था तो वहां पर प्रबन्ध अभिकर्ताओं से सम्बन्धित खण्डों का पूर्ण परीक्षण किया गया था तथा इस में परिवर्तन भी किये गये थें। संयुक्त समिति में भी दो विरोधी विचार धारायें थीं—एक विचार धारा तो इस प्रणाली के उत्सादन के पक्ष में थी तथा दूसरी के अनुसार यह तरीका बहुत लाभदायक था इसलिये वह इस के रखे जाने के पक्ष में थी। यदि कोई व्यक्ति उस सारे साक्ष्य को पढ़े तो वह यह नहीं कह सकता है कि इस प्रणाली को एकदम खत्म कर दिया जाये।

प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली एक बहुत ही पुरानी प्रणाली है। इस के सम्बन्ध में जो शिकायतें हैं वे भी उतनी ही पुरानी हैं। १९१६-१८ में श्री टी० एच० हालैण्ड के सभापतित्व में नियक्त किये गये भारतीय औद्योगिक आयोग ने भी यह निष्कर्ष दिय था कि यह प्रणाली उस समय की भारतीय परिस्थितियों के लिये पूर्णरूपेण अनुकूल थी और इसे रखा जाना चाहिये था।

[श्री मुरारका]

इस के बाद १९२७ में यह मामला उस समय उठा जबकि भारतीय प्रशुल्क आयोग नियुक्त किया गया था । उस समय यह कहा गया था कि १९२७ की मन्दी इसी प्रणाली के कारण हुई थी और यदि यह प्रणाली लागू न होती तो मन्दी से बचा जा सकता था किन्तु आयोग ने जांच के बाद यह निर्णय दिया था कि यह बात गलत थी ।

इस के बाद तीसरी बार भारतीय बैंकिंग जांच समिति ने इस प्रश्न पर १९३१ में फिर विचार किया— उस समिति ने कहा कि यद्यपि यह प्रणाली औद्योगिक उपक्रमों के लिये लाभदायक रही है फिर भी उद्योगों को भविष्य में इस प्रणाली पर कम निर्भर रखा जाये ।

इस के बाद १९३२ में भारतीय प्रशुल्क बोर्ड ने इस प्रश्न का दोबारा परीक्षण किया । उस बोर्ड का निष्कर्ष यह था कि लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग इसी प्रणाली द्वारा आरम्भ किया गया है । उस ने सिफारिश की थी कि इस प्रणाली को रखा जाये । इसी के साथ बोर्ड ने यह सिफारिश भी की थी कि सरकार विधान बना कर इस प्रणाली का विनियमन अवश्य करे ।

इस के बाद १९४९-५० में राजकोषीय आयोग नियुक्त किया गया—उस ने इस प्रणाली द्वारा की गई सेवाओं की सराहना की । भाभा समिति ने भी यही सिफारिश की थी कि इस प्रणाली में संशोधन किये जायें न कि इसे समाप्त ही कर दिया जाये । योजना आयोग ने भी १९५२ में इस प्रश्न का परीक्षण करने के बाद यही कहा कि इस प्रणाली को रखा जाये । यदि कोई व्यक्ति इस सब साक्ष्य को देखे तो यही कह सकता है कि इस प्रणाली ने देश के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा काम किया है और इसी कारण से इसे बनाये रखा जाये ।

यदि एक ओर जनता इस प्रणाली के विरुद्ध थी वहां इस के पक्ष में सभी आयोगों तथा समितियों के निर्णय थे । इसी दृष्टि-कोण से सरकार ने विधेयक में यह उपबन्ध किया है कि यदि सरकार किसी उद्योग के लिये इस प्रणाली को अनावश्यक समझे तो वह एक अधिसूचना के द्वारा उस उद्योग से इस का उत्सादन कर दे ।

श्री कामत : श्रीमती जी, औचित्य प्रश्न के हेतु मैं कहना चाहता हूं कि सभा में गण-पूर्ति नहीं है ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर—मध्य) : हमें तो प्रथा के अनुसार चलना है ।

श्री कामत : प्रथा तो १ तथा २-३० म० प० के बीच के लिये है ।

समापति महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री मुरारका : इस विधेयक में अनेकों खण्ड ऐसे हैं जिन के द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ताओं की गतिविधियों तथा उन को दिये जाने वाले पारिश्रमिक आदि पर नियंत्रण हो सकेगा । इन सब के सम्बन्ध में पर्याप्त कहा जा चुका है ।

आज प्रातः श्री अशोक मेहता ने अपना एक संशोधन रखा है कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को १९६० के बाद समाप्त कर दिया जाये । मैं समझता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार खण्ड ३२३ के अन्तर्गत किसी उद्योग विशेष में इस प्रणाली को पहले भी समाप्त कर सकती है ।

श्री अशोक मेहता ने इस प्रणाली के उत्सादन के पक्ष में दो कारण बताये, एक

तो यह कि इस से आर्थिक शक्ति कुछ व्यक्तियों के पास केन्द्रित हो जाती है और दूसरे यह कि इस से आय में बहुत असमानता उत्पन्न होती है । दूसरे कारण के बारे में मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि शुद्ध लाभ के १० प्रतिशत की सीमा निर्धारित की जा चुकी है, और जहां तक पहले कारण का सम्बन्ध है वह भी ठीक नहीं है । किसी व्यक्ति के पास केवल प्रबन्ध अभिकर्ता होने के कारण ही आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो जाती है यह कहना गलत है । प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति अंशधारी करते हैं— इसलिये चाहे प्रबन्ध अभिकर्ता हों, चाहे प्रबन्धक निदेशक अथवा मंत्री तथा कोषाध्यक्ष हों इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता है । वास्तव में आर्थिक शक्ति तो उन की होती है जिन के पास अंश होते हैं, और इसलिये वास्तव में समवाय के वास्तविक मालिक तो अंशधारी ही होते हैं ।

जब तक हम ऐसा कोई उपबन्ध नहीं करते कि एक व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक अंश नहीं खरीद सकता है तब तक स्थिति इसी प्रकार रहेगी और इस विधेयक द्वारा हम ऐसा कार्य करने नहीं जा रहे हैं । यदि किसी व्यक्ति के पास दस या अधिक समवायों में ५१ प्रतिशत अंश हैं तो फिर आप चाहे किसी को भी प्रबन्ध अभिकर्ता क्यों न नियुक्त करें या किसी और को वहां क्यों न रखें उस से कोई भी अन्तर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ५१ प्रतिशत अंशों का स्वामी समवाय के भाग्य का नियंत्रक जो वहां है, जब तक उस के पास वह अंश हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता ।

इस के बाद श्री अशोक मेहता ने यह कहा है कि टाटा जैसे उद्योगपतियों ने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के उत्सादन को स्वीकार कर लिया है । किन्तु मैं एक उद्धरण देना चाहता हूं जोकि उन के उस साक्ष्य में से है जिसे उन्हों ने भाभा समिति के सामने दिया था ।

श्री सी० सी० शाह : मैं समझता हूं कि उस ज्ञापन का उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सदन पटल पर रखे गये अभिलेख का भाग नहीं है और न ही इसे परिचालित किया गया है ।

श्री मुरारका : यह ठीक । मैं उस का सारांश बताये देता हूं । उस में यह कहा गया था कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस के उत्सादन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । उन्हों ने यह भी कहा था कि उस पर रुकावटें भी न लगाई जायें क्योंकि इस से देश के औद्योगिक विकास को धक्का लगेगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : जो भाषण में ने सुने वे दो प्रकार के थे, एक तो यह थे कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये और दूसरे यह थे कि इस प्रणाली को रखा जाये । श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा कि इस प्रणाली को इस शीघ्रता से समाप्त क्यों किया जा रहा है । मुझे तो इस विधेयक में इस प्रकार का कोई उपबन्ध दिखाई नहीं देता है । इस विधेयक में यह उपबन्ध है कि १९६० के बाद सरकार यदि इसे अनावश्यक समझे तो इस प्रणाली को समाप्त कर सकती है । माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा है कि वह इस प्रणाली को समाप्त नहीं करना चाहते हैं किन्तु इस में सुधार करना चाहते हैं । श्री सोमानी ने कहा है कि १९६० तक इस प्रणाली को अपने कार्य से यह सिद्ध करना चाहिये कि यह प्रणाली एक लाभदायक प्रणाली है और इसे आगे चलते रहने की आज्ञा दी जाये । इस से सिद्ध होता है कि उद्योगपतियों पर इस विधेयक का क्या प्रभाव पड़ा है । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का उत्सादन अभिप्रेत नहीं है । यदि यह अभिप्राय न होता तो यह कभी भी न कहा जाता कि नये समवायों में भविष्य में प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं रखे जायेंगे । खण्ड (२) (ख) में यह उपबन्ध है कि यदि किसी विशिष्ट तारीख को किसी समवाय में प्रबन्ध अभिकर्ता न हो तो इस के बाद वह समवाय प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता है । यदि विधेयक का अभिप्राय इस प्रणाली के उत्सादन से था तो इस प्रकार का खण्ड एक विभेद उत्पन्न करता है । जब एक लाभ जनता के एक क्षेत्र को दिया जाये और दूसरे क्षेत्र को न दिया जाये तो यह स्पष्ट रूप से विभेद करना ही तो है । श्री चटर्जी ने इस विभेद का निर्देश किया है—क्योंकि इस खण्ड से यह पता चलता है कि सरकार अन्ततः इस प्रणाली को समाप्त करना चाहती है । सरकार इसे क्योंकि एकदम समाप्त नहीं कर सकती है इसलिये यह उपबन्ध उप-खण्ड (१) में किया गया है कि इसे उद्योगवार समाप्त किया जाये । इस विधेयक का अभिप्राय प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली की स्तुति करना और यह कहना नहीं है कि यह प्रणाली बहुत उत्तम है और यदि यह ठीक ढंग से काम करे तो इसे जारी रखा जायेगा । यह निर्वचन गलत है । उपखण्ड (१) में यह उपबन्ध है कि सरकार इस प्रणाली को उद्योगवार १९६० से भी पूर्व भी समाप्त कर सकती है । क्या हम यह समझें कि यद्यपि ऐसा उपबन्ध किया गया है तथापि सरकार का विचार ऐसा करने का नहीं है ?

श्री के० के० बसु : यही बात वित्त मंत्री के हृदय में है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं यह मानता हूं किन्तु खंड की भाषा को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि इस शक्ति का संभवतया प्रयोग किया जायेगा । जब यह खण्ड बनाये जा रहे थे उस समय यह विचार था कि जहां देश में औद्योगिक विकास की आवश्यकता है, वहां इस प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को रखा जाये । यदि ऐसी बात थी तो यह बात भी निश्चित है कि प्रारूपकों का यह विचार था कि यह खण्ड ऐसे क्षेत्रों पर भी लागू होंगे जहां अग्रेतर विकास नहीं होना है । श्री सोमानी ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना का उल्लेख किया है । इसलिये यदि दूसरी योजना के अन्तर्गत पटसन उद्योग के अग्रेतर विकास की आवश्यकता नहीं है तो उस खण्ड को वहां लागू किया जाना चाहिये, इत्यादि । इस समय बागान और विशेषतया चाय उद्योग का प्रसार करने की आज्ञा नहीं है इसलिये वहां प्रबन्ध अभिकर्ताओं की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । इसी प्रकार कोयला उद्योग के बारे में भी ऐसी ही परिस्थिति है । उस का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है । यह खंड वहां भी लागू हो सकता है । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि १९६० से पहले यह खण्ड कम से कम इन चार उद्योगों पर लागू किया जाना चाहिये । इस से हमें कोई हानि नहीं हो सकती है । इन उद्योगों के चलाने के लिये एक दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है । एक होती है चालू पूंजी और इस की व्यवस्था करना कोई कठिन काम नहीं है क्योंकि ये उद्योग वर्षों से चल रहे हैं एवं दृढ़ता से स्थापित हो चुके हैं—दूसरे इन उद्योगों के साथ वाणिज्यिक बैंकिंग का सम्बन्ध होता है और वर्षों से वित्त प्राप्ति का एक ऐसा तरीका बन चुका है कि यदि आज प्रबन्ध अभिकर्ताओं को हटा दिया जाये तो कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री सोमानी ने कहा था कि ५० करोड़ रुपये की प्रतिभूति तो प्रबन्ध अभिकर्ताओं

की है—अब जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, परिपत्र में बताया गया है कि किसी समवाय के संसाधनों की प्रत्याभूति प्रबन्ध अभिकर्ताओं की प्रत्याभूति नहीं समझी जाती है। अधिकतर समवाय अपने संसाधनों के आधार पर ऋणों की प्रत्याभूति देते हैं न कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के संसाधनों पर। ऐसा तो केवल कुप्रबन्धित समवायों में ही होता है कि अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है—और इसी कारण से रकम ७ करोड़ रुपये रखी गई है न कि ५० करोड़ जैसा कि श्री सोमानी ने कहा है।

मेरा निवेदन है कि जहां तक चालू पूंजी का सम्बन्ध है, प्रत्याभूति यद्यपि वर्तमान स्रोतों से दी जाती है, तथापि इस की प्रतिशतता बहुत कम होती है। इसलिये सदा सरकार को ही इन समवायों को ऋण दे कर इन की सहायता करनी पड़ती है। समाजवादी ढंग के समाज में तो जब भी कोई उद्योग असफल होने को होगा, सरकार को ही प्रत्याभूति देनी होगी, और सरकार ऐसा कर रही है। सरकार स्वयं ऋण दे रही है, अतः चालू पूंजी के लिये प्रत्याभूति देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री सोमानी का यह कथन है कि कपड़े की मिलों तथा अन्य प्रकार के कारखानों के पुनर्वास के लिये पुनर्वास ऋण दिये जाने चाहियें। परन्तु यह तो एक विचित्र सा तर्क है। उन्हों ने यह तर्क तो केवल प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के चालू रखे जाने के उद्देश्य से दिया है। अतः यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जब पुनर्वास का प्रश्न आयेगा तो वह नहीं अपितु सरकार धन की व्यवस्था करेगी।

हम इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का विरोध इसलिये करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूंजी का केन्द्रीयकरण हो। समाजवादी ढंग के समाज में तो पूंजी का केन्द्रीयकरण कदापि नहीं होना चाहिये। प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली पूंजी का केन्द्रीयकरण करती है और इसलिये इसे समाप्त कर दिया जाये।

लोग पूछते हैं कि सिद्धान्तवादी बनने से क्या लाभ है? इस का उत्तर यह है कि किसी आदर्श सिद्धान्त को अपनाये बिना कभी काम नहीं चल सकता है। समाजवादी ढंग के समाज में कोई आदर्श सिद्धान्त तो स्थापित करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से इस का आधार इस प्रणाली को समाप्त ही करना होगा परन्तु उस का कौन सा रूप पहले समाप्त किया जाना चाहिये, यह बात मैं आप पर छोड़ता हूं।

भारत में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली अन्य किसी भी प्रणाली की अपेक्षा अधिक महंगी है। इस का परिणाम यह होता है कि वास्तव में इतना अधिक सकल लाभ होने पर भी अन्त में हानि का ही मुंह देखना पड़ता है।

इस देश में इस प्रकार की प्रणाली उन दिनों तो चल सकती थी जिन दिनों मजदूरी बहुत कम थी और मजदूरों को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। परन्तु आज के समाजवादी समाज में, जबकि श्रमिक वर्ग में जागृति उत्पन्न हो चुकी है, ऐसी प्रणाली को चालू रखना असम्भव है। यदि आप मजदूरों के पारिश्रमिकों में वृद्धि करने के साथ साथ प्रबन्ध अभिकर्ताओं को भी बड़े बड़े वेतन देते रहेंगे तो आप के व्यापार का दिवाला पिट जायेगा। हाल ही में श्री गजेन्द्र गदकर ने अपने बैंक पंचाट में लिखा है कि जब तक इस वर्तमान प्रणाली को समाप्त न किया जायेगा, तब तक मजदूरों को अच्छा पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकेगा। हमें अमेरिका और इंग्लैण्ड का अनुकरण करना चाहिये, वहां पर प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली नहीं है, केवल निदेशक होते हैं। इस प्रणाली

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

से लागत कम हो जाती है । अतः भारत में भी यह प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिये । निदेशक ही समवायों के प्रबन्ध को देखें तभी खर्च कम हो सकता है । प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली तो बहुत खर्चीली है । अतः सरकार को इस के सम्बन्ध में अपनी दृढ़ नीति घोषित कर देनी चाहिये ताकि सभी उद्योगपति सचेत हो जायें कि अब इस प्रणाली को त्यागना ही होगा ।

अब भूत काल की बातें करने से कोई लाभ नहीं! किसी समय तो जमींदारी प्रणाली भी लाभदायक थी, परन्तु अब नहीं है । प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की भी यही स्थिति है । अतः इसे त्यागना ही पड़ेगा । जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाती है उसे त्याग देना ही ठीक है ।

फिर पूंजी बाजार का प्रश्न उठाया गया है । परन्तु आज यह बाजार पहले की अपेक्षा पूर्ण रूप से बदल गया है । प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली उस समय प्रारम्भ हुई थी जबकि कोई पूंजी बाजार नहीं था । परन्तु आज तो अधिकांश पूंजी बाजार सरकार द्वारा बना दिया गया है । प्रत्येक राज्य ने वित्त निगम स्थापित कर दिये हैं । सरकार को बाहर से धन मिल रहा है और सभी धन का दायित्व सरकार ग्रहण करती है अतः आज प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं है । सरकार ने इम्पीरियल बैंक को ले लिया है और ग्राम्य बैंकिंग को बढ़ा रही है । अतः सभी प्रकार की पूंजी की व्यवस्था कर दी गई है । अतः अब समय आ गया है कि सरकार इस प्रणाली को समाप्त कर दे जहां तक प्रबन्धकों का सम्बन्ध है वह भी उपलब्ध रहेंगे, उन का योग्यता भी देश को लाभ पहुंचाती रहेगी अतः सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार से सोच-विचार करे और इस प्रणाली को समाप्त करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई कार्यवाही करें ।

श्री के० के० बसु: हम समवाय विधेयक के एक अत्यन्त व्यापक और आवश्यक भाग पर चर्चा कर रहे हैं । मैं श्री त्रिपाठी के इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं कि सरकार ने यह वचन दिया था कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया जायेगा । परन्तु सरकार ऐसा अनुभव करती है कि इस समय देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को एक दम समाप्त कर देना सम्भव नहीं है । परन्तु वित्त मंत्री महोदय ने विचार प्रस्ताव के समय कुछ एक ऐसे शब्द कहे थे जिन से यह प्रतीत होता है कि सरकार इस प्रणाली को समाप्त नहीं करना चाहती है अपितु इसे 'सुधारना' चाहती है ।

वित्त मंत्री महोदय ने गत १९ अगस्त को सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि सरकार इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार करेगी और यदि यह प्रतीत हुआ कि यह प्रणाली देश के हित में नहीं है तो सरकार इसे समाप्त कर देगी । यह निर्णय अन्तिम निर्णय है ।

परन्तु आज प्रातः वित्त मंत्री ने यह कहा है कि सरकार १९६० के उपरान्त केवल कुछ एक उद्योगों में ही इस प्रणाली को समाप्त करने के सम्बन्ध में घोषणा करेगी । संयुक्त समिति ने भी इस पर विचार किया था और सरकार से सिफारिश की थी कि इस प्रणाली को समाप्त तो करना ही होगा, इसलिये उन्हों ने ऐसी तिथि निश्चित कर दी जब तक कि सरकार को, अन्तिम निणय करना होगा कि किन प्रबन्ध अभिकर्ताओं को समाप्त किया जायेगा ।

प्रबन्ध अभिकर्ताओं के समर्थन में दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं । कहा गया है

कि वे देश में उद्योगों के विकास के लिये पूंजी इकट्ठी कर सकते हैं और यह भी कि वे प्रवीण भी हैं। जहां तक उद्योगों के विकास का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों से पता चलेगा कि अधिकांश प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने विविध क्षेत्रों में काम शुरू किया है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नहीं। अतः यह कहना व्यर्थ है कि पिछले १० या १५ वर्षों में उद्योगों के विकास के लिये प्रबन्ध अभिकर्ता ही उत्तरदायी हैं।

इन बड़े बड़े व्यापारियों का दावा है कि वे बहुत समय से पूंजी उपलब्ध कराते रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने केवल ७ करोड़ रुपये के ऋण की प्रत्याभूति दी है। और रुपया उपलब्ध कराने का तरीका क्या है? ऋण-पत्रों की अदायगी करने के बिना ही उन्हों ने उस रुपये का प्रयोग करने और दूसरे समवायों को खरीदने का प्रयत्न किया है। उन समवायों का, जिन का वे प्रबन्ध करते हैं, रुपया ले कर उन्हों ने अपने सहकारियों या चहेतों को ऋण दिये हैं। मान लीजिये कि एक उद्योग में ७ करोड़ रुपये की प्रत्याभूति दी गई है, किन्तु बैंकों ने लगभग ५९ या ६० करोड़ रुपये का ऋण दिया है। अतः यह कहना व्यर्थ है कि जहां तक उद्योगों के विकास के लिये ऋण-पत्रों का या अन्य ऋण पूंजी का सम्बन्ध है, प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने बहुत हद तक रुपया उपलब्ध कराया है। यह बात बिल्कुल निराधार है कि पूंजी इकट्ठी करने के लिय प्रबन्ध अभिकरण आवश्यक है।

मेरे मित्र श्री के० पी० त्रिपाठी ने कहा है कि चाय उद्योग भी भारतीयों के हाथ में आता जा रहा है, किन्तु जब भी कोई संकट आये, इस के पास रुपया नहीं होता। संकट के समय सरकार को इस की सहायता करनी पड़ती है। बैंकों के विनियोग के बारे में रिज़र्व बैंक ने जो आंकड़े दिये हैं, उन से पता चलता है कि उन्हों ने अपना रुपया अधिकतर वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में लगाया है। इन लोगों का कहना है कि जब तक वे प्रत्याभूति न दें, जब तक उन के वैयक्तिक साख से लाभ न उठाया जाये, रुपया उपलब्ध नहीं हो सकता। मैं यह नहीं समझ सकता। बहुत से बैंकों के निक्षेप उद्योगों के विकास के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं और बहुत से मामलों में स्वयं बैंकों का सम्बन्ध समवायों से है।

जैसाकि मैं ने पहले कहा है, अब प्रत्येक विकास परियोजना में औद्योगिक वित्त निगम या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सहयोग से बनाया गया निगम ऋण देता है। इन सब की प्रत्याभूति सरकार देती है। अतः यह कहना व्यर्थ है कि देश के औद्योगीकरण के लिये रुपया प्रबन्ध अभिकर्ताओं को ही इकट्ठा करना है। आयोजन के फलस्वरूप अब जनसाधारण के पास धन है और इसे औद्योगिक विकास में लगाया जायेगा। यदि आप प्रबन्ध अभिकरण फर्मों के लाभों की ओर देखें, जोकि उन्हों ने प्रदत्त पूंजी और निगम निकाय की संचित निधि में विनियोग द्वारा कमाया है, तो आप को मालूम होगा कि उन की सेवा की तुलना में यह कितना अधिक है। मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं, किन्तु मैं इन में नहीं जाना चाहता। मेरा निवेदन केवल यह है कि प्रबन्ध अभिकरण फर्में पूंजी इकट्ठी नहीं कर सकतीं।

योग्यता के प्रश्न की बहुत चर्चा की गई है। मैं नहीं जानता कि प्रबन्ध अभिकर्ता फ़र्मों के निदेशक अपने आप को योग्य व्यक्ति कैसे कहते हैं। मेरे पास निदेशकों के नामों की सूची है, जोकि मैं ने सरकार द्वारा दी गई जानकारी से तैयार की है। मैं इन्हें पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता क्योंकि यहां नाम नहीं लिये जाते। आप इन की योग्यतायें देखिये।

[श्री के० के० बसु]

एक वकील है, जिन की कोई आय नहीं थी, दूसरे का सम्बन्ध राजनैतिक जीवन से था, तीसरे एक सेवा निवृत्त आई० सी० एस० पदाधिकारी हैं । जब ये निदेशक बनते हैं, तो इन्हें सब प्रकार की योग्यता रखने वाला समझा जाता है और ये प्रवीण माने जाते हैं । ऐसे लोग पच्चीस पच्चीस फर्मों के निदेशक हैं । इन की योग्यता केवल एक है और वह यह है कि इन के पास बहुत धन है । किसी समवाय का निदेशक बनने के बाद इन के सब खर्च प्रबन्ध अभिकरण फर्म उठाती है और ये फर्म के खर्च पर इंग्लैण्ड और यूरोप भी घूम आते हैं ।

यदि सरकार को इन प्रबन्ध अभिकरण फर्मों की प्रवीणता में इतना विश्वास है, तो वह रूरकेला या मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्रों के लिये अपने आदमी क्यों भेज रही है ? सरकार ६ या ७ बड़ी बड़ी प्रबन्ध अभिकरण फर्मों से सहायता क्यों नहीं लेती ? मेरा निवेदन है कि प्रवीणता का यह प्रश्न बिल्कुल बेहूदा है ।

स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह मानते हुए कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने अच्छा काम नहीं किया, सरकार को इस प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिये था । किन्तु वह अब क्या कर रही है ? हम ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि करापवंचन करने वालों पर रोक लगा दी जाये । किन्तु वित्त मंत्री ने कहा है कि वह नहीं जानते कि करापवंचन करने वाला कौन है, इसलिये वह इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहते । मेरे विचार में उन्हें यह कहना चाहिये कि 'हम उन्हें इसलिये दंड नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें इन से कुछ फायदा होता है ।'

इसलिये वित्त मंत्री के विचार को और विरोधी पक्ष के बहुत से मित्रों की राय को जानते हुए, मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है । सरकार को यह कहना चाहिये कि "ये कुछ ऐसे उद्योग हैं, जिन के लिये प्रबन्ध अभिकरणों को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है" । ऐसा कहने का कोई लाभ नहीं कि पटसन उद्योग या चाय उद्योग या कोयला खान उद्योग में योग्य व्यक्तियों की कमी है । सरकार को यह कहना चाहिये कि १९६०—यदि यह अवधि १९६१ तक बढ़ा दी जायें, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी—में इन सब उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होंगे । यह कालावधि निश्चित कर दी जानी चाहिये । मैं यह बात मानने के लिय तैयार हूं कि कुछ और उद्योगों, —पूंजी वस्तु उद्योग, भारी रासायनिक उद्योग और बिजली क सामान के उद्योग— के बारे में सरकार को विमुक्ति देने का अधिकार होना चाहिये, इन के लिये प्रबन्ध अभिकर्ता कह सकते हैं, किन्तु यह कहना सत्य नहीं है कि १९५५ में भी प्रबन्ध अभिकर्ता भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय ।

निजी फर्मों के बारे में जो सरकारी संशोधन है, उस के बारे में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं । मैं नहीं जानता कि सरकार इन के बारे में संयुक्त समिति की सिफारिशों को महत्व क्यों नहीं देना चाहती । हम ने देखा है कि बहुत से निजी समवाय अच्छी तरह काम नहीं कर रहे । इसलिये उन समवायों को छोड़ कर जिन्हें सरकार विमुक्त करना चाहती है, इन सब पर विधेयक के प्रतिबन्धात्मक उपबन्ध लागू करना आवश्यक है ।

श्री सी० सी० शाह: इस लम्बे और विवादास्पद विधेयक में संयुक्त समिति ने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली सम्बन्धी उपबन्धों पर पक्ष से अधिक विचार किया था और

इस मे मूल विधेयक में इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं । इस प्रकार के दो परिवर्तन खंड ३२३ और ३२५ में किये गये हैं ।

सभा में इस बात पर काफी चर्चा हुई है कि इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये या जारी रखा जाये । समिति ने भी इस बात पर सावधानी से विचार किया था और इस के जो निर्णय थे वे खंड ३२३ और ३२५ और ३२९ में दिये गये हैं । मेरा इरादा यह बताने का है कि समिति ने ये निर्णय किन कारणों से किये ।

श्री अशोक मेहता ने खंड ३२९ के बारे में यह संशोधन रखा था कि प्रबन्ध अभिकरणों की समाप्ति के लिये एक तिथि निश्चित कर दी जानी चाहिये । संयुक्त समिति ने इसे स्वीकार नहीं किया । किन्तु, इस ने सरकार को शक्तियां दी हैं जिस से कि वह इस प्रणाली को उद्योगवार और इकाईवार समाप्त कर सके । मेरा निवेदन है कि खंड ३२३ और ३२५ का स्पष्ट अर्थ यह है कि इस प्रणाली की समाप्ति शनैः शनैः की जायेगी और ऐसा करने के लिये समय और गति का निर्णय सरकार को करना होगा ।

खंड ३२३ के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार निकट भविष्य में इन शक्तियों का प्रयोग करेगी । कुछ अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में, यह कुछ बाद में किया जायेगा । उपखंड (२) में कहा गया है कि यदि किसी समवाय में सरकार द्वारा अधिसूचना निकाले जाने के बाद उल्लिखित तिथि को कोई प्रबन्ध अभिकर्ता होगा तो उस का कार्यकाल उल्लिखित तिथि के तीन वर्ष बाद या १५ अगस्त, १९६० को जो भी बाद में हो, समाप्त हो जायेगा । १५ अगस्त, १९६० की तिथि इस खण्ड में जान बूझ कर इस आशा से रखी गई है कि सरकार अधिसूचना द्वारा तीन वर्ष का समय दे कर कुछ उद्योगों में प्रबन्ध अभिकरणों को समाप्त कर सके । कुछ और उद्योगों में प्रबन्ध अभिकरणों को बाद में समाप्त किया जा सकता है । यह कहा गया है कि देश के औद्योगिक विकास के लिये प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का होना आवश्यक है क्योंकि वे उद्योगों को चलाते हैं और उन के लिये वित्त की व्यवस्था करते हैं । संयुक्त समिति ने इन सब बातों पर विचार किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कुछ उद्योगों में इस प्रकार की वित्तीय कार्य-वाहियों की आवश्यकता नहीं रहेगी । इस-लिये सरकार इन उद्योगों में अधिसूंचना द्वारा प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को समाप्त कर सकती है । यदि संयुक्त समिति का यह विचार न होता तो विधेयक में खण्ड ३२३ को रखने का कोई मतलब ही नहीं था । यह कहा गया है कि अभी इस खण्ड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस से अनिश्चितता की भावना पैदा होती है और यदि सरकार ऐसी कार्यवाही करना चाहे तो किसी भी समय कर सकती है । इसी प्रकार की दलील का उत्तर देने के लिये यह खण्ड रखा गया है क्योंकि यह बात नहीं कि सरकार बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है बल्कि यह है कि कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन पर यह उपबन्ध फौरन ही लागू किया जा सकता है । जिन उद्योगों के सम्बन्ध में ऐसी अधिसूचना नहीं निकाली जा सकती उन पर खण्ड ३२५ लागू होता है । सरकार प्रत्येक कम्पनी के सम्बन्ध में यह देखेगी कि जिस प्रबन्ध अभिकर्ता को नियुक्त या पुनः नियुक्त किया जाना है वह उप-खण्ड (२) की शर्तों को पूरा करता है या नहीं । यह उपबन्ध नहीं है कि सरकार तब तक अनुमति नहीं देगी जब तक कि कुछ बातें न हों बल्कि यह है कि उप्खण्ड (२) की शर्तें पूरी होने पर ही अनुमति देगी । मेरे मित्र श्री सोमानी और श्री तुलसीदास ने यह संशोधन रखा

[श्री सी० सी० शाह]

है कि इस खण्ड में ऐसा उपबन्ध हो कि सरकार अनुमति दे देगी सिवाये उस दशा के कि शर्तें न पूरी हुई हों। संयुक्त समिति ने काफी सोच विचार के बाद यह उपबन्ध रखा है कि जब तक सरकार को यह विश्वास न हो जाये कि प्रबन्ध अभिकर्त्ता उचित व्यक्ति है और शर्तें पूरी करता है और उस की नियुक्ति की अनुमति देना जनहित में है, तब तक वह मंजूरी नहीं देगी। यह युक्ति दी गई है कि सरकार के लिये यह निर्णय करना बड़ा कठिन होगा कि कोई व्यक्ति या फर्म या कम्पनी प्रबन्ध अभिकर्त्ता होने की पात्र है या नहीं। परन्तु सरकार कुछ सिद्धान्त बना सकती है जिन के अनुसार वह खण्ड ३२५ के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी।

खण्ड ३२६ में यह उपबन्ध है कि प्रबन्ध अभिकरण सम्बन्धी सारे करार १९६० तक समाप्त हो जायेंगे। यह इस कारण रखा गया है कि १९६० तक सरकार को प्रत्येक उद्योग में सभी ऐसे करारों की जांच करने का अवसर मिलना चाहिये। इस खण्ड के अन्त में कहा गया है "जब तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अग्रेतर अवधि के लिये पुनः नियुक्त न कर दिया गया हो।" इसलिये यह आशा है कि १९६० से दो तीन वर्ष पहले प्रत्येक प्रबन्ध अभिकर्ता को अपनी कम्पनी की स्वीकृति लेनी पड़ेगी और फिर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार १५ अगस्त, १९६० से पहले पहले सरकार को यह निर्णय करना होगा कि किन किन कम्पनियों और किन किन उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्त्ता रहें औ रगैर-अधिसूचित उद्योगों में किन व्मक्तियों और फर्मों को प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में काम करने दिया जाए। यह उपबन्ध कांग्रेस के इस संकल्प को लागू करने के लिए रखा गया है कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर दिया जाय। संयुक्त समिति का विचार यह नहीं था कि इस प्रणाली को फौरन समाप्त कर दिया जाये या विधेयक में ही इस की समाप्ति की तिथि निश्चित कर दी जाये बल्कि यह था कि इसे समाप्त करने का समय और ढंग सरकार पर छोड़ दिया जाय। खण्ड ३२३ और ३२५ में बताया गया है कि इस प्रणाली को किस ढंग से समाप्त किया जायेगा। परन्तु सरकार का यह इरादा स्पष्ट ही है कि यह प्रणाली समाप्त कर दी जायेगी।

यह दलील दी गई है कि इस प्रणाली के समाप्त किये जाने से देश के औद्योगिक विकास को हानि पहुंचेगी। संयुक्त समिति को इस बात का ध्यान था और उसे मालूम था कि इस प्रणाली से देश के औद्योगिक विकास में कितनी सहायता मिली है और १९६० तक, जब कि दूसरी पंच वर्षीय योजना का काम समाप्त होने को होगा, कितनी और सहायता मिलेगी। संयुक्त समिति ने इन सभी बातों पर विचार किया था। परन्तु समिति के सामने सामाजिक ध्येय भी थे जिन्हें पूरा करने के लिये इस प्रणाली को---जो जितना लाभ पहुंचा सकती थी पहुंचा चुकी है और अब सामन्त-शाही का रूप धारण कर चुकी है---जारी नहीं रहने दिया जायगा। यह निर्णय निश्चित रूप से किया जा चुका है कि इसे समाप्त कर दिया जायेगा।

यह पूछा जाता है कि यह प्रणाली न रहे तो प्रबन्ध का क्या रूप होगा। यह दलील संयुक्त समिति के सामने थी और उसने बहुत सोच विचार के बाद यह निर्णय किया कि यदि हमें किसी दूसरे प्रकार के प्रबन्ध की व्यवस्था करनी है तो उस का विकास करने के लिये अभी से कार्यवाही करनी पड़ेगी। समिति ने प्रबन्ध निदेशक को लाभ का

५ प्रतिशत भाग पारिश्रमिक के रूप में देने की अनुमति दी है जब कि प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में काम करने वाली कम्पनी को १० प्रतिशत ही मिलता है। यह इसलिये किया गया है कि योग्य व्यक्ति देश के औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हों। एक प्रबन्ध निदेशक को दो कम्पनियों का प्रबन्ध चलाने की अनुमति है। खण्ड ३८६ के अधीन संयुक्त समिति ने प्रबन्ध का पारिश्रमिक ५ प्रतिशत निश्चित किया है क्योंकि उस का काम लगभग वही होता है जो कि प्रबन्ध अभिकर्त्ता या प्रबन्ध निदेशक का। यहां कई बार यह कहा गया है कि प्रबन्ध पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे अनावश्यक हैं। परन्तु प्रबन्धक क्या है, इस बारे में विभिन्न मत हैं। समिति की राय में प्रबन्धक ऐसा व्यक्ति है जो सारी या लगभग सारी कम्पनी का प्रबन्ध सम्भाल सके। किसी भी अन्य देश में कम्पनियां केवल प्रबन्ध के लिये नहीं बनतीं। इंग्लैंड और अमरीका में प्रबन्ध निदेशक बड़ी बड़ी कम्पनियों का प्रबन्ध चलाते हैं। इसी लिये प्रबन्ध निदेशक और प्रबन्धक के सम्बन्ध में ऐसे उदार उपबन्ध रखे गये हैं जिस से कि इस प्रकार की प्रबन्ध व्यवस्था का विकास हो और यह धीरे धीरे प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली का स्थान ले सके।

मेरे माननीय मित्र श्री सोमानी ने कहा है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर इतने प्रतिबन्ध लगाये गये हैं कि उन के लिये प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में काम करना लगभग असम्भव हो जायगा। यदि ऐसी बात है तो उन्हें प्रबंध निदेशकों के रूप में काम करने से कौन रोकता है? हमारा उद्देश्य यह है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली समाप्त हो और कोई और व्यवस्था उस का स्थान ले। इस प्रकार विधेयक में इस व्यवस्था का उपबन्ध पूर्णरूपेण है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि श्री अशोक मेहता द्वारा रखा गया संशोधन अनावश्यक है। उन की इच्छा यह है कि प्रबन्ध अभिकरण करारों के समाप्त होने की तिथि निश्चित कर दी जाय। संयुक्त समिति की राय यह है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिये। समिति के सामने प्रश्न यह नहीं था कि इस प्रणाली को कैसे सुधारा जाय क्योंकि सुधारने की इच्छा का मतलब यह है कि आप इसे जारी रखना चाहते हैं। बल्कि समिति के सामने प्रश्न यह था कि इसे कैसे और कब समाप्त किया जाय। समिति ने निर्णय यह किया कि इसे धीरे धीरे समाप्त किया जाय और यह कब समाप्त हो, इस का निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाय। खण्ड ३२३ और ३२५ पर मैं यही कहना चाहता हूं।

यह दलील दी गई है कि यदि वर्तमान प्रबन्ध अभिकर्ताओं को इस रूप में काम करते रहने को अनुमति नहीं होगी तो उन में देश का औद्योगिक विकास का उत्साह नहीं रहेगा। प्रश्न वास्तव में यह है कि क्या ये लोग अपनी शर्तों पर ही काम करेंगे और प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में ही काम करने को तैयार होंगे और किसी हैसियत से नहीं? मुझे आशा है कि प्रबन्ध अभिकर्ता देश के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को समझेंगे और किसी और हैसियत से भी देश की सेवा करते रहने के लिये तैयार होंगे। मुझे विश्वास है कि वे देश भक्ति और सेवा भावना का परिचय देंगे और देश के औद्योगिक विकास पर केवल इस कारण बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उन्हें प्रबन्ध अभिकर्त्ता की हैसियत से काम नहीं करने दिया जाता। जहां तक प्रश्न यह है कि उन्हें देश के औद्योगिक विकास में लगने का क्या प्रोत्साहन होगा तो उस के लिये खण्ड १९७ में उन्हें ११ प्रतिशत पारिश्रमिक देने का उपबन्ध किया गया है। आजकल प्रबन्ध अभिकर्ताओं को, औसत से, १४

[श्री सी० सी० शाह]

प्रतिशत मिलता है । कुछ उद्योगों में यह पहले ही १० प्रतिशत से कम है ; परन्तु हमें आशा है कि जो कोई भी देश के औद्योगिक विकास के लिये काम करना चाहेगा उस के लिये ११ प्रतिशत पारिश्रमिक काफी है । यह नहीं कहा जा सकता कि यह पारिश्रमिक काफी नहीं है क्योंकि इतना ही पारिश्रमिक प्रबन्ध निदेशक के लिये है और उस का आधा प्रबन्धक के लिये । मेरा निवेदन है कि प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के लिये अपना काम करते रहने के लिये काफी प्रोत्साहन का उपबन्ध किया गया है । परन्तु यह प्रश्न भी कुछ ही प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के लिये लागू होगा क्योंकि आजकल अधिकांश प्रबन्ध अभिकर्ताओं को जो पारिश्रमिक मिल रहा है वह विधेयक में उल्लिखित पारिश्रमिक से कहीं कम है । विधेयक में ५०,००० रुपये पारिश्रमिक का उपबन्ध है । और आप देखेंगे कि बहुत से प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को इतना पारिश्रमिक भी नहीं मिलता ।

खण्ड ३३१ के अनुसार १० से अधिक कम्पनियां किसी एक प्रबन्ध अभिकर्त्ता के प्रबन्ध में नहीं रहेंगी । यह ठीक है कि जब तक कम्पनियों के आकार प्रकार और पूंजी को न देखा जाय, इस १० की संख्या का कोई मतलब नहीं है । यह तो हमारी इस इच्छा का प्रतीक मात्र है कि आर्थिक शक्ति का केन्द्रण न हो । दूसरे देशों में प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली न होते हुए भी ऐसा हुआ है । दूसरे देशों में आर्थिक शक्ति के इस केन्द्रण को रोकने के लिये कानून बनाने पड़े हैं । श्री अशोक मेहता ने ठीक ही कहा है कि हमारे देश में एक ओर तो बहुत कम केन्द्रण है और दूसरी ओर इतना अधिक है जितना कि अमरीका जैसे बड़े देश में भी नहीं होता । इस खण्ड द्वारा हम यह चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा केन्द्रण न हो ।

श्री गाडिलिंगन गौड (कुरनूल) : क्या माननीय सदस्य सरकार की ओर से बोल रहे हैं क्योंकि वे सभा को आश्वासन दे रहे हैं ?

श्री सी० सी० शाह : जी नहीं, मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं ।

मैं यह कह रहा था कि खण्ड ३३१ में कंपनियों की संख्या व्यावहारिक दृष्टि से ही १० रखी गई है ; यह १५ या २० भी हो सकती थी । हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और यदि वह पूरा होता दिखाई न दिया तो हम दूसरे कदम उठायेंगे ।

मैं खण्ड ३२६ और ३५५ के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं । खण्ड ३२६ के अधीन निजी कम्पनियों पर धारा ३२७ से ३३० लागू नहीं होंगी और खण्ड ३५५ के अधीन धारा ३४७ से ३५४ इन कम्पनियों पर लागू नहीं होंगी । मेरा निवेदन यह है कि निजी कम्पनी का सार यही है कि किसी परिवार के लोग या कुछ लोग मिल कर इस का प्रबन्ध करना चाहते हैं, इसलिये ऐसी कम्पनियों को प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की आवश्यकता नहीं है । मेरा सुझाव है कि खण्ड ३२६ और ३५५ को हटा दिया जाय परन्तु यदि सरकार इन्हें रखना ही चाहती है तो खंड ३२९ निजी कम्पनियों पर भी लागू हो जिस से कि १९६० तक इन कम्पनियों के प्रबन्ध अभिकरण करारों की भी सरकार जांच कर सके और यह निर्णय कर सके कि किसी निजी कम्पनी में प्रबन्ध अभिकर्त्ता की आवश्यकता है भी या नहीं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरी बात मैं खंड ३२५ के संबंध में कहना चाहता हूं । बहुत सी व्यापारिक कम्पनियां ऐसी हैं जिन का प्रबन्ध प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथ में है । वहां प्रबन्ध अभिकर्त्ता रखने का उद्देश्य केवल यह होता है कि कर

कम मात्रा में देने के लिये आय अधिक से अधिक लोगों में बांट दी जाय क्योंकि लाभ उस कम्पनी और प्रबन्धक कम्पनी में बांटा जाता है । मेरा निवेदन है कि व्यापार करने वाली कम्पनियों के लिये प्रबंध अभिकर्त्ता रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । मुझे आशा है कि जब खंड ३२५ के अधीन सारे प्रबन्ध अभिकर्त्ता करार सरकार के सामने आयेंगे तो वह इस बात का ध्यान रखेगी कि ये करार केवल आवश्यक उद्योगों के सम्बन्ध में जारी रखे जायें ।

श्री झुनझुनवाला : यह बड़ी अच्छी बात हुई कि श्री सी० सी० शाह को बोलने के लिये बुलाया गया ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : अंग्रेजी में बोलिये—हिन्दी में कोई नहीं समझेगा ।

श्री झुनझुनवाला : सब समझेंगे और मुझे आपको ही समझाना है । श्री शाह ने सिलेक्ट कमेटी की कई बातें बहुत सुन्दर ढंग से हम लोगों को समझाई । परन्तु मैं यदि अपने को सोशलिस्टिक आइडियालोजिस्ट या कम्यूनिस्ट आइडियालोजिस्ट समझूं और यह देखूं कि मुझे श्री शाह की बातों से संतोष होगा या नहीं, तो मुझे संतोष नहीं हो सकता । अगर मैं श्री तुलसीदास की जगह पर बैठ कर अनुभव करूं कि जो श्री सी० सी० शाह ने बात कही है, वह मुनासिब और ठीक है या नहीं, तो भी मुझे पूरा असंतोष है । जिस आदमी को जरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट है और जो अपने को जरा सा भी ईमानदार समझता है उसके लिये इन क्लासेज़ के अनुसार काम करना बहुत कठिन होगा । इसको समझने का अनुभव हमारे सी० सी० शाह साहब को नहीं है । जिस समय गवर्नमेंट ने कंट्रोल के जमाने में लाइसेंस आदि देने के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये थे उस समय जिन लोगों में जरा भी कांशेन्स था और जो इस बात पर दृढ़ रहना चाहते थे कि चाहे हमारा व्यापार चला जाय पर हम घूस नहीं देंगे उनको व्यापार से हट जाना पड़ा और वह अलग जाकर बैठ गये । हमको डर है कि जो पावर इसके अन्दर गवर्नमेंट ले रही है उसके अनुसार तुलसीदास जी और सोमानी जी कैसे काम कर सकेंगे । यह बात तो वही बतला सकते हैं । मुझे तो जो अनुभव है उसके अनुसार तो मैं कह सकता हूं कि मैं तो तुरंत कह देता कि मैं तो छोड़ कर बैठता हूं, मुझे से यह काम नहीं हो सकता । अगर हमारे देशमुख साहब थोड़े से देशमुख और पैदा कर देते और वे लोग यहां पर काम करते और निज में वह सब देखते तो अगर जो पावर ली गयी है उससे भी अधिक पावर ले लेते तो मुझे कोई दिक्कत न होती । परन्तु अब जिनके पास तुलसीदास जी को अपनी मैनेजिंग एजेंसी को एप्रूव कराने के लिये जाना होगा और यह दिखलाना पड़ेगा कि वे फिट परसन हैं और पबलिक इंटरेस्ट में हैं और यह सब बातें दिखानी पड़ेंगी, वहां इन्साफ होगा ऐसा हमारा अनुभव नहीं है । जैसा मैंने कहा कि यदि देशमुख साहब दस पन्द्रह और देशमुख पैदा कर देते और वह समूची पावर अपने हाथ में ले लेते तो हमको जरा भी भय नहीं होता । परन्तु वैसी बात तो नहीं है । श्री सी० सी० शाह ने अपने लम्बे चौड़े भाषण में कहा है कि मैनेजिंग एजेन्टों को कोई डरने की बात नहीं है । यदि वे ठीक से काम करना चाहते हैं तो करें और नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ कर जा बैठें । यह तो मैंने भी कहा कि यदि अब कोई ईमानदारी से काम करना चाहेगा तो उसको बहुत मुश्किल होगी । जितने आपने इसमें फैटर्स लगा दिये हैं उनके होते हुये ईमानदारी से काम करना बहुत कठिन हो जायगा । यदि आपको इन लोगों से काम करवाना था तो जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा सोमानी जी। कहा, मुरारका जी ने और

[श्री झुनझुनवाला]

दूसरे लोगों ने कहा, और ठाकुरदास जी ने बहुत जोर से कहा, आपको केवल ऊपर से देखना चाहिये कि शेयरहोल्डर और मैनजिंग एजेंट ठीक से काम करते हैं या नहीं । अगर शेयरहोल्डर गलती करें तो उनका कान पकड़िये और अगर मैनेजिंग एजेंट गलती करते हैं तो उनका कान पकड़िये । किन्तु जहां शेयरहोल्डर्स को अख्तियार देने की बात आती है वहां श्री सी० सी० शाह कहते हैं कि यह अमेंडमेंट तो मंजूर नहीं हो सकता । और इसके समर्थन में अमरीका की और जगह जगह की बाइबिल कोट करने लगते हैं जोकि हमारी समझ में नहीं आती । बाइबिल, कुरान और धर्मशास्त्र कोट कर करके तो लोग न जाने क्या क्या काम कर लेते हैं । आज हमारे धर्मशास्त्र को कोट करके कहा जाता है कि हम किसी का छुआ पानी नहीं पियेंगे, किसी को अपने को छूने नहीं देंगे । कौनसे धर्मशास्त्र में ऐसी बात लिखी हुई है? लेकिन लोग धर्मशास्त्र में से चाहे जैसा अर्थ निकाल लेते हैं । कुरान को कोट करके यह कहा जाता है कि हमको गायें मारना चाहिये । हिन्दू शास्त्र को ले कर कहा जाता है कि हमारे मन्दिर के आगे बाजा नहीं बजना चाहिये । अभी बन्सल साहब ने और चटर्जी साहब ने कहा कि इन कुरान और बाइबिल की बातो को हम जैसा चाहें तोड़ मरोड़ कर कोट कर सकते हैं । चटर्जी साहब तो वकील हैं । वह तो ऐसा कर ही सकते हैं । हमारे कृष्ण चन्द्र जी भी वकील हैं । वह जैसा चाहे बात को तोड़ मरोड़ सकते हैं ।

पंडित के० सी० शर्मा : अगर पैसा ज्यादा मिलेगा ।

श्री झुनझुनवाला : तो इन बाइबिल और कुरान से तो कुछ भी आने जाने वाला नहीं है ।

श्री के० के० बसु : आप इस कार्य के लिये सरकारी प्रेक्टिशनर्स नियुक्त कर सकते हैं ।

श्री झुनझुनवाला : मैं गवर्नमेंट को यही सलाह दूंगा कि वह एपाइंट करले ।

पंडित के० सी० शर्मा : वह बड़े निर्भीक हैं।

श्री झुनझुनवाला : मैं कह रहा था कि इससे आपका कोई काम ठीक से नहीं चल सकेगा । अगर आप कसाईखाना १९६० में खोलना चाहते हैं तो मेरी समझ में उसे अभी ही खोल लेते और खोल करके फैसला कर देते और बतला देते कि अगर मैनेजिंग एजेंटों को रहना है तो कितना उनको दो माह मिलेगा कितना कमीशन मिलेगा और क्या क्या होगा । यह सब उनको बतला देते । आपने जो जो चीजें कही हैं उनके दोष का कोई भी साथी नहीं है । मैं समझता हूं कि उन चीजों के दोष के साथी तुलसीदास जी भी नहीं हैं । हो सकता है कि वह इस कारण उनके बारे में यहां पर नहीं कहते कि जब वह वापस जायगें तो उनके साथी न मालूम उनसे क्या कहेंगे । लेकिन वे इस दोष के साथी नहीं हैं । वे उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते । पर यदि आप इस तरह के प्रतिबन्ध लगा देंगे तो अभी जो एक क्लास करप्शन करन वाला है उसके अतरिक्त एक और क्लास करप्शन करने के लिए पैदा हो जायगा और वे दोनों पबलिक इंटरेस्ट के खिलाफ चीजें करेंगे और ये जितनी बातें हैं वे सन् १९६० तक रहेंगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि वजाय १९६० में कसाई-खाने को खोलने के उसे आप आज ही खोल दें और जो कुछ बातें हैं उनको आज ही निबटा दें ।

पंडित के० सी० शर्मा : यह "कसाई-खाना" शब्द कुत्सित है । यह शब्द निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री झुनझुनवाला : यहां पर स्लाटर हाउस शब्द भी इस्तेमाल किया गया है इसलिए मैंने कसाईखाना शब्द इस्तेमाल किया। यदि यह शब्द बुरा है तो इसको निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह "कसाई-खाना" शब्द है ?

पंडित के० सी० शर्मा : यह बहुत बुरा शब्द है।

श्री झुनझुनवाला : मैं इसको वापस लेता हूं तो मैं आपको यह बतला रहा था कि इस चीज के लिए यह इतना बड़ा एक्ट बनाया गया है। इसके बारे में मैंने जनरल डिकशन में कहा था कि कुछ अधिकार गवर्नमेंट को लेना चाहिये और बाकी अधिकार शेयरहोल्डर्स और मैनेजिंग एजेंट्स को दे देना चाहिए और शेयरहोल्डर और मैनेजिंग एजेंट इस काम को देखें। गवर्नमेंट को सिर्फ इतना ही देखना चाहिए कि दोनों में से कौन गल्ती करता है। जब इनमें से कोई गलती करे तभी गवर्नमेंट इंटरफियर करे। इस दृष्टि से यह कानून बनना चाहिए था।

हमारे मित्र श्री नथवानी ने और कई एक मित्रों ने कहा कि प्रपोर्शनल रिप्रैजेंटेशन होना चाहिये और हमारे तुलसीदास जी न भी उसको सपोट कर दिया था। उन्होंने आखिर में यह कह दिया था कि यदि यह अस्तियारात ऐसे अच्छे हैं कि वह शेयर होल्डर्स को दे दिये जाएं, तो हम वैसा करने के लिए राजी हैं, बनिस्बत इसके कि आप यह करें। आखिर में मैं समझता हूं कि ऐसा उन्होंने कहा था, फिर मेरी समझ में यह नहीं आया कि गवर्नमेंट को क्या ऐसी ख्वाहिश पड़ी थी कि इतना ज्यादा बोझा अपने सिर पर लिया....

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : पबलिक इंटरेस्ट में।

श्री झुनझुनवाला : कंसनट्रेशन आफ पावर वह हटाना चाहते हैं। कंसनट्रेशन आफ वेल्थ हटाना चाहते हैं। इन दोनों चीजों को हटाना चाहते हैं। कंसनट्रशन आफ वेल्थ को हटाने के लिए तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब टैक्स बढ़ाते जाते हैं और टैक्स वसूल करना आपके हाथ में है, अब यदि आप किसी को छोड़ दें तो फिर कंसनट्रेशन आफ पावर और कंसनट्रेशन आफ वेल्थ होगा ही। आप यदि अपने इनकमटेक्स के मुहकमे को जरा सख्त कर लें और यह एहतियात बर्तें कि आप उस मुहकमें में ईमानदार आदमी रखते हैं तो आप अपने मक़सद में कामयाब हो सकेंगे और यदि आपका मुहकमा टैक्स इवेडर्स को पकड़ कर जो टैक्स नहीं अदा करते हैं, उनसे टैक्स वसूल करे, यदि आपका मुहकमा इस तरह मुस्तैदी से काम करे तो कंसनट्रेशन आफ वेल्थ रहने वाला नहीं है।

अब जहां तक कंसनट्रेशन आफ पावर का सवाल है, उसके बारे में हमारे श्री सी० सी० शाह ने कह दिया कि यदि मैनेजिंग एजेंट लोग काम करना चाहते हैं तो हमको कोई उज्र नहीं है, परन्तु वे हमारी टर्म्स पर काम करें। अब आप ही बतलाइये कि आपकी टर्म्स क्या हैं ? आप कहते हैं कि ६ वर्ष साढ़े पांच वर्ष के बाद सन् १९६० में केन्द्रीय सरकार उपधारा (१) के आधीन किसी भी अवस्था में अनमोदन प्रदान नहीं करेगी जब तक वह इस बात से सतुंष्ट नहीं है कि (क) समवाय को मैनेजिंग एजेंट की अनुमति देना जनहित के विरुद्ध नहीं है। उनका एग्रीमेंट एग्जामिन करें, आखिर पबलिक इंटरेस्ट से आपकी क्या मुराद है ? आप यह तो बतलाइये कि उनके एग्रीमेंट में पबलिक इंटरेस्ट के क्या चीज अगेंस्ट है ? कौन सी चीज पबलिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, जिसको कि हमको अपोज करना चाहिए और मैं भी मानता हूं कि जरूर ऐसा एग्रीमेंट नहीं रहना चाहये जो पबलिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो।

[श्री झुनझुनवाला]

मेरी समझ में तो उस एग्रीमेंट में कोई भी चीज पबलिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है...

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा २३, कंट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक वह नाजायाज हो जायेगा ।

श्री झुनझुनवाला : में यही जानना चाहता हूं । आप १९६० में किस बात का परीक्षण करेंगे ? क्या आप इस बात का परीक्षण करेंगे कि एक करार विशेष जन-हित के विरूद्ध है ? क्लाज ३२५ (२)के(बी) पार्ट में यह दिया हुआ है :—

(ख) कि प्रस्तावित प्रबधं अभिकर्त्ता इसकी सम्मति में ऐसी नियुक्ति एवं पुन-र्नियुक्ति के लिये योग्य तथा उचित व्यक्ति हैं और प्रस्तावित प्रबंध अभिकर्त्ता ....की शतें उचित एवं युक्ति संगत हैं ।

उसमें फेयर एंड रीजनेबुल दो बात हैं...

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह इसलिये हैं क्योकि गर्वन्मेन्ट उनके साथ करेगी ।

श्री झुनझुनवाला : उसी क्लाज के पार्ट सी में इस तरह दिया हुआ है :

(ग) कि प्रस्तावित प्रबंध अभिकर्त्ता ने केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित किसी भी शर्त की पूर्ति कर दी है ।

आज आप हमको कहते हैं कि अपनी राय दीजिये और उस पर बोलिये, लेकिन आप क्या क्या कंडीशन इम्पोज़ करेंगे वह तो हमें बताइये । आठ महीने तक और करीब साल भर तक हमारी सेलेक्ट कमेटी बैठी और उन बातों को हमको अच्छी तरह से उन्होंने समझाया और समझा करके सब कुछ बतलाया परन्तु यह नहीं बतलाया कि वह क्या क्या कंडीशन इम्पोज़ करेंगे । आप कंसनट्रेशन आफ पावर को दूर करना चाहते हैं तो क्यों नहीं सब चीज़ साफ साफ बतला देते । श्री तुलसीदास के पास बहुत पैसा है, वह मज़े में बिना कुछ काम किये हुये घर बैठे आराम से खा सकते हैं, वह क्यों इस झंझट में पड़ें ।

उधर हमारे बोस साहब हैं और श्री अशोक मेहता हैं, वे बहुत नाराज़ हैं और उनको गवर्नमेंट से शिकायत है कि गवर्नमेंट यह क्यों नहीं एलान कर देती साफ साफ कि मैनेजिंग एजेंसीज़ को हम तोड़ देगें । आप यह कहते हैं कि हम ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि हम जो मैनेजिंग एजेंट एपायंट करेंगे उनको हम फाइव परसेंट देंगे, यदि उनको आप फाइव परसेंट देंगे तो तुलसीदास जी में क्या दोष है, यह जरा हमको बतला दीजिये, वह तो कह रहे हैं कि हम ११ परसेंट देंगे, आप क्यों नहीं उनकी बात को मान लेते हैं । जहां इनकम ज्यादा होगी, आमदनी ज्यादा होगी, करोंड़ों रुपये जहां आमदानी होगी, वहां भी आपकी फाइव परसेंट कहने की हिम्मत नहीं होती । मेरी समझ में आपको यह बातें नहीं आतीं । आप यदि असल में देश से गरीबी को दूर किया चाहते हैं तो आपको चाहिये था कि शेयरहोल्डरों पर इनको छोड़ देना चाहिये था, उन दोनों के बीच का एग्रीमेंट कराना चाहिये था कि यह यह और इस तरह की पावर्स शेयर होल्डरों की रहेगी, शेयर होल्डरों को आपको स्पेशल पावर्स देनी चाहिये थीं, परन्तु आप वैसा न करके यह जो चीजें लाये हैं, इन सब चीजों से क्या होगा, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आता और मैं कहने पर मजबूर हूं कि जितनी भी बातें हमारे श्री सी० सी० शाह ने बतलायीं, वह हमारी समझ में नहीं आईं ।

अब मैनेजिंग एजेंट के बारे में जो अभी तक चला आता था कि एक शख्स बाई इनहैरिटेंस एक फर्म में मैनेजिंग एजेन्ट हो जाता था, उसको आपने खत्म कर दिया है, यह बात ठीक है परन्तु उसको खत्म करके आपने क्या क्या

किया है ? आपने एपायंट करने की पावर अपने हाथ में ले ली है कि अगर गवर्नमेंट उसको मुनासिब समझेगी तो उसको मुकर्रर करेगी वरना नहीं करेगी । क्यों साहब, आपने यह पावर अपने हाथ में क्यों ले ली ? यह पावर आपको शेयरहोल्डरों के हाथ में छोड़ देनी चाहिये थी । शेयरहोल्डर्स अगर तुलसीदास जी के लड़के को मैनेजिंग एजेंट बनाना मंजूर करेंगे, तो वह उसको बनायेंगे और अगर नहीं बनाना मन्जूर करेंगें तो वह नहीं बनेगा । गवर्नमेंट ने शेयरहोल्डर्स को यह पावर न देकर अपने हाथ में क्यों रख ली ? मेरी समझ में नहीं आता है कि यह सब अखित्यारात गवर्नमेंट ने अपने पास क्यों रख लिये हैं ? मैं जानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की यकीनन वह नीयत नहीं है जैसी कि शायद हमारे बोस साहब की मालूम पड़ती है और जो बराबर एक ख्वाब देखा करते हैं और जिनपर एक भूत सवार रहता है कि उनके हाथ में पोलिटिकल पावर आजाने पर वह इन लोंगो से ज़बर्दस्ती पैसा ले लेंगे, मैं समझता हूं कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट की यह सब पावर अपने हाथ में लेते हुये यह मंशा नहीं है । हमारे बोस साहब पावर में आने पर यह सब चीजें भले ही करें।

कंसनट्रेशन आफ वेल्थ के बारे में मैं आप को बतला चुका कि यदि मैनेजिंग एजेंसी शब्द से आपको कोई एक तरह की नफरत है तब तो बात दूसरी है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : जो गरीब लोग हैं वे हमेशा इसके खिलाफ आवाज लगाते रहते हैं ।

श्री झुनझुनवाला : ठीक है लेकिन जब उस गरीब के पास कंसनट्रेशन आफ वेल्थ हो जाता है तो वह भी बिल्कुल बदल जाता है और अपनी राय बदल देता है । अभी हम देखते हैं कि प्रोविंस वालों को जब पंचायतों को ज्यादा अखित्यार देने को कहा जाता है तो वह उसकी खिलाफत करते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से वह मिसमैनेज करेगी और यह एकदम कोई भी काम ठीक नहीं करती है । इसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हम से कहा करती थी कि तुम लोग कोई भी काम ठीक नहीं करते, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकोगे । आज उस पावर को डिसेंट्रलाइज़ करने के जितने भी सवाल उठते हैं तो कहा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिये, यह सब ठीक नहीं हो सकेगा । मैं मानता हूं कि यह बात बहुत दुरुस्त है और मुनासिब है कि जो कंसनट्रेशन आफ़ वेल्थ हो गया है, उस का प्रापर डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये लेकिन मेरा कहना यह है कि जो तरीक़ा आपने उस को करने का इस बिल में अखित्यार किया है उस से वह काम होने वाला नहीं है और उस से तो जैसा चल रहा है, वही चलते जाना है और सिर्फ फर्क यह होना है कि जो अभी एक करप्शन है, वह दो जगहों में डिवाइड हो जायगा । इस के अतिरिक्त इस से और कोई लाभ होने की बात इस में नहीं है ।

मैं ने अपने मित्र श्री अशोक मेहता और श्री के० के० बसु के भाषणों को बहुत ध्यान से सुना । श्री अशोक मेहता के ऊपर वैसे मेरी बड़ी श्रद्धा है और ज़ाहिर है कि सोशलिस्ट होने के नाते जब कभी वह व्याख्यान देते हैं तो बीच बीच में उन की आइडियौलाजी आ जाती है परन्तु मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि यदि उन के व्याख्यान को अच्छी तरह से पढ़ा जाय तो उस में उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिये हैं । आज के उनके व्याख्यान में कोई भी ऐसी बात कांक्रीट कि क्या करेंगे, मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा है कि शायद किसी किसी इन्डस्ट्री को हम बन्द कर देंगे, या फलां

[श्री झुनझुनवाला]

इन्डस्ट्री से मैनेजिंग एजैन्ट हटा देंगे, कुछ यह बतलाया कि इस इन्डस्ट्री को बन्द कर देंगे लेकिन उसका अल्टर्नेटिव अरेन्जमेंट क्या करेंगे यह नहीं बतलाया । हो सकता है कि मनैजिंग एजेंट का नाम बदल कर किसी मैनेजिंग डाइरेक्टर के हवाले किसी इन्डस्ट्री को कर दें, लेकिन इससे क्या होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आई । यह बिल सेलेक्ट कमेटी को गया था, इतनी तकलीफ और इतनी मेहनत से आप ने उसमें काम किया, इतना पैसा खर्च किया, अगर आप इतना ही करके चुप बैठ जायें तो इसका लाभ क्या हुआ ? यह जो पावर हम लेते हैं तो कहते हैं कि इंग्लेंड में क्या हो रहा है। यू० एस० ए० में क्या हो रहा है। अरे भाई, वहां पर क्या कंडिशन्स हैं क्या बातें हैं यह सब तो हम जानते नहीं हैं, हम केवल यू० के० का एक्ट ले लेते हैं, यू० के० ऐक्ट को लेकर नकल कर देते हैं चूंकि यह सेक्शन यू० के० के ऐक्ट में है इसलिये यहां भी रख दिया है ।

एक दिन जब बात आई थी कि प्रिफरेन्शियल शेयरहोल्डर्स को पे आफ क्यों न कर दिया जाय, तो उन्होंने कहा कि यह क्लाज तो हमने यू० के० से ले लिया है । जब ठाकुर दास जी ने पूछा कि यू० के० से ले तो लिया है, लेकिन आपका मतलब क्या है ? तब हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने भी बतलाया कि इस का मतलब यह है, यह रिडक्शन है या रिडेम्शन है, यह रिडक्शन और रिडेम्शन का झगड़ा हुआ । झगड़े की बात तो आप ले कर रखते हैं । जिस प्रकार से आप पे आफ कर देंगे प्रिफरेन्स शेअर्स तो क्या यह पूंजी की कमी अथवा पूंजी का विमोचन होगा ? यह चूंकि झगड़े की बात है इसलिये हमने वह क्लाज लेकर रख दिया । क्लाज तो झगड़े का लेकर रख दिया, अब आप जाइये मामले को कोर्ट से डिसाइड करवाइये । सीधी जो बात है, उसको नहीं रखते हैं । इससे जो आप सुधार करना चाहते हैं वह सुधार न कर के, एक कन्फ्यूजन पैदा कर दें, यह बात मेरी समझ में नहीं आई । हां, यह मैं कहता हूं कि आप से जितनी भी चेष्टा हो सके, जो आप का डिपार्टमेंट है वह जो कुछ भी कर सके, मैनेजिंग एजेंट की ऐंटी सोशल ऐक्टिविटी को बन्द करने के लिये करे । परन्तु मेरी समझ में इस ऐक्ट के अनुसार वह भी कुछ नहीं कर सकेगा । नतीजा यह होगा कि हमारी सरकार जो है वह बदनाम होगी, सरकार के विरुद्ध लोगों का यह खयाल होगा कि वह ऐसे कानून तो बनाती है परन्तु उन को काम में नहीं लाती है । उस के ऊपर यह आरोप आयेगा कि वह इंडस्ट्रियलिस्ट्स की तरफदारी करती है । सब लोगों के मन में शंका होगी कि जैसे आप कंट्रोल के वक्त में लोगों पर कंट्रोल नहीं कर सके, उस वक्त जो करप्शन था, आखीर वक्त तक चलता रहा, वही हालत इस में होगी ।

श्री एम० सी० शाह : नहीं होगी ।

श्री झुनझुनवाला : नहीं होगी तो मैं आपको बधाई दूंगा । मैं इस बात को माने लेता हूं कि जैसा कि हमारे शाह साहब ने कहा है, जो पिछली बातें कन्ट्रोल के सम्बन्ध में हुईं, वह नहीं होंगी अब पावर्स को अच्छी तरह से एकसर्साईज किया जायेगा और जो बुराइयां हैं वह निकल जायेंगी । जो ईमानदार मैनेजिंग एजेन्ट होंगे वह रक्खे जायगें, यह सब बातें होंगी । मुझे उन के ऐश्योरेन्स में विश्वास है और मुझे आशा है कि जैसा उन्होंने कहा है वह वैसा ही करेंगे ।

श्री तुलसीदास : आज के वाद-विवाद में कहे गये तर्कों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है ।

मैं इस बात के समझने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जो खंड विशेष अब इस विधेयक में जोड़े गये हैं उस में कहां तक औचित्य है ।

में विस्तृत चर्चा में नहीं जाना चाहता किन्तु एक बात मैं यह कह दूं कि विश्व के किसी भी देश की समवाय विधि में इस प्रकार की विधियों की रचना नहीं हुई है । आप ने अनेक वर्षों तक विधान निर्माण कार्य किया है आप को इस का पर्याप्त अनुमान है । मैं इस दिशा में नवीन व्यक्ति हूं । वस्तुतः मुझे लगता है कि अन्य देशों के लोग क्या हमें बुद्धिमान समझेंगे कि हम इस प्रकार की विधियों की रचना कर रहे हैं । क्या वे लोग हमारी हंसी नही उड़ायेंगे .....

श्री एम० सी० शाह : आप ऐसी आशंका न कीजिये ।

श्री तुलसीदास : में अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रहा हूं और मुझे ऐसी आशंका है । मै साम्यवादी अथव सर्वाधिकारवादी देश की बात नहीं कहता हूं । वहां पर तो विधि का कोई प्रश्न ही नहीं है । लेकिन जिन देशों में प्रजातन्त्र पद्धति अथवा पूंजीवादी शासन व्यवस्था है वे हम पर हंसेंगे । अनेक खंडों के सम्बन्ध में मेरी यही सम्मति है ।

समवायों को देश हित की दृष्टि से कार्य करना है । समवाय विधि एक ऐसी विधि है जिस में न केवल व्यापारी अपितु विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रुचि रखते हैं । समवाय का सब से महत्त्वपूर्ण अंग प्रशासन है । आप किसी भी विधि की रचना करें किन्तु जहां तक हम उक्त विधि का समुचित प्रशासन नहीं करते, उस से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता । हम जानते हैं कि यह ब्रिटेन के अधिनियम पर आधारित है। केवल एक अन्तर है कि ब्रिटेन में प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था नहीं है। इस देश में हमारे यहां भिन्न प्रकार की व्यवस्था है। १९३०–३१ में इंग्लैंड में एक आयोग की स्थापना की गई थी लार्ड लिण्डले उस के सभापति थे । उन्हें समवाय विधि का पूर्ण ज्ञान था । १९४७ में लार्ड कोहेन पुनः नियुक्त किये गये और उन्होंने उन के प्रतिवेदन को आधार मान कर विधि का निर्माण किया । श्रीमान्, विधि निर्वचन योग्य होनो चाहिये । मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि न्यायालय 'उचित एवं सही' व्यक्ति का किस प्रकार निर्वचन करेंगे । आखिरकार न्यायालयों ही को तो इस का निर्वचन करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का यही अर्थ है कि व्यक्ति शिक्षित हो अथवा ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य को समझता हो । अपने कार्य को न समझना व्यक्ति के लिये अनर्हता है ।

श्री तुलसीदास : एक खंड में हम ने अर्हतायें निर्धारित कर दी हैं । अब आगे और क्या अनर्हतायें हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि व्यक्ति को कभी सजा नहीं हुई हो तो वह अनर्ह नहीं है । किन्तु फिर भी हो सकता है कि वह समवाय का प्रबन्ध करने योग्य न हो ।

श्री तुलसीदास : इस का निर्णय कौन करेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले समवाय और उस के अंशधारी यह निर्णय करेंगे और बाद में सरकार इस का अनुमोदन कर देगी ।

श्री तुलसीदास : समवाय द्वारा अनुमोदन कर देने पर भी सरकार मना कर सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : समवाय निर्णय करेगा और सरकार भी निर्णय करेगी ।

श्री तुलसीदास : मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है । यह केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है और किसी भी व्यक्ति को अयोग्य एवं अनुचित बताते हुए इसे सिद्ध करना भी सरकार का काम है । यह उस व्यक्ति का कार्य नहीं है कि वह अपने आप को उचित

[श्री तुलसीदास]

सिद्ध करे। मेरा संशोधन भी इसी आशय का है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात के दो पहलू हैं । प्रथम यह है । माननीय सदस्य का कथन है कि चुने गये उचित एवं सही व्यक्ति की नियुक्ति की घोषणा समवाय कर देगा । दूसरा पहलू यह है कि नियुक्ति सरकार के अनुमोदन करने पर निर्भर है । सरकार यह देखेगी कि व्यक्ति विशेष कहां तक उचित और सही व्यक्ति है ।

श्री के० के० बसु : सजायाफता और दीवालिये व्यक्तियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में भी एक संकल्प रखा जा सकता है । (**अन्तर्बाधा**) दूसरी ओर यह स्वयंसिद्ध है कि उस व्यक्ति में कुछ आवश्यक योग्यतायें होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य को बहुत कुछ कहना है । वह अपना भाषण कल जारी रखेंगे ।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPND—HS—284 LSD—28-8-56—190